हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी एवं सचिव व मुख्य लेखा अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम सचिव		
1	श्री दिनेश कश्यप	1.4.15 से 31.3.16
(ख) मुख्य लेखा अधिकारी		
1	श्री भगत राम ब्यास	1.4.15 से 6.5.15
2	श्री चन्द्र शेखर सेवल	7.5.15 से 31.3.16

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज से आय की हानि (पैन्शन निधि)	4 (3)	2.34
2	पैन्शन निधि से भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारियों की पैन्शन की एवज में दावों की राशि का भुगतान बिना सत्यापना किये स्वीकारना	4 (4)	40.15
3	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज से आय की हानि (CPF निधि)	5 (2)	5.85
4	हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में हिमुडा निधि से प्रावधानों के विपरीत नियोक्ता हिस्से की राशि को जमा करना	5 (3)	16.19
5	अंशदायी भविष्य निधि से आहरित राशि को खातों से न घटाना तथा परिणामतः ₹12000 का अधिक ब्याज का जमा प्रदान करना	5 (5)	3.00
6	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण आय की हानि (उपदान निधि)	6 (4)	0.44
7	Leave Encashment निधि के लेखों व वित्तीय विवरणियों में Leave Encashment भुगतान की राशि का लेखांकन न करना	7 (4)	312.10
8	बैंक व रोकड़ बही के अन्तःशेष में अन्तर का समाधान/बैंक समाधान विवरण तैयार न करना	8 (1)	1389.33
9	विभिन्न बैंकों द्वारा हिमुडा के बैक खातों से किए गए भुगतान को बिना छानबीन के स्वीकार करने सम्बन्धी अनियमितता	9	10.99
10	हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों में सावधिक जमा पर प्राप्य ब्याज (Interest receivables on FDRs) की राशि का कम लेखांकन किया जाना	10.2	45.07

11	दिनांक 31.3.16 तक के विभिन्न अग्रिमों की वसूली/समायोजन न करना	11	113.00
12	मुद्रण व लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश के खाते में दिनांक 31.3.16 तक अग्रिम का समायोजन शेष	12	3.44
13	दिनांक 31.3.2016 तक आयकर दायित्व का निर्धारण न करना	13	1341.18
14	दिनांक 31.3.2016 तक ग्राउंड रैन्ट की राशि आबटियों से वसूली हेतु शेष	14	47.77
15	विभिन्न आवासीय बस्तियों में फ्लैटों के आबटियों से पिछले कई वर्षों से देय बकाया राशि की वसूली न करना तथा न ही आबंटन रद्द करना	15	574.73
16	धरोहर राशि को जब्त न करना	16	58.58
17	लीज रेन्ट की कम वसूली करना	17	16.11
18	आबटियों से ब्याज की कम वसूली करना	18	7.66
19	पिछले कई वर्षों से विभिन्न इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लांटस/सम्पत्ति के आबटियों से बकाया राशि की वसूली न करना	19	1817.00
20	प्लाट/फ्लैट के निरस्तीकरण/अपने–आप समर्पण करने पर शेष राशि की वापसी के समय विलम्ब हेतु देय दण्ड ब्याज की वसूली न करने के कारण हानि	21	79.23
21	विभिन्न निर्माण मंडलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों से दिनांक 31.3.2016 तक Maintenance Charges की राशि वसूली हेतु शेष	23	529.73
22	विभिन्न निर्माण मंडलों की हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों से दिनांक 31.3.2016 तक Water Charges की राशि वसूली हेतु शेष	24	10.71
23	विभिन्न विभागों से हाउसिंग स्कीमों के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2016 तक व्यय की गई राशि वसूली हेतु शेष	25	266.28

24	निक्षेप कार्यों (Deposit Works) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि व्यय हेतु शेष होने के कारण विभागीय प्रभार (Departmental Charges) की परोक्ष हानि	26	3707.83
25	HUDCO से प्राप्त ऋण को अनियमित तौर पर Acquistion ofland, जाठिया देवी से प्राप्ति दर्शाकर अन्तिम लेखों में वर्गीकृत करना	29	3398.00
26	लाभ व हानि लेखा में depreciation की राशि को वास्तविकता से कम दर्शाना	32 (1)	28.66
27	वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों में भुगतान राशि को चालू सम्पत्ति की अपेक्षा अनियमित रूप से व्यय वर्गीकृत करना	34	312.10
28	प्लाट / फ्लैट के निरस्तीकरण / अपने–आप समर्पण करने पर जब्त की गई प्रतिभूति राशि (Earnest Money) को आय शीर्ष की अपेक्षा पुनः शीर्ष प्रतिभूति राशि (Earnest Money) प्राप्ति को जमा करके गलत वर्गीकृत करने के कारण शुद्ध लाभ को कम दर्शाना	35	19.16
29	मंधाला हाउसिंग कलौनी बददी के विद्युतीकरण से सम्बन्धित पूंजीगत (Capital) व्यय को लाभ व हानि खाते में अनियमित रूप से राजस्व (Revenue) व्यय वर्गीकृत करना	37	125.00
30	पूंजीगत प्राप्ति (Capital Receipt) को अनियमित रूप से लाभ व हानि खाते में लेखा शीर्ष परोक्ष आय (Indirect income) के अन्तर्गत शीर्ष मिश्रित प्राप्तियाँ (Misc. Receipts) को वर्गीकृत करना	38	1252.48
31	अन्तिम लेखों में काल्पनिक (Fictitiious) प्रविष्टि का लेखांकन करके तुलन पत्र में चालू परिसम्पत्तियों (Current Assets) का शेष घटाकर दर्शाना	40	665.03
32	विभिन्न निर्माण मंडलों से सम्बन्धित लेन–देन की राशियाँ हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजित न करना या अनुचित रूप से समायोजित करना	41	4303.62

33	दिनांक 31.3.2016 तक निर्माण कार्यों की राशि को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना	46	448.09
34	दिनांक 31.3.2016 तक की राशि को "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाने एवम वर्ष के दौरान समायोजित न करना	47	254.43
35	Imprest & CSS A/C Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि को वर्ष के दौरान समायोजित न करना	48	45.74
36	Interest Redemption लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को सम्बन्धित हाउसिंग स्कीम की लागत में वर्षों उपरान्त भी समायोजित न करना	49	366.16
37	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखों में Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि शेष Debit दर्शाना	50	2557.58
38	मांग सर्वेक्षण (Demandsurvey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व को वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन–पत्र/लेखों में परिलक्षित न करना	51	172.47
39	विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों (Deposit Works) पर प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय करना	52	4045.77
40	विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन व भत्तों तथा पैन्शन लाभों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान	53	5.25
41	सेवाकर का विलम्ब से भुगतान करने के फलस्वरूप देय दण्ड ब्याज एवं दण्ड राशि के चुकाने के कारण परिहार्य (Avoidable) हानि	55	75.19

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 1985–86 से 2014–15 तक मुख्यालय से सम्बन्धित लगभग 392 पैरे शेष थे जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	1985–86	1
2	1990–91	3
3	1992–93	3
4	1996–97	1
5	1997–98	5
6	1998–99	1
7	1999–2000	5
8	2000–2001	11
9	2001–2002	12
10	2002–2003	7
11	2003–2004	1
12	2004–2005	12
13	2005–2006	14
14	2006–2007	8
15	2007–2008	15
16	2008–2009	14
17	2009–2010	29
18	2010–2011	50
19	2011–2012	54

20	2012—2013	18
21	2013—2014	17
22	2014—2015	57
	योग	**338**

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे

1	1989—90	1
2	1990—91	1
3	1991—92	3
4	1992—93	2
5	1993—94	2
6	1994—95	3
7	1995—96	5
8	1996—97	11
9	1997—98	11
10	1998—99	7
11	1999 से 2001	8
	योग	**54**

अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला—2 के उपरोक्त शेष अनिर्णीत पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक का अंकेक्षण कार्य सर्व श्री सतपाल सिंह ठाकुर व राकेश कालरा, उप निदेशक, के पर्यवेक्षण में सर्व श्री हेमराज भारद्वाज, उप नियन्त्रक, मनजीत भाटिया व अनिल कुमार मेहरा अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.7.2017 से

4.10.17 तक प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 3/16 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट किये गये है।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारुपण प्राधिकरण के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।"

3 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक के आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के लेखों के अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹483400 आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को पत्र संख्याःफिन (एल0ए0) एच) 2(सी) (15) (14) 115/87 खण्ड–14–6982 दिनाँक 29.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 पैन्शन निधिः–

पैन्शन निधि के वित्तीय वर्ष 2015–16 के **परिशिष्ट "ख"** द्वारा प्रस्तुत अनन्तिम लेखों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान निमनलिखित अनियमितताएं पाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या हिमुडा/36 दिनांक 27.9.17 द्वारा वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/Accts/Audit/2015-16,17237 दिनांक 4.10.2017 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण के सुझाव अनुसार अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। अतः वर्णित अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) पैन्शन निधि के अन्तिम लेखे प्रस्तुत न करनाः—

पैन्शन निधि से सम्बन्धित अन्तिम लेखे बार—2 अनुरोध करने के उपरान्त भी अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसकी अपेक्षा अंकेक्षण हेतु केवल अनन्तिम लेखे (Provisional Accounts) ही उपलब्ध करवाए गए थे जिसके कारण पैन्शन निधि की वित्तीय विवरणियों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। पैन्शन निधि से सम्बन्धित अन्तिम लेखें अंकेक्षण को समयानुसार उपलब्ध न करवाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि पैन्शन निधि से सम्बन्धित अन्तिम लेखें को तुरन्त तैयार करके अंकेक्षण से सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपकवता पर ₹0.35 लाख का ब्याज कम देनाः—

निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सार्वधिक जमा की परिपक्वता पर नियमानुसार चक्रवृद्धि ब्याज की अपेक्षा साधारण ब्याज तथा वह भी देय राशि की अपेक्षा कम ब्याज प्रदान करने के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹35199 का कम ब्याज प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक में मामला उठाकर व पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता की जाये तथा कम दिए गये ब्याज की राशि को प्राप्त करके पैन्शन निधि की भरपाई की जायेः—

सावधिक जमा रजिस्टर पृ0सं0	बैंक का नाम/सावधिक जमा खाता या रसीद संख्या	निवेशित राशि (₹ में)	निवेश/वास्तविक परिक्वता व बैंक जमा तिथि/अवधि	ब्याज की दर	ब्याज की राशि जो प्राप्त हुई (₹ में)	ब्याज की राशि को प्रप्त होनी चाहिए थी (₹ में)	अन्तर ब्याज का जो कम प्रापत हुआ (₹ में)
6	UCO Bank-Nigam Vihar/34828 dt. 13.11.2014	13000000	13.5.15/19.5.15 6 माह 6 दिन	8.50%	547959	577315	29356
6	UCO Bank/Nigam Vihart/Dt. 26.8.15	11100000	31.3.2016 6 माह 35 दिन या 218 दिन	7.50%	497219	503002	5783
						कुल जोड़	**35139**

(3) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹2.34 लाख की ब्याज से आय की हानिः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को पैन्शन निधि के यूको बैंक बचत खाते में ₹96 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इस बचत खाते में अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरण अनुसार ₹257924 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी। कुशल वित्तीय प्रबन्धन से बचत खाते में जमा राशि यदि 7.50% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित होती तो निम्न विवरण अनुसार ₹234302 की ब्याज से अतिरिक्त आय होती परन्तु वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण लगभग ₹234302 की ब्याज की हानि उठानी पड़ी जोकि सुघड़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थीः—

बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि (₹ में)		7.50% की दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती (₹ में)	ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि (₹) में
UCO bank-Nigam Vihar/09810110001219	01.04.15 to 31.03.16	06.07.15=156440 04.01.16=101484 Total 257924	492226	234302

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जमा अतिरिक्त राशि को सावधिक जमा योजना में निवेश करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व पैन्शन निधि की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो।

(4) हिमुडा द्वारा पैन्शन निधि से भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारियों की पैन्शन की एवज में ₹40.15 लाख के दावों का भुगतान बिना सत्यापना किये स्वीकारनाः—

पैन्शन निधि के अन्तिम तुलन पत्र व प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015—16 में पैन्शन निधि से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों की पैन्शन के रूप में ₹4014874 के दावों का भुगतान स्वीकार किया गया था

परन्तु उसके समर्थन में हिमुडा द्वारा न तो ऐसा कोई विस्तृत अभिलेख का ही रख रखाव किया गया था जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि वर्णित दावों की राशि सही थी और न ही अंकेक्षण को यह स्पष्ट किया गया कि दावों की राशि की औचित्यता किस आधार पर प्रमाणित की गई है। बिना उचित अभिलेख के रख रखाव व दावों की भुगतान राशि की सत्यापना के इतनी बड़ी राशि के दावों को स्वीकारना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में निधि से अधिक भुगतान व दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित पैन्शन भुगतान के दावों से सम्बन्धित विस्तृत अभिलेख भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त करके उसका उचित रख–रखाव करते हुए उक्त दावों के भुगतान की राशि की भी सत्यापना सुनिश्चित की जाये ताकि अधिक भुगतान व दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से बचा जा सके।

(5) अन्तिम तुलन–पत्र में ₹0.24 लाख के दायित्व को न दर्शानाः–

पैन्शन निधि के वर्ष 2015–16 के अन्तिम तुलन–पत्र का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 के तुलन–पत्र में ₹24354 के दायित्व बतौर "Audit & legal fee" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये थे तथा वर्ष 2015–16 के दौरान उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था तथा लेखा नियमानुसार यह राशि वर्तमान तुलन–पत्र में भी दर्शाई जानी अपेक्षित थी परन्तु इस राशि को अलग से न दर्शाकर पैन्शन कोरपस निधि में ही सम्मिलित कर दिया गया है जोकि अनियमित है जिसके कारण वर्ष 2015–16 का पैन्शन निधि का अन्तिम तुलन पत्र इस हद तक हिमुडा ही सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹24354 को वर्ष 2015–16 के तुलन–पत्र में अलग से दर्शाया जाए।

(6) आय एवं व्यय (Income & Expenditure) खाते में ₹40.15 लाख के भुगतान को न दर्शानाः–

पैन्शन निधि के तुलन पत्र व प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में पैन्शन निधि में भारतीय जीवन बीमा निगम से ब्याज के रूप में प्राप्त ₹1948113 को आय एवं व्यय (Income & Expenditure) लेखा में दर्शाया गया था परन्तु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों की पैन्शन के रूप में ₹4014874 के दावों

के भुगतान को उक्त लेखा में नहीं दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप आय एवं व्यय लेखा में आय की व्यय पर दर्शाई गई ₹3251215 की अधिकता के स्थान पर व्यय की आय पर ₹763659 की अधिकता तथा तदानुसार ही तुलन–पत्र में भी ₹763659 सम्पत्ति (Assets) में उचित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इस अनियमितता के कारण वर्ष 2015–16 का पैन्शन निधि का अन्तिम तुलन पत्र व आय एवं व्यय (Icome & Expenditure) खाता इस मद तक सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। अतः लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों में पैन्शन निधि की वास्तविक व सही स्थिति परिलक्षित हो।

5 अंशदायी भविष्य निधिः–

हिमुडा द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित **परिशिष्ट "ग"** द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र (Balance sheet) व वित्तीय विवरणियों का उपलब्ध करवाये गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/34 व 36 दिनांक 19 व 27.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवम् सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितताओं का यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(1) सावधिक जमा की परिपक्वता राशि से स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस प्राप्त न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक बैंक द्वारा सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर प्रदत्त ब्याज राशि में से ₹778864.59 की स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान स्त्रोत पर काटी गई ₹151153 भी शामिल थी तथा जिसे अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र में चालू सम्पत्ति के अन्तर्गत "TDS of FDR Receiveables from IT Deptt." लेखा शीर्षक में दर्शाया गया था। चूँकि निधि की आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (23AAA) के अन्तर्गत कर मुक्त है इसलिए स्त्रोत पर काटी गई राशि को वापिस प्राप्त किया जाना अपेक्षित था जिस

हेतु हिमुडा द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अंशदायी भविष्य निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाए।

(2) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹5.85 लाख ब्याज से आय की सम्भावित हानिः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 को अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित यूको बैंक के विभिन्न बचत खातों में ₹185.85 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इन बचत खातों में अंकेक्षण अवधि के दौरान 4**%** की दर से ₹643823 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी कुशल वित्तीय प्रबन्धन से बचत खातों में जमा राशि यदि 7.50**%** की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित होती तो ₹12.28682 की ब्याज से आय होती परन्तु वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण लगभग ₹584859 की ब्याज आय की सम्भावित हानि उठानी पड़ी जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थीः—

बैंक का नाम व बचत खाता सं0	**4% की दर से अर्जित/ प्राप्त ब्याज की राशि (₹)**			**7.50% की दर से ब्याज राशि जो अर्जित होती**	**ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि (₹)**
	अवधि	**ब्याज की राशि (₹)**			
यूको बैंक, निगम विहार 09810110000441	1.4.15 से 31.3.16	6.7.15	121402	476072	226613
		4.1.16	128057		
		योग	**249459**		
यूको बैंक, निगम विहार 09810110004517	1.4.15 से 31.3.16	6.7.15	128388	422918	201311
		4.1.16	93219		
		योग	**221607**		
यूको बैंक, निगम विहार09810110004524	1.4.15 से 31.3.16	6.7.15	61020	207943	98982
		4.1.16	47941		
		योग	**108961**		

यूको बैंक, निगम विहार 09810110018774	1.4.15 से 31.3.16	6.7.15	42403	121749	57953
		4.1.16	21393		
		योग	**63796**		
		कुल योग	**643823**	**1228682**	**584859**

अतः उक्त वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त राशि को सावधिक जमा योजना में निवेश करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व अंशदायी भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो।

(3) हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता हिस्से के रूप में हिमुडा निधि से प्रावधानों के विपरीत ₹16.19 लाख को जमा करनाः—

हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ₹1618810 की नियोक्ता हिस्से की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में जमा करवाई गई थी। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध कर्मचारियों के लियें अंशदायी भविष्य निधि की कोई योजना लागू नहीं है, जबकि हिमुडा द्वारा इन कर्मचारियों के पक्ष में न केवल उक्त योजना को लागू ही किया बल्कि कर्मचारियों के अंशदान के समतुल्य नियोक्ता हिस्से की राशि भी निधि में जमा की गई। परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.16 तक कुल ₹1618810 की नियोक्ता हिस्से की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के खातों में अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत जमा की गई जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः या तो वर्णित अनियमितता का अनुबन्ध के प्रावधानों के दृष्टिगत पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस अनियमितता पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाने के साथ—2 ऐसी समस्त जमा की गई राशि को हिमुडा निधि के खातों में ब्याज सहित वापिस जमा किया जाये।

क्रमांक	अनुबन्ध कर्मचारी का नाम व पदनाम	सी0पी0एफ0 खाता सं0	दिनांक 31.3.2016 तक नियोक्ता शेयर की जमा राशि (₹)
1	श्री ओम चौहान, विधि सहायक	962	179905
2	श्री अंकुश वर्मा, लिपिक	970	85734
3	श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	971	141441
4	श्री हिमाचली देवी, लिपिक	972	75349

5	श्री दुगला राम, कनिष्ठ अभियन्ता	973	139913
6	श्री ओमेश सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	977	126639
7	श्री विरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	978	126706
8	श्री अजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	979	126706
9	श्री जितेन्द्र पूरी, कनिष्ठ अभियन्ता	980	120023
10	श्री भगवान चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	981	106155
11	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	983	122734
12	श्री राकेश पाल राणा, कनिष्ठ अभियन्ता	984	118792
13	श्री रमेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	985	74794
14	श्री रविन्दर ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता	986	73919
		कुल जोड़	**1618810**

(4) अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2015–16 के आय–व्यय खाते में ब्याज प्राप्ति को शुद्ध रूप में दर्शानाः–

अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2015–16 के आय–व्यय खाते का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसके आय पक्ष में ब्याज प्राप्ति खाते के अन्तर्गत ₹12489216.35 दर्शाई गई थी। अंकेक्षण करने पर पाया गया कि यह राशि शुद्ध रूप में दिखाई गई थी जबकि इसमें कई राशियाँ ब्याज प्राप्ति व ब्याज भुगतान से सम्बन्धित थी जिन्हें लेखांकन नियमों के अनुसार आय व व्यय पक्ष में अलग–2 दर्शाया जाना अपेक्षित था। अतः वर्णित अनियमितता/त्रुटि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित लेखा/वित्तीय विवरणियों में आवश्यक सुधार किया जाए ताकि वर्णित वित्तीय विवरणियों से अंशदायी भविष्य निधि की वास्तविक व सही स्थिति परिलक्षित हो।

(5) अंशदायी भविष्य निधि से आहरित ₹3.00 लाख को खातों से न घटाना तथा परिणामतः ₹12000 का अधिक ब्याज का जमा प्रदान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2015–16 की खाता बहियों का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री राज कुमार गुप्ता, वर्क इंस्पेक्टर द्वारा उनके सी0पी0एफ0 खाता संख्या 347 से वाउचर संख्या 112 द्वारा

दिनांक 19.10.2015 को ₹300000 आहरित की गई थी परन्तु खाता बही में इस राशि को लेखांकित ही नहीं किया गया था जिसके कारण खाते की शेष राशि को दिनांक 31.3.2016 को अनियमित रूप से ₹300000 से वास्तविक से अधिक दर्शाया गया है। परिणामतः वित्तीय वर्ष 2015–16 में उनके खाते में ₹12000 की ब्याज राशि का भी अधिक जमा प्रदान किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व खाते में आवश्यक सुधार किया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृति न हो उस हेतु ठोस कदम भी उठाया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

	विवरण	**दिनांक 31.3.2016 को खाता बही में दर्शाया गया शेष (₹)**	**दिनांक 31.3.2016 को खाता बही में शेष जो दर्शाया जाना अपेक्षित था (₹)**	**अन्तर (₹)**
(क)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2015	878893	878893	0
	(+) वर्ष 2015–16 में अंशदान/अग्रिम वापसी	209841	209841	0
	(+) वर्ष 2015–16 के लिये ब्याज	78696	66696	12000
	(–) अग्रिम/आहरण की राशि	0	300000	300000
(ख)	शेष राशि 31.3.2016	1167430	855430	

6 उपदान निधि (Gratuity Fund)

हिमुडा द्वारा उपदान निधि के वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित **परिशिष्ट "घ"** द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र (Balance sheet) व वित्तीय विवरणियों का उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/36 & 36-A दिनांक 22 व 27.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवम सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमिताओं का यथाचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

(1) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.3.2016

(क)	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते का अन्तशेष	1185145.00
	(–) 1.4.2015 को रोकड़ बही का प्रारम्भिक शेष अधिक लिया गया	(–) 0.23
	(+) चैक संख्या 555207, दिनांक 20.8.2015 को जारी किया परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक इसे बैंक से भुनाया नहीं गया	(+) 198050.00
(ख)	यूको बैंक बचत खाता संख्या 09810100008419 अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	1383194.77

नोटः– बैंक पास बुक व रोकड़ बही के शेष में ₹0.23 का अन्तर दिनांक 1.4.2014 से पूर्व से चला आ रहा है तथा जिसका समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) कालातीत हो चुके ₹198050 के जारी चैक का दिनांक 31.03.2016 तक समाधान न करनाः–

हिमुडा द्वारा चैक संख्या 555207 दिनांक 20.8.2015 ₹198050 भुगतान हेतु जारी किया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक बैंक से वर्णित चैक का भुगतान नहीं हुआ था अथवा भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि लगभग 7½ माह का समय बीत जाने के कारण वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुका है इसलिए इस प्रकरण मे ंपूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तु स्थिति का पता लगाकर या तो उक्त चैक की तिथि नवीनीकरण (Revalidate) की जाये अन्यथा चैक की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाये।

(2) विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में अंकेक्षण को स्वतः स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

लेखा शीर्षक	राशि (₹)	विवरण	अभियुक्ति
Miscellaneous (LIC Receipt)	101530	प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया गया है	इन प्राप्तियों के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था तथा न ही इस प्राप्तियों से सम्बन्धित कोई वाउचर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया
Miscellaneous (SBI Receipt)	1000	प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया	

	गया है	गया। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाकर सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) प्राप्ति व भुगतान एवं आय व व्यय खाता विवरण तथा तुलन पत्र में विभिन्न खातों/लेखा शीर्षों के शेष को गलत दर्शानाः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि प्राप्ति व भुगतान एवं आय व व्यय खाता विवरण तथा तुलन पत्र के अन्तर्गत विभिन्न खातों/लेखा शीर्षों की राशि निम्न विवरणानुसार वास्तविकता से कम या अधिक दर्शाई गई थी जिसके कारण वर्णित वित्तीय विवरणियाँ उपदान निधि की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करती हैः–

क्र0सं0	लेखा शेषक	राशि जो दर्शाई गई (₹)	वास्तव में जो राशि दर्शाई जानी अपेंक्षित थी	अन्तर	अभियुक्ति
1	Closing Balances as on 31.03.2016 (i) Bank Balance as per Cash book (ii) Cash in hand as per cash book	1383195 0	1185145 (-)8	198050 (-)8	राशियाँ प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अन्तशेष से सम्बन्धित है।
2	Opening Balances as on 1.4.2015 (i) Cash in hand as per cash book	0	(-)8	(-)8	राशि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्रारम्भिक शेष से सम्बन्धित है
3	Gratuity Payments	17348602	17546652	198050	राशि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्रारम्भिक शेष से सम्बन्धित है
	Interestion investment	5072620	5070104.62	2515.38	राशि आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष से सम्बन्धित है
	Misc. Charges (Bajaj Alliance)	55415	55428	13	राशि आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष से सम्बन्धित है

6	Difference in Opening Balance of Birla Sun life investment as on 1.4.2015 (Considered ₹15091954-Actual ₹15094482.48= Diff. ₹2528.48	0	2528.48	2528.48	राशि आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष से सम्बन्धित है
7	Excess of income over expenditure	5064840	5062311.62	2528.38	राशि आय एवं व्यय खाते के व्यय पक्ष में Balanceing Figure से सम्बन्धित है
8	Surplus for the year	5064840	5062311.62	2528.38	राशि तुलन पत्र के दायित्व पक्ष से सम्बन्धित है।
9	Payment made out of fund	17348602	17546652	198050	राशि तुलन पत्र के दायित्व पक्ष से सम्बन्धित है।
10	Closing Balances as on 31.03.2016 (i) Bank Balance as per Cash book (ii) Cash in hand as per cash book	1383195 0	1185145 (-) 8	198050 (-) 8	राशियाँ तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष से सम्बन्धित है
11	Gratuity fund Opening Balance as on 01.04.15	74316521	74284041	32480	राशि तुलन पत्र के दायित्व पक्ष से सम्बन्धित है।
12	Audit & Legal Fee payable to Sh. Rajeev Sood (CA)	0	32472	32472	राशि तुलन पत्र के दायित्व पक्ष से सम्बन्धित है।

अतः उक्त वर्णित त्रुटियों का लेखों में आवश्यक सुधार करके अन्तिम लेखें व सम्बन्धित वित्तीय विवरणियाँ सही की जाये ताकि विवरणियों से उपदान निधि की सही स्थिति परिलक्षित हो।

(4) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹0.44 लाख ब्याज से आय की सम्भावित हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 को उपदान निधि के यूको बैंक बचत खाते में ₹1383194.77 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इस बचत खाते में अंकेक्षण अवधि के दौरान 4**%** की दर से ₹48060 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी कुशल वित्तीय प्रबन्धन से बचत खाते में जमा राशि यदि 7.50**%** की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित होती तो ₹91718 की ब्याज से आय होती परन्तु वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण लगभग ₹43658 की ब्याज आय की हानि उठानी पड़ी जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थीः–

बैंक का नाम व बचत खाता सं0	**4% की दर से अर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि (₹)**			**7.50% की दर से ब्याज राशि जो अर्जित होती**	**ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि**
	अवधि	**ब्याज की राशि (₹)**			
यूको बैंक, निगम विहार, खाता संख्या 09810100008419	1.4.15 से 31.3.16	6.7.15	20540	91718	43658
		4.1.16	27520		
		योग	**48060**		

अतः उक्त वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जमा अतिरिक्त राशियों को सावधिक जमा योजना में निवेश करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व उपदान निधि की वित्तीय स्थिति और भी सुदृढ़ हो।

(5) उपदान निधि की खाता बही का निर्माण न करनाः–

उपदान निधि के लिए अलग से रोकड़ बही का रख–रखाव तो किया गया था किन्तु खाता बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में निधि की वित्तीय विवरणियों में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए शेषों की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेख को तुरन्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि उपदान निधि से सम्बन्धित समस्त लेखों की

अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव हो सके व साथ में किसी भी प्रकार की अनियमितता से भी बचा जा सके।

(6) तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार न करना:–

उपदान निधि के वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रुप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र में वित्तीय वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र की मदें/राशि नहीं दर्शाई गई थी जबकि व्यवसायिक लेखा पद्धति के नियमानुसार ऐसा करना आवश्यक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार तुलन पत्र की सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में दर्शाकर तुलन पत्र तुलनात्मक रुप (Comparative Form) में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(7) रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ का ऋणात्मक अन्तशेष वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्रेषित न करने सम्बन्धी अनियमितता:–

रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ का ऋणात्मक अन्तशेष (–) ₹8 था किन्तु इस शेष को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्रेषित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। वैसे भी रोकड़ का कभी भी शेष ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उचित समाधान किया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये।

7 हिमुडा कर्मचारी Leave Encashment निधि:–

हिमुडा द्वारा कर्मचारी Leave Encashment निधि के वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित **परिशिष्ट "ङ"** द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र (Balance Sheet) आय–व्यय खाता व वित्तीय विवरणियों का उपलब्ध करवाये गए अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/36 दिनांक 27.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित

अनियमितताओं का यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:–

(1) कर्मचारी Leave Cashment निधि की रोकड़/खाता बही का निर्माण न करना:–

Leave Encashment निधि के लिए अलग से रोकड़ व खाता बही का निर्माण नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 तक के पैरा संख्या 7 (क) द्वारा भी अवगत करवाया गया था किन्तु उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि उक्त वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेख को तुरन्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि Leave Enchament निधि से सम्बन्धित समस्त वित्तीय लेन–देन की अंकेक्षण मे सत्यापना सम्भव हो व साथ में किसी भी प्रकार की अनियमितता से भी बचा जा सके।

(2) Leave Encashment Fund से सम्बन्धित विभिन्न लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के लेन–देन का अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:–

Leave Encashment Fund से सम्बन्धित प्रस्तुत की गई वित्तीय विवरणियों अर्थात आय व व्यय खाता तथा तुलन पत्र का अंकेक्षण करने हेतु अपेक्षित अभिलेख जैसे आय–व्यय वाउचर, रोकड़ बही व खाता बही तथा आय व व्यय खाते में निम्न वर्णित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के लेन–देन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/विवरण इत्यादि अंकेक्षण को बार–बार आग्रह करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में निधि से सम्बन्धित लेन–देन व वित्तीय विवरणियों की अंकेक्षण में अपेक्षित सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

लेखा शीर्षक	राशि (₹)	विवरण
Increase in NAV during 2015-16	1546371.58	आय व व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया गया है
Kotak life (Note :- Investment receved from HIMUDA main fund)	20000000	आय व व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया गया है
Reimbursed to HIMUDA (Note:- main fund)	300000	आय व व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया गया है

HDFC (Note:- Investment encashed & transferred to HIMUDA main fund)	20300000	आय व व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया गया है

(3) तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार न करनाः–

Leave Encashment Fund के वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक (Comparative Form) रूप में तैयार नहीं किया गया था अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र में वित्तीय वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र की मदों के शेष नहीं दर्शाए गए थे जबकि व्यवसायिक लेखा पद्धति के नियमानुसार ऐसा करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 तक के पैरा संख्या 7 (ख) द्वारा भी अवगत करवाया गया था किन्तु उसके बावजूद भी कोई कार्यावही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार तुलन पत्र की सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में दर्शाकर तुलन पत्र तुलनात्मक (Comparative Form) रूप में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(4) Leave Encashment निधि के लेखों व वित्तीय विवरणियों में ₹312.10 लाख की Leave Enchament भुगतान की राशि का लेखांकन न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा के वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा का अवलोकन करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने एवं सावधिक जमा (FDR) में निवेश की एवज में ₹31209550 का भुगतान किया गया था किन्तु Leave Encashment Fund के वर्ष 2015–16 के लेखों व वित्तीय विवरणियों में वर्णित भुगतान की राशि का लेखांकन ही नहीं किया गया था जैसा कि निधि के तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा से भी स्पष्ट विदित होता है कि इसमें Leave Encashment के भुगतान की राशि को अधिकता, निधि का जमा व दायित्वों की राशि को निधि की वित्तीय विवरणियों में वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया है तथा इस कारण से वर्णित तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा निधि की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। अतः लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके वित्तीय विवरणियों को सही किया जाए ताकि विवरणियों से Leave Encashment निधि की सही स्थिति परिलक्षित हो।

8 बैंक समाधान विवरणः–

(1) ₹1389.33 लाख का बैंक समाधान न करनाः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान हिमुडा मुख्यालय द्वारा 24 विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों का परिचालन किया गया था। दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में केवल 18 बैंकों की ही बैंक समाधान विवरणियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जोकि **परिशिष्ट "च"** पर संलगन हैं तथा जिनके सम्बन्ध में टिप्पणियों/आपत्तियों सहित विवरण निम्न दिया गया है। किन्तु निम्न वर्णित शेष 6 बैंकों की समाधान विवरणियाँ अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/2 दिनांक 22.7.2017, 3 दिनांक 8.8.2017 15 दिनांक 1.9.2017, 23 दिनांक 12.9.2017 व 32 दिनांक 19.9.2017 द्वारा तथा बार–बार मौखिक रूप से मांगने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष में अन्तर ₹138932805.80 की अपेक्षित सत्यापना अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना तथा इतनी अधिक राशि का लेखों में समाधान/समाशोधन न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर चिन्ता का विषय भी है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई गम्भीर त्रुटि व अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 रोकड़ बही एवं बैंक शेष में अन्तर की ₹138932805.80 का शीघ्र समाधान/समाशोधन भी सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला हिमुडा के उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु विशेष रूप से लाया जाता हैः–

क्र0सं0	बैंक का नाम तथा खाता सं0	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक के अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)	अभियुक्ति/टिप्पणी
1	HDFC (Current A/C) 05242320000112	876157.21	1066088.21	189931	बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
2	Axis Bank (Current A/C) 050010200000912 Axis Bank (Saving A/C)	376146.09	1989976.29 5288946.47	6902776.67	

	050010100045225				
	जोड़	376146.09			
3	UBI Bank 309504010018077	8376203.45	79626153. 77 Cr.	71249950.32	
4	UBI Bank 309504010032037	79246680 (Dr.)	133318894 (Dr.)	54072214	बैंक ओवरड्राफ्ट का डेबिट बैलेन्स हिमुडा की लेजर (Ledger) खाता ओवर ड्राफ्ट अगेन्स्ट एफ0डी0आर0 से लिया गया है
5	Uco Bank 09810200000049	1731318.66	8227680.63	6496361.97	
6	पंजाब नैशनल बैंक कुसुम्पटी, शिमला	21571.84	बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	21571.84	न तो बैंक खाता संख्या उपलब्ध करवाया गया और न ही बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया
		कुल जोड़ (1) से (6) तक		**138932805.80**	

(2) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी माल शिमला (मुख्य खाता संख्या 10835924576 चालू खाता) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
1918534.71	1917904.71	630

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी वर्ष 2015–16 के अवलोकन से विदित हुआ कि इस खाते में कोई भी लेन–देन नहीं किया गया था जिससे यह खाता निष्क्रिय प्रतीत होता है कि जैसा कि बैंक द्वारा खाते के रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹630 वसूल करने से भी स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा प्रभारित ₹630 की रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः ₹630 के बैंक प्रभार की रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टि करके रोकड़ बही व बैंक शेष में अन्तर का समाधान करने के अतिरिक्त वर्णित बैंक

खाते का रख–रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बैंक खाते को बन्द करके इसमें जमा राशि को अन्य बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाए ताकि शेष जमा राशि का उपयोग हो सके व बिना लेन–देन करने के लिए अनावश्यक प्रभार के भुगतान से भी बचा जा सके।

(3) पंजाब एंड सिंध बैंक, द रिज शिमला (खाता संख्या 01711100001102)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
शून्य	शून्य	शून्य

प्रस्तुत किए गए अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि वर्णित बैंक खाते को दिनांक 10.9.2015 को इस में जमा ₹228184.54 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाता संख्या 309504010018077 में हस्तांततरण करके बन्द कर दिया गया था। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से की गई है।

(4) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, दी मॉल शिमला (खाता संख्या 635305000168)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
394084.17	394084.17	शून्य

(5) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, दी मॉल शिमला (चालू खाता संख्या 635305001255)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
645018.64	661810.64	16792

उक्त अन्तर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹16792 के जारी चैक का बैंक द्वारा भुगतान न करनाः–

हिमुडा द्वारा चैक संख्या 828383 दिनांक 6.9.2014 ₹16792 भुगतान हेतु जारी किया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक बैंक से वर्णित चैक का भुगतान नहीं हुआ था अथवा

भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत जाने के कारण वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तु स्थिति का पता लगाकर या तो उक्त चैक की तिथि को नवीनीकरण (Revalidate) किया जाए अन्यथा चैक की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाए।

(6) केनरा बैंक, दी मॉल शिमला (चालू खाता संख्या 1964201000311)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
88429	88489	60

(क) उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अनुसार हिमुडा द्वारा जारी चैक संख्या 700536 दिनांक 4.8.2014 ₹60 भुगतान हेतु जारी किया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक बैंक से वर्णित चैक का भुगतान नहीं हुआ था अथवा भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत जाने के कारण वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तुस्थिति का पता लगाकर या तो उक्त चैक की तिथि का नवीनीकरण (Revalidate) किया जाए अन्यथा चैक की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाये।

(7) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट), शाखा हि0प्र0 सचिवालय (खाता संख्या 55069385958)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
1114283.31	2763986.31	1649703

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹1588239 का समाधान न करनाः–

₹1588239 बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ बही में जमा की कोई प्रविष्टि नहीं थी। विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी अनुसार निम्नलिखित राशियाँ बैंक द्वारा

समय–समय पर दिये गये ब्याज तथा बैंक में सीधे जमा करवाई गई धन राशियों से सम्बन्धित है जिनका लेखांकन दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही में नहीं किया गया थाः–

क्रमांक	दिनांक	राशि (₹)
1	बैंक में जमा 16.1.2011	49500
2	Cr. given by bank on 17.2.2014 (Instalment demand survey)	511000
3	ब्याज 30.6.2013	27751
4	ब्याज 31.12.2013	28361
5	ब्याज 30.6.2014	308519
6	ब्याज 31.12.2015	124691
7	Cash deposit 12.7.14	33967
8	Cash TRF NEFT 28.7.14	53124
9	Cash TRF NEFT 4.8.14	39538
10	Cash TRF NEFT 5.8.14	39538
11	ब्याज 30.6.15	41239
12	ब्याज 31.12.15	66611
13	Cash deposit on 29.7.15, 4.8.15, 28.1.16 & 4.2.16	264400
	कुल जोड़	**1588239**

अतः उपरोक्त समस्त ₹1588239 का विस्तृत विवरण दर्शाने के साथ–साथ पूर्ण छानबीन उपरान्त रोकड़ बही में वर्णित जमा राशियों का आवश्यक लेखांकन करके समाधान करना भी सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹0.17 लाख का समाधान न करनाः–

₹16688 बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात से राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी। विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंक में दिनांक 21.9.2012 को ₹11030 व ₹5658 की राशियाँ गलत नाम (डेबिट) की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹168 का समाधान न करना:–

बैंक द्वारा ₹168 (68+100) दिनांक 12.7.14 को बैंक प्रभार के रूप में नाम (Debit) की गई थी जिसका दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही मे कोई लेखांकन नहीं किया गया था। अतः अब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अन्तर का समाधान किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) ₹0.78 लाख का लेखों में समाधान न करना:–

हिमुडा द्वारा चैक संख्या 362838 दिनांक 31.1.14 चैक संख्या 435569 दिनांक 1.10.14 =₹30 चैक संख्या 435586 दिनांक 31.10.14 =₹90 ₹78200 का भुगतान हेतु जारी किए गए थे परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक बैंक से वर्णित चैक का भुगतान नहीं हुआ था अथवा भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि लगभग 1½ से 2 वर्ष तक का समय बीत जाने के कारण वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुके हैं इसलिए इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तु स्थिति का पता लगाकर या तो उक्त चैकों की तिथि का नवीनीकरण (Revalidate) किया जाए अन्यथा चैकों की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाएं तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8) पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य शाखा दी मॉल शिमला (चालू खाता संख्या 0427002100503905)

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
314997.74	29179474.74	23203

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹23145 के समाधान/प्राप्ति का अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:–

₹23145 बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी अनुसार यह राशियाँ रोकड़ बही में दो बार अर्थात प्रथम दिनांक 17.11.2015 को रसीद संख्या 515187 व तदोपरान्त वाउचर संख्या 2147 दिनांक 31.3.2016 द्वारा प्राप्त दशाई गई थी परन्तु हिमुडा द्वारा सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख न करवाने के कारण इसकी अंकेक्षण में

पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके वर्णित प्रविष्टियों की सत्यापना सुनिश्चित की जाए।

(ख) ₹58 का समाधान न करना:–

₹58 बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशि बैंक द्वारा दिनांक 19.10.2015 को डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में इस राशि की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन उपरान्त भुगतान की सत्यापना करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(9) Indus Ind. बैंक (चालू खाता संख्या 200009262878 व 201000100578)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
1193508.75	1) 686668.75 2) 242715.00	264125

उक्त अन्तर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:–

(क) ₹2.70 लाख के जमा करवाए गए ड्राफ्ट का बैंक द्वारा जमा (क्रेडिट) प्रदान न करना:–

ड्राफ्ट संख्या 321384 दिनांक 17.10.2015 द्वारा प्राप्त ₹270000 दिनांक 19.10.2015 को वाउचर संख्या 1109 के माध्यम से बैंक में जमा करवाई गई थी परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक इसके एवज में जमा (क्रेडिट) प्रदान नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि लगभग 6 माह का समय व्यतीत हो चुका है और इतने समय में ड्राफ्ट कालातीत हो जाता है। अतः बैंक द्वारा ड्राफ्ट ₹270000 का जमा (क्रेडिट) न देने सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए तथा राशि का जमा प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(10) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला (खाता संख्या 30281134983)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
शून्य	3117	3117

(क) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में ₹3117 का अन्तर है जोकि बैंक द्वारा दिनांक 25.12.2015 को दिये गये ब्याज जमा का है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में रोकड़ बही में लेखांकन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

(11) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुख्य शाखा (सेविंग बैंक खाता संख्या 55012850093)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
शून्य	शून्य	शून्य

उक्त बैंक खाता दिनांक 10.9.2015 को बन्द कर दिया गया था।

(12) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा छोटा शिमला (खाता संख्या 40620100386)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
571233	574312	3079

हिमुडा द्वारा दिनांक 8.2.2016,14 व 15.3.2016 को जारी ₹3079 के चैक दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(13) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा छोटा शिमला (खाता संख्या 40620100386)

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
792099	792129	30

(क) हिमुडा द्वारा चैक संख्या 8368088 दिनांक 2.9.2015 ₹30 भुगतान हेतु जारी किया गया था जोकि दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूँकि लगभग 6 माह से अधिक का समय बीत जाने के कारण वर्णित चैक अब कालातीत हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तुस्थिति का पता लगाकर या तो एक्त चैक की तिथि नवीनीकरण (Revalidate) की जाए अन्यथा चैक की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(14) आई0डी0आई0आई0 बैंक (खाता संख्या 139102000000198)

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
1994106	1994251	145

उक्त अन्तर के सम्बन्ध मे ंप्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) ₹150 के कालातीत हो चुके चैकों का समाधान न करनाः–

₹150 बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात यह राशि, हिमुडा द्वारा वर्ष 2014–15 में जारी किए गए चैकों से सम्बन्धित थी जोकि भुगतान हेतु दिनांक 31.3.2016 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तुस्थिति का पता लगाकर या तो उक्त चैकों की तिथि नवीनीकरण (Revalidate) की जाये अन्यथा चैकों की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹5 का समाधान न किया जानाः–

बैंक द्वारा ₹5 दिनांक 22.9.2015 को बैंक प्रभार के रूप में डेबिट की गई थी जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में अब आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(15) यस बैंक, टॉलैंड, शिमला (सेविंग बैंक खाता संख्या 009194600000263)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
1480538.77	1586014.73	105475.96

उक्त अन्तर के सम्बन्ध मे ंप्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) ₹105475.96 का समाधान न करना:–

बैंक समाधान विवरणी में दिये गये विवरण अनुसार ₹105475.96 का बैंक द्वारा वर्ष 2015–16 में ब्याज का जमा प्रदान किया गया था जिसकी दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही मे कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में अब रोकड़ बही में लेखांकन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(16) एक्सिस बैंक, कुसुम्पटी (एक्सिस बैंक खाता संख्या 915020002218064) ESCROW

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
एक्सिस बैंक (Axis Bank, ESCROW)	47305610	47305610	शून्य

(17) एक्सिस बैंक (डिमांड सर्वे) शिमला (खाता संख्या 913020033903971 चालू खाता)

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
763559	1531795.48	768236.48

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न अनियमितताएं पाई गई:–

(क) ₹990500 के कालातीत हो चुके जारी चैकों का दिनांक 31.3.2016 तक समाधान न करना:–

हिमुडा द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में निम्न विवरण अनुसार विभिन्न चैक भुगतान हेतु जारी किए गए थे परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक बैंक से इन चैकों को भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुके है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त देनदारी की वस्तुस्थिति का पता लगाकर या तो भुगतान चैको ंका नवीनीकरण (Revalidation) किया जाए अन्यथा चैकों की Reverse

प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

क्रमांक	चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹ में)
1	103631	19.8.13	4500
2	103887	18.12.13	4500
3	103969	28.1.14	4500
4	817002	31.1.14	4500
5	817097	28.2.14	4500
6	807123	28.2.14	4500
7	(25X4500)	2014—15	1125000
8	(4500X116) व (5875X56)	2015—16	851000
		कुल योग	**990500**

(ख) ₹13500 के जमा करवाए गए ड्राफ्ट का बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया जानाः—

वर्ष 2013—14 में ₹9000 व ₹4500 के चैक/ड्राफ्ट बैंक मे जमा करवाए गए थे परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक इसके एवज में जमा (क्रेडिट) प्रदान नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और इतनी अवधि में ड्राफ्ट/चैक कालातीत हो जाता है। अतः बैंक द्वारा ड्राफ्ट/चैक ₹13500 का जमा (क्रेडिट) न देने सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए तथा राशि का जमा प्राप्त करने हेतु यथोचित करवाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹851.12 का समाधान न किया जानाः—

बैंक द्वारा वर्ष 2015—16 की बैंक समाधान विवरणी में दिये गये विवरण अनुसार ₹786.12 तथा ₹65 बैंक प्रभार के रूप में डेबिट की गई थी जिसका लेखांकन दिनांक 31.3.16 तक रोकड़ बही में नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध मे अब आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) ₹61012 का बैंक समाधान न करनाः—

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार दिनांक 20.10.2015 को ₹61012 बैंक द्वारा जमा की गई तथा रोकड़ बही में दिनांक 31.3.16 तक इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि प्राप्ति

कालम में नहीं पाई गई थी और न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बैंक से इस लेन–देन की पूर्ण छानबीन करके ₹61012 की जमा राशि की सत्यापना करने के उपरान्त इस का आवश्यक समाधान/लेखांकन लेखों में किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) ₹79466 का बैंक द्वारा कम जमा (क्रेडिट) प्रदान करनाः–

दिनांक 21.10.215 को ₹79466 बैंक में जमा करवाई गई थी परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक इसके एवज में जमा (क्रेडिट) प्रदान नहीं किया गया था। अतः बैंक द्वारा उक्त वर्णित ₹79466 का जमा (क्रेडिट) न देने सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए तथा राशि का जमा प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) ₹207000 का समाधान न करनाः–

वाउचर संख्या 1386 दिनांक 4.12.2015 व 1583 दिनांक 01.01.2016 द्वारा रोकड़ बही में एक्सिस बैंक खाता संख्या 45225 से क्रमशः ₹112500 तथा ₹94500 का भुगतान किया गया दर्शाया गया था जबकि वास्तव में उपरोक्त वर्णित राशियाँ एक्सिस बैंक खाता संख्या 913020033903971 से भुगतान की गई थी जिसका समाधान 31.3.2016 तक नहीं किया गया था। अतः इस लेन–देन का मामला बैंक से उठाकर आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(18) एक्सिस बैंक (तहसीलदार हिमुडा, शिमला (खाता संख्या 916010006622432 बचत खाता)

दिनांक 31.3.2016 को तहसीलदार हिमुडा की रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
38880962	50079507	11198545

(क) उपरोक्त अन्तर के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरणी अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान माह फरवरी व मार्च, 2016 में तहसीलदार हिमुडा द्वारा ₹11198482 के चैक भुगतान हेतु जारी किए थे जोकि दिनांक 31.3.2016 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। वास्तविकता में वर्णित चैक दिनांक 31.3.2016के उपरान्त बैंक से भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए थे।

इसके अतिरिक्त ₹63 बैंक खाते में अधिक पाये गये, जिसका समाधान दिनांक 31.3.2016 तक नहीं किया गया था। अतः बैंक में अधिक जमा ₹63 की सत्यापना उपरान्त, इसका आवश्यक समाधान/लेखांकन लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 विभिन्न बैकों द्वारा हिमुडा के बैंक खातों से किए गए ₹10.99 लाख के भुगतान को बिना छानबीन के स्वीकार करने सम्बन्धी अनियमितताः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणियों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न भुगतान वाउचरों द्वारा ₹1098604 को हिमुडा बैंक खातों से भुगतान दर्शाया गया था तथा वर्णित भुगतान को लेखों में शीर्ष Unclassified Receipt में डेबिट किया गया था। उक्त भुगतान का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वास्तविकता में यह राशियाँ पिछले कई वर्षों में विभिन्न बैकों द्वारा हिमुडा के बैंक खाते में नाम (Debit) की गई थी परन्तु रोकड़ बही में इस प्रकार का कोई भुगतान नहीं दर्शाया गया था और अब हिमुडा द्वारा केवल बैंक खाते व रोकड़ बही के शेष को मिलाने हेतु इन भुगतान राशियों को शीर्ष Unclassified Receipt के नाम (Debit) करते हुये भुगतान दर्शाया गया, जो अपने–आप में ही अनियमित है क्योंकि बैंकों द्वारा विवरणियों में दर्शाये गये भुगतान को स्वीकार करने से पूर्व आवश्यक छानबीन की जानी अपेक्षित थी कि वास्तविकता में वर्णित भुगतान हिमुडा से ही सम्बन्धित है या नहीं? और यदि यह भुगतान हिमुडा से ही सम्बन्धित था तो इस भुगतान की प्रकृति क्या थी तथा यह किसे किया गया था और रोकड़ बही में किन परिस्थितियों में भुगतान कि प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी इत्यादि ताकि भुगतान राशि को Unclassified Receipt शीर्ष की अपेक्षा उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता, परन्तु ऐसी कोई भी छानबीन/प्रक्रिया न अपनाकर केवल बैंक समाधान हेतु भुगतान को स्वीकार करना और लेखों में अवर्गीकृत शीर्ष क अन्तर्गत वर्गीकृत करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि ऐसे में दो बार भुगतान व बिना दायित्व के भुगतान करने की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकताः–

क्रमांक	वा0सं0 व तिथि	बैंक का नाम	भुगतान दर्शाई गई राशि	टिप्पणी
1	2174 दिनांक 31.3.2016	एस0बी0आई0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	494882	उक्त राशि बैंक द्वारा डेबिट की गई थी इसलिए हिमुडा द्वारा बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
2	2175 दिनांक 31.3.2016	एस0बी0आई0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	3777	—यथोपरि—
3	2176 दिनांक 31.3.2016	एस0बी0आई0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	298382	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
4	2182 दिनांक 31.3.2016	पी0एन0बी0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	2370	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
5	2183 दिनांक 31.3.2016	पी0एन0बी0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	39271	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
6	2184 दिनांक 31.3.2016	एस0बी0पी0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	5230	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
7	2185 दिनांक 31.3.2016	केनरा बैंक	30000	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई

8	2186 दिनांक 31.3.2016	एस0बी0पी0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	113940	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
9	2187 दिनांक 31.3.2016	इंडस इंड बैंक	52352	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
10	2188 दिनांक 31.3.2016	पी0एन0बी0 (SBI) शिमला मुख्य शाखा	38400	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
11	2189 दिनांक 31.3.2016	इंडस इंड बैंक शिमला	20000	बैंक मिलान हेतु सत्यापन किए बिना राशि रोकड़ बही में भुगतान दर्शाई गई
		कुल योग	**1098604**	

अतः यह प्रकरण हिमुडा प्राधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करते हुये वस्तुस्थिति का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता की पुनरावृति पर पूर्ण अंकुश लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 मुख्य कार्यालय सावधि लेखाः–

मुख्य कार्यालय के सावधि जमा लेखा का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

10.1 सावधि निवेश से सम्बन्धित सूचना सावधि निवेश रजिस्टर व तैयार शैडयूल में स्वतः स्पष्ट रूप से न दर्शानाः–

हिमुडा द्वारा समय–समय पर सावधि निवेशों से सम्बन्धित रख–रखाव किए गए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निवेशी से सम्बन्धित सूचना यथा लागू ब्याज दर, निवेश अवधि, परिपक्वता पर प्राप्त/बैंक द्वारा दी गई राशि, पुनः निवेश की स्थिति में लागू

ब्याज दर समय अवधि का स्वतः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था जिसके कारण सावधि जमा बारे पूर्ण/सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती जिसके परिणाम स्वरुप अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना भी सम्भव नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त पुनः निवेशित राशियों की स्थिति के सम्बन्ध में तैयार किए गए शैडयूल में पूर्व अवधि बारे उचित सूचना न दर्शाकर केवल वर्तमान सूचना का ही उल्लेख किया गया है यद्यपि इस सम्बन्ध में गत वर्षों से लगातार आपत्तियाँ उठाई जा रही है परन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा हिमुडा की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता के समाधान हेतु अविलम्भ अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10.2 हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों में सावधिक जमा पर प्राप्य ब्याज (Interest receivables on FDRs) से ₹45.07 लाख का कम लेखांकन करनाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत सावधिक जमा विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹48355870 (As per FDR schedule **परिशिष्ट "छ"**) की राशि सावधिक जमा पर ब्याज (interest receivables on FDRs) हेतु प्राप्य थी जिसमें से ₹4506922 स्त्रोत पर आयकर काटकर ₹43848948 की शुद्ध ब्याज राशि प्राप्त हुई जिसे सावधिक जमा में पुनः निवेशित दर्शाया गया था किन्तु उक्त लेन–देन को जोर्नल (Journal) वाउचर संख्या 78 दिनांक 31.3.2016 द्वारा अन्तिम लेखों में वर्गीकृत करते समय लेखा शीर्ष ब्याज आय को ₹48355870 की अपेक्षा केवल ₹43848948 से जमा (क्रेडिट) तथा लेखा शीर्ष सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज (Interest receivable on FDRs) को ₹20115681 और एफडीआर पर वास्तविक ब्याज प्राप्ति (Actual interest receipton FDR) को ₹23733267 नाम (Dr.) की गई थी जोकि ₹4506922 कम थी अर्थात जो राशि TDS on interest receipt के रूप में लेखांकित की जानी थी उस राशि की कोई प्रविष्टि अन्तिम लेखों में वर्गीकृत न करने के कारण एक ओर शुद्ध लाभ को ₹4506922 से तथा दूसरी ओर सम्पत्तियों/current Assets को ₹4506922 से कम दर्शाया गया था। इस अनियमितता के कारण वर्ष 2015–16 की वित्तीय विवरणियाँ इस हद तक हिमुडा के क्रिया क्लाप की सही स्थिति परिलक्षित नहीं

करती है तथा जिसका समाधान अन्तिम लेखो में त्रुटियों का उचित लेखांकन करके सुनिश्चित किया जाए।

10.3 तुलन पत्र में Overdraft against FDR ₹792.47 लाख को सावधिक जमा लेखाशीर्ष के अन्तर्गत समाहित करके छुपाने सम्बन्धी अनियमितताः–

अंकेक्षण के दौरान सावधिक जमा लेखा शीर्ष से सम्बन्धित अनुसूची XXV व तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि Overdraft FDR ₹79246680 की देनदारी को तुलन पत्र के दायित्व पक्ष मे नहीं दर्शाया गया था बल्कि इस राशि को परिसम्पत्ति पक्ष में निवेश शीर्ष के अन्तर्गत सावधिक जमा के शेष को घटाकर शुद्ध राशि को सावधिक जमा लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार तुलन पत्र में चालू दायित्व तथा परिसम्पत्तियों को वास्तविकता से कम दर्शाया गया हैः–

लेखा शीर्ष	वास्तविक राशि (₹)	दर्शाई गई राशि (₹)	अन्तर (₹)	अभियुक्ति
Fixed Deposit (Asset)	619486162 Dr.	540239482 Dr.	79246680 Cr.	Understatement of assets in the Assets Side of the Balance sheet
Overdraft against FDR (Liability)	79246680 Cr.	Nil	79246680 Cr.	Understatement of liability in the Balance sheet

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए।

11 दिनांक 31.03.2016 तक ₹113.00 लाख के विभिन्न अग्रिमों की वसूली/समायोजन न करने बारेः–

तुलन पत्र (Balance Sheet) के साथ विभिन्न अग्रिमों की पड़ताल संलग्न Schedule-XXXVII, Loans & Advances के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियाँ विभिन्न

अग्रिमों के रूप में पिछले वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में यह राशियाँ कब से व किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 के द्वारा इस धनराशि को वसूल करने सम्बन्धी विशेष प्रयासों बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना/प्रत्युत्तर हिमुडा से प्राप्त नहीं हुआ। अतः अग्रिमों के वास्तविक भुगतान का तिथिवार विवरण तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹11299691.28 Dr. के वर्णित विभिन्न अग्रिमों की दण्ड ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए जो इन अग्रिमों को समायोजित करवाने के लिए जिम्मेदार थेः–

अग्रिम का विवरण	**प्रारम्भिक शेष 1.4.15 (₹)**	**अन्तशेष 31.3.16 (₹)**	**अभियुक्ति**
		LTC ADvance	
Dharamshala Division	1500 Dr.	1500 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
		Medical Advance	
HIMUDA Head Office Professional Course Advance	14472.57 Dr. 75000 Dr.	14472.57 Dr. 75000 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
		Pay Advance	
Dharamshala Division Parwanoo Division	1572 Dr. 3191 Dr.	1572 Dr. 3191 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
		TA Advance	
Manadi Division Parwanoo Division HIMUDA Head Office (TTA)	1115851 Dr. 9471.35 Dr. 3078 Dr.	1125262 Dr. 9471.35 Dr. 3078 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए

HIMUDA Head Office (TA)	130364.15 Dr.	130164.15 Dr.	
		Festival Advance	
HIMUIDA Head Office	1667 Dr.	1517 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
Parwanoo Division	1700 Dr.	1700 Dr.	
Hamirpur Electric Division	750 Dr.	750 Dr.	
Mandi Division	600 Dr.	600 Dr.	
	House Building Advance		
Dharamshala	136592 Dr.	130331 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
Shimla Division-I	1627914 Dr.	1627914 Dr.	
Electric Division Shimla	1097785 Dr.	994511 Dr.	
Parwanoo Division	174589 Dr.	157909 Dr.	
HIMUDA Head Office	2966744 Dr.	2844193 Dr.	
	Motor Car/Scooter Advance		
Shimla Division-I	130234 Dr.	130234 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
Shimla Division-II	12742 Dr.	12742 Dr.	
Electric Division Shimla	46400 Dr.	46400 Dr.	
Parwanoo Division	11561 Dr.	11561 Dr.	
	Staff Advance		
Dharamshala	912507 Dr.	912507 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
Shimla Division-I	438859 Dr.	438859 Dr.	
Shimla Division-II	80052 Dr.	63217 Dr.	
Parwanoo Division	49931 Dr.	49931 Dr.	
HIMUDA Head Office Shimla	1137984.46 Dr.	2095697.46 Dr.	
Education Loan & Advance HIMUDA H.P. Shimla	127500 Dr.	108750 Dr.	
Imprest A/C Tehsildar, HPHB	1000 Dr.	1000 Dr.	
Sh. Kailash Chander, Driver (Misc. Deposit A/C PWN)	1000 Dr.	1000 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
	3000 Dr.	3000 Dr.	
	Warm cloth advance		
Dharamshala Division	63433 Dr.	97263 Dr.	
Electric Division	9279 Dr.	30429 Dr.	वर्ष 2015–16 के दौरान

Hamirpur			समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए
Shimla Division-I	72460 Dr.	84706 Dr.	
Shimla Division-II	27975 Dr.	39450 Dr.	
HIMUDA Head Office Shimla	37308.75 Dr.	50808.75 Dr.	
कुल योग	**10525067.28 Dr.**	**11299691.28 Dr.**	

12 मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के खाते में दिनांक 31.03.2016 तक अग्रिम ₹3.44 लाख का समायोजन शेषः–

लेखा शीर्ष "Advance to Printing & Stationery Deptt." Schedule-XL Loans & Advances) के अवलोकन करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम दिनांक 31.03.16 तक ₹343649.94 समायोजन हेतु शेष थी तथा वर्ष 2003–2004 से इस राशि की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

खाता बही पृ0सं0	वित्तीय वर्ष	अग्रिम राशि (₹ में)	वर्ष में समायोजित	वर्षान्त में बकाया राशि
485	2003–2004	166342.94	101740.00	64602.94
491	2004–2005	185593.00	206307.00	43888.94
404	2005–2006	200000.00	181218.00	62670.94
121	2006–2007	250000.00	239020.00	73650.94
472	2007–2008	375000.00	314135.00	134515.94
437	2008–2009	350000.00	139788.00	344727.94
562	2009–2010	300000.00	286756.00	357971.00
523	2010–2011	150000	135896.00	372075.00
445	2011–2012	200000	280389.00	291686.94
शैडयूल XXII	2012–2013	255000	268864.00	277822.94
शैडयूल XXXII	2013–2014	80000	171979.00	185843.94
अनुसूची XL	2014–2015	185843.94	102194.00	83649.94
अनुसूची XL	2015–2016	260000	0.00	343649.94

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अग्रिम राशियों का भुगतान उनके पास शेष राशि होने पर भी किया गया था जो दिनांक 31.03.2016 तक ₹343649.94 था। अतः इस राशि का समायोजन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों के साथ लम्बी अवधि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी राशि के समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवश्यक छानबीन एवं निपटारे हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस अन्तिम शेष बारे मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश से वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे इस अन्त शेष की सत्यता, प्रमाणित हो सके।

13 आयकर की असमायोजित दायित्व ₹1341.18 का निर्धारण/समायोजन न करवानाः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet में दर्शाए गए Current Assets से सम्बन्धित अनुसूची–XXXII (Schedule-XXXII) में ₹134117808.98 "Income Tax Recoverable From IT Department" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार यह राशि वित्तीय वर्ष 2005–06 से लम्बित चली आ रही है तथा इतनी बड़ी राशि का आयकर विभाग को विभिन्न वर्षों के दौरान स्त्रोत/अग्रिम रूप में भुगतान करना और लम्बे समय तक आयकर विभाग के साथ अपनी आयकर देनदारी का निर्धारण नहीं करना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह प्रकरण आवश्यक

कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि वर्णित स्त्रोत/अग्रिम आयकर भुगतान के सम्बन्ध में गणना विवरण बनाकर आयकर के अन्तिम कर निर्धारण हेतु मामला आयकर विभाग से उठाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाएः–

Detail of Income Recoverable from IT Department

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तशेष (₹)
TDS Recoverable from IT Deptt.	122245.31 Cr.	195871.31 Cr.
Income Tax on Colony (JNNURM)	16688 Cr.	16688 Cr.
Income Tax Recoverable From A.Y. 2006-07	5000000 Dr.	5000000 Dr.
Income Tax Recoverable From IT Deptt. (2009-10)	19009532 Dr.	19009532 Dr.
Income Tax Recoverable From IT Deptt. (2010-11)	5026443 Dr.	5026443 Dr.
Income Tax Recoverable From IT Deptt. (2011-12)	3501696 Dr.	3501696 Dr.
Income tax Refund IT Deptt. A.Y. 2007-08)	8127140 Cr.	8127140 Cr.
TDS for the year 2013-14	4336314 Dr.	4336314 Dr.
TDS for the Year 2014-15	4365689 Dr.	4365689 Dr.
TDS on FDR Year 2012-13	3648755 Dr.	3648755 Dr.
Income Tax on Colonies Rec. From IT Deptt. (2004-05)	97969079.29 Dr.	97569079.29 Dr.
कुल योग	**134191434.98 Dr.**	**134117808.98 Dr.**

14 दिनांक 31.3.16 तक आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट ₹47.77 लाख वसूली हेतु शेषः–

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकारण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्शियल दुकानो एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट की राशि प्रति वर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित है। ग्राऊंड रेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख व **परिशिष्ट "ज"** द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि आबंटियों से दिनांक 31.3.2016 तक ₹4776837 वसूली हेतु शेष थी विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतम राशियाँ गत 20 वर्षो से लम्बित चली आ रही है जिसका मुख्य कारण वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ग्राऊंड रैन्ट की वसूली हेतु वर्णित शेष ₹4776837 का लेखांकन अन्तिम लेखों व तदानुसार तुलन पत्र (बैलेन्स

शीट) में भी नहीं किया था जोकि अनियमित है क्योंकि इस कारण तुलन पत्र एवम लाभ–हानि खाता हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनो में भी इस सन्दर्भ में यह आपत्ति लगातार उठाई जा रही है इसके बावजूद भी वर्णित अनियमितता के समाधान हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः तुलन पत्र में बकाया/अदत आय को न दर्शाए जाने तथा अनेक वर्षों सें लम्बित चली आ रही ग्राऊंड रैनट की वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में लम्बित आय की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

15 विभिन्न आवासीय बस्तियों में आबंटित प्लॉट/फ्लैट के आबंटियों से देय बकाया ₹574.73 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित आबटियों से सम्बन्धित प्रकरणों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न आवासीय कलौनी में आबटित फ्लैट/प्लाट के आबंटियों से ₹57472939 की बकाया राशि कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "झ"** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली हेतु दिनांक 31.3.2016 तक कोई भी ठोस प्रयास किए गए प्रतीत नहीं होते है जबकि उक्त फ्लैट/प्लाट के आबंटन की शर्तों के अनुसार प्रावधित समय अवधि उपरान्त विक्रय राशि को प्राप्त न करने के कारण इनका आबंटन रद्द किया जाना व धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था।

अतः कलौनियों के फ्लैट/प्लाट के आबंटियों से देय ₹57472939 की वसूली ब्याज सहित करने तथा जिन आबंटियों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आबंटन नियमानुसार रद्द करके, धरोहर राशि को जब्त करने तथा रद्द किए गए फ्लैट/प्लाट को पुनः बाजार भाव पर आबंटित करने हेतु मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आवासीय कलौनियों जिनसे पिछले कई वर्षों से फ्लैट/प्लाट की विक्रय की बकाया राशि की वसूली लम्बित है, का विवरण विभागीय तौर पर तैयार करके उनके प्रकरणों मे भी नियमानुसार अपेक्षित ऐसी ही कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 धरोहर ₹58.58 लाख को जब्त न करनाः—

विभिन्न आवास बस्तियों में आबंटित प्लाट/फ्लैट से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों की खाता बहियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मुल्य ₹74344160 के आबंटित प्लाट/फ्लैट में से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को दिनांक 31.3.2016 तक केवल ₹5858000 की धरोहर राशि तो प्राप्त हो चुकी थी जबकि देय बिक्री मूल्य की किस्त ₹68486160 वसूली हेतु अभी भी शेष थी ऐसी स्थिति में आवास बस्तियों/औद्योगिक क्षेत्र के आबंटन हेतु बनाए गए निगम 12 (iii) के अनुसार "यदि आबंटियों द्वारा प्लाट/फ्लैट आबंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो उनके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त किया जायेगा। किन्तु हिमुडा द्वारा वर्णित **परिशिष्ट "ञ"** में प्लाट/फ्लैट के आबंटियों के सन्दर्भ में ऐसी कोई भी कार्यवही अमल में लाई गई प्रतीत नहीं होती है अर्थात न तो आबंटन रद्द किया गया न ही धरोहर राशि जब्त की गई थी। यदि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवही अमल में लाई जाती तो इन प्लाट/फ्लैट की पुनः नीलामी करके हिमुडा द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अब वर्णित प्लाट/फ्लैट का नियमानुसार आबंटन रद्द करके प्राप्त धरोहर राशि को जब्त किया जाये। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 लीज रेन्ट ₹16.11 लाख की कम वसूली करनाः—

इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लाट से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों की खाताबहियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि आबटियों से नियमानुसार Lease Rent की वसूली नहीं की गई थी। सम्बन्धित विवरण पुस्तिकाओं में दी गई शर्त संख्या 14 एवं 17 (5) के अनुसार इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लाट के आबंटियों से पूर्ण लागत की प्राप्ति के उपरान्त वार्षिक दर से लीज रेन्ट की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु **परिशिष्ट "ट"** में वर्णित प्रकरणों मे गत कई वर्षों से लीज रेन्ट की वसूली नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप वर्णित प्ररकणों में ही दिनाँक 31.3.2016 तक ₹1611206 देय लीज रेन्ट की वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में आबंटियों से नियमानुसार Lease Rent की

वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित देय Lease Rent की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 विभिन्न आबंटियों से ब्याज ₹7.66 लाख की वसूली न करनाः—

विभिन्न आबंटियों के चयनित प्रकरणों का प्रस्तुत सम्बन्धित खाता बहियों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि आंबटियों को प्लाटों की अन्तिम लागत निर्धारण करने के उपरान्त शेष राशि जमा करने बारे सूचित किया गया था परन्तु **परिशिष्ट "ठ"** मे ंवर्णित आबंटियों द्वारा निर्धारित किस्तों का भुगतान विलम्ब से किया गया था। किन्तु विलम्ब से जमा की गई राशियों पर हिमुडा द्वारा नियमानुसार देय ब्याज की कोई भी वसूली नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार इस तरह के मामलों में 14**%** की दर से ब्याज की वसूली की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार नियमों की अनदेखी करके आबंटियों द्वारा विलम्ब से भुगतान करने पर दिनांक 31.3.2016 तक देय ब्याज ₹765732 की वसूली नहीं की गई थी। अतः नियमानुसार वर्णित देय ब्याज की राशि की वसूली न करने बारे तथ्यों सहित या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि सम्बन्धित आबंटियों से तुरन्त वसूल की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 विभिन्न इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस/सम्पत्ति की पिछले कई वर्षों से देय बकाया ₹1817.00 लाख की आबंटियों से वसूली न करनाः—

विभिन्न इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस/सम्पत्ति के आबंटियों से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों के प्रस्तुत अभिलेख खाता बहियों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न इंडस्ट्रिलय/कमर्शियल प्लाटस/सम्पत्ति के आबंटियों से ₹181691549 की बकाया राशि कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ड"** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्णित राशि की वसूली हेतु दिनांक 31.3.2016 तक कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए प्रतीत होते हैं जबकि इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस/सम्पत्ति के आबंटन की शर्तों के

अनुसार विक्रय राशि को प्राप्त न करने के कारण इनका नियमानुसार आंबटन रद्द व धरोहर राशि को जब्त किया जाना अपेक्षित था।

अतः इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस/सम्पत्ति के आबंटियों से देय ₹181691549 की वसूली ब्याज सहित करने व जिन आबंटियों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आबंटन नियमानुसार रद्द करके धरोहर राशि को जब्त करने तथा रद्द किए गए इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस/सम्पत्ति को पुनः बाजार भाव पर आबंटित करने हेतु मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरणों जहां इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस/सम्पत्ति की विक्रय की बकाया राशि वसूली हेतु लम्बित है, का भी विवरण विभागीय तौर पर तैयार करके नियमानुसार उक्त वर्णित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 आबंटियों से वर्ष के अन्त में वसूली योग्य राशि (मूल एवं ब्याज) को लेखा शीर्षक "Account Receivables/Debtors" में शामिल न करनाः–

वर्षान्त 31.3.2016 को समस्त आबंटियों से उनको आबंटित प्लाटों/फ्लैटों से भविष्य में किश्तों के रूप में मूल प्राप्य राशि व विलम्ब से जमा राशियों पर प्राप्य ब्याज राशियों का कोई भी विवरण/शैडयूल हिमुडा द्वारा न तो तैयार किया गया था और न ही इसे तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड के "Account Receivables/Debtors" में शामिल किया गया था। चूंकि हिमुडा के अन्तिम खाते दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, इसलिए वर्षान्त में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उनसे कितनी राशि प्राप्त करने हेतु शेष है, का पूर्ण विवरण अन्तिम खातों में दिया जाना अपेक्षित है जिससे कि तुलन पत्र द्वारा हिमुडा की वास्तविक वितीय स्थिति परिलक्षित हो सके। परन्तु ऐसा कोई भी विवरण/शेडयूल तैयार न करना तथा सम्बन्धित राशि को तुलन पत्र में न दर्शाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक वर्षान्त को विभिन्न आबंटियों से प्राप्त योग्य मूल व ब्याज राशियों के विवरण/शैडयूल तैयार करके तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड के "Account Receivables/Debtors" में दर्शाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 प्लाट/फ्लैट के निरस्तीकरण/अपने–आप समर्पण करने पर शेष राशि की वापसी (Refund) के समय विलम्ब हेतु देय दण्ड ब्याज की वसूली न करने के कारण ₹79.23 लाख की हानिः–

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2016 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि Integrated Township मंधाला जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) में आबंटित प्लाट/फ्लैट के निरस्तीकरण/अपने–आप समर्पण करने पर शेष राशि की वापसी के समय उस दिन तक प्राप्ति योग्य राशि पर देय दण्ड ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जबकि सम्बन्धित स्कीम में आबंटित प्लॉट/फ्लैट के आबंटन के लिए निर्धारित की गई भुगतान शर्तों अनुसार यदि कोई आबंटी निर्धारित समय पर किश्तों अथवा राशि का भुगतान नहीं करता है तो उस राशि पर 14**%** की दर से दण्ड ब्याज लगाए जाने का प्रावधान है परन्तु इसके विपरीत प्लाट/फ्लैट के निरस्तीकरण/अपने–आप समर्पण करने पर प्राप्ति योग्य राशि पर दण्ड ब्याज वसूली किए बिना Integrated Township मंधाला जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के आबंटियों को शेष राशि वापिस (Refund) की गई थी जिसके फलस्वरूप हिमुडा को निम्न विवरणानुसार ₹7922877 हानि उठानी पड़ीः–

क्रमांक	आबंटी का नाम व प्लॉट संख्या (सर्व श्री)	आबंटन की तारीख	कुल प्राप्त की गई राशि (₹)	जब्त की गई धरोहर राशि व ब्याज (₹)	आबंटी को वापिस की गई राशि (₹)	प्राप्ति योग्य राशि पर अर्जित ब्याज जो प्राप्त नहीं किया गया (₹)
1	प्रदीप कुमार (ए–21)	14.8.2007	530000	242000	288000	1154090
2	सोहन लाल (सी–113)	30.7.2007	452000	192530	259470	391200
3	सतिन्दर कुमार (बी–183)	24.7.2007	395000	188000	207000	804349
4	महेश मदन (बी–196)	23.7.2007	595000	350475	244525	805868
5	अशोक कुमार (बी–163)	21.7.2007	395000	188000	207000	788080
6	नीलम (बी–26)	21.7.20007	1297882	266221	1031661	358129

7	गुरदेव सिंह (बी–91)	21.7.2007	346000	139380	206620	819919
8	प्रवीण कुमार (बी–105)	23.7.2007	395000	188000	207000	795970
9	कुलदीप कौंर ग्रेवाल (बी–108)	23.7.2007	966000	520218	445782	541584
10	फूला रानी (बी–58)	23.7.2007	395000	188000	207000	800501
11	समीर सिंह (सी–195)	8.5.2007	395000	95714	299286	663187
					कुल योग	**7922877**

अतः उक्त वर्णित ₹7922877 की हानि का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 आबंटियों की खाता बहियों का दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार रख–रखाव न करनाः–

आबंटियों की खाता बहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों का रख रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया गया था अर्थात जिन आबंटियों को फ्लैट/प्लाट का आबंटन किया गया उनसे जिस तिथि को राशि देय होगी उसकी प्रविष्टि नियमानुसार डेबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार देय किश्तों (इन्स्टालमैन्ट) की राशि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी डेबिट कॉलम में तथा सम्बन्धित आबंटियों से मूलधन व ब्याज की जितनी राशि शेष है उसकी प्रविष्टि खाता बही के शेष कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है किन्तु हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकस प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है ताकि आबंटियों के खातों का उचित अंकेक्षण सम्भव होने के अतिरिक्त वित्तीय विवरणियाँ अर्थात तुलन पत्र/आय व व्यय विवरण से हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

23 विभिन्न निर्माण मण्डलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों से दिनांक 31.3.2016 तक Maintenance Charges की ₹529.73 लाख वसूली हेतु शेषः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet से सम्बन्धित अनुसूची–XLIII लेखा शीर्ष Maintenance Charges Receivable" के अन्तर्गत ₹52973141 (Dr.) व ₹17855993 (Cr.) Nett ₹35117148 (Dr) को दर्शाया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण मण्डलों द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपभोक्ताओं से Maintenance charges की नाममात्र या कुछ भी वसूली नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान Maintenance Charges की नाममात्र वसूली करने को न्यायोचित ठहराया जाए और सम्बन्धित निर्माण मण्डलों को वर्णित Maintenance Charges की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने हेतु भी ठोस कदम उठाने बारे आवश्यक निर्देश दिए जाएः–

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तशेष (₹)
Maintenance Charges Receivables Shimla Div-2	2606251 Dr.	2606251 Dr.
Maintenance & Water Charges Receivable A/C Shimla Div.1	132759 Dr.	132759 Dr.
Maintenance charges Receivable A/C	Nil	11377670 Dr.
Maintenance Charges Receivable A/C Parwanoo Division	25304955 Dr.	24719774 Dr.
Maintenance charges Receivable A/C	2686911 Dr.	2686911 Dr.
Maintenance Charges Receivable A/C Dharamshala Division	11449776 Dr.	11449776 Dr.
कुल योग	**42100916 Dr.**	**52973141 Dr.**

24 विभिन्न निर्माण मण्डलों की हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों से दिनांक 31.3.2016 तक Water charges ₹10.71 लाख वसूली हेतु शेषः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet से सम्बन्धित अनुसूची–XXXIX (Schedule XXXIX) लेखा शीर्ष Water Charges Receivable के अन्तर्गत ₹3982845 Cr. का शेष दर्शाया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में परवाणू मण्डल को छोड़कर अन्य तीन निर्माण मण्डलों द्वारा न तो उपभोक्ताओं से Water Charges की कोई वसूली ही की गई थी और न ही अन्तिम लेखों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उनसे देय Water Charges हेतु Water Charges Receivable का कोई प्रावधान ही किया गया था। इसके अतिरिक्त परवाणू मण्डल द्वारा ₹4859206 प्राप्ति योग्य देय (Receivable) राशि से अधिक प्राप्त की गई दर्शाई गई है और ₹194380 Water Connection fee-Paonta के इस शीर्ष के अन्तर्गत गलत जमा (Cr.) किए गए थे जोकि वास्तविकता मे लाभ एवं हानि खाते में आय को जमा (Cr.) किए जाने चाहिए थे जिसके कारण Water charges Receivable का अन्तः शेष ₹3982845 Cr. हो गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है तथा यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्यूकि वाणिज्य लेखा पद्धति के सिद्धान्तोनुसार Receivable लेखा का शेष हमेशा नाम (Dr.) ही होता है तथा यह कभी भी जमा (Cr.) नहीं हो सकता। अतः इस अनियमितता का मुख्य कारण या तो लेखों में Water charges Receivable राशि का उचित प्रावधान न करना Water Charges प्राप्ति राशि को आय लेखा शीर्षक को Cr. करने की अपेक्षा Water Charges Receivable लेखा शीर्षक को Cr. करना है। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय की अधिकता, आय Water Charges Receivable व दायित्वों की राशि को वित्तीय विवरणियों में वास्तविकता से कम दर्शाया गया है जिसके कारण से तुलन पत्र एवम आय व व्यय लेखा हिमुडा की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान Water Charges की कोई भी वसूली व Water Charges Receivable राशि का उचित

प्रावधान न करने को न्यायोचित ठहराया जाए और सम्बन्धित निर्माण मण्डलों को वर्णित Water Charges की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली हेतु ठोस कदम उठाने बारे भी आवश्यक निर्देश दिये जाए। इसके अतिरिक्त परवाणू मण्डल द्वारा Water charges Receivable लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹4859206 व Water Connection fee Paonta के अन्तर्गत ₹194380 का Cr. शेष दर्शाए जाने सम्बन्धी अनियमितता का भी या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तशेष (₹)
Water Charges Receivable	987638 Dr.	987638 Dr.
Water Charges Receivable Shimla Div.2	64550 Dr.	64550 Dr.
Water Charges Receivable A/C Mandi Division	18553 Dr.	18553 Dr.
Water Charges Receivable A/C Parwanoo Division	5200180 Cr.	4859206 Cr.
Water Connection fee-Paonta	Nil	194380 Cr.
कुल योग	**4129439 Cr. (1070741 Dr. 5200180 Cr.)**	**3982845 Cr. (1070741 Dr. 5053586 Cr.)**

25 विभिन्न विभागों से हाउसिंग स्कीमों के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2016 तक व्यय की गई ₹266.28 लाख वसूली हेतु शेषः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance sheet से सम्बन्धित अनुसूची XLVII (Schedule XLVII) Recoverable Amount on A/C of other Dept. Schemes का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्णित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत निम्न विवरण अनुसार ₹26628157 Dr. शेष दर्शाई गई थी। निम्न सारणी से स्पष्ट विदित होता हे कि वर्ष 2015–16 के दौरान सम्बन्धित विभागों से हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोई भी वसूली नहीं की गई थी जोकि अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 के द्वारा वर्णित धनराशि को वसूल करने हेतु किए गए विशेष प्रयासों बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः सम्बन्धित विभागों से वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी

प्रकार की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए और वर्णित राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तशेष (₹)
Receipt Police Rental Housing Scheme	239458627 Cr.	239458627 Cr.
Deposit Work for Navodya Vidyalaya	9379963.16 Dr.	9379963.16 Dr.
Govt. Rental Housing Scheme (Part-1)	5724622.29 Dr.	5728468.29 Dr.
Police Rental Housing Scheme	248082580.55 Dr.	250978352.55 Dr.
कुल योग	**23728539 Dr.**	**26628157 Dr.**

26 निक्षेप कार्यों (Deposit Works) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹3707.84 लाख व्यय हेतु शेष होने के कारण विभागीय प्रभार (Department Charges) से आय की परोक्ष हानिः–

Deposit Works लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह राशि दर्शाई जाती है जो HIMUDA के पास चालू वित्तीय वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता विभागों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जमा करवाई गई हो। Deposit Work लेखा शीर्षक से सम्बन्धित अनुसूची–XX (Schedule-XX) के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को ₹370783897.45 का शेष जमा (Credit) दर्शाया गया था जिसका योजनावार विवरण **परिशिष्ट "ढ"** में दिया गया है। वर्णित परिशिष्ट के अवलोकन करने पर स्पष्ट विदित होता है कि हिमुडा द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान Deposit Work के लिए प्राप्त ₹5332.03 लाख के विरूद्ध ₹6235.70 का व्यय करने के कारण गत वर्षों में प्राप्त राशि में से केवल ₹903.67 लाख की व्यय किए थे। इस प्रकार गत वर्षों में प्राप्त राशि को पूर्णतय व्यय न करने के कारण हिमुडा को विभागीय प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली आय की परोक्ष हानि हुई है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः निक्षेप कार्यों (Deposit Works) के लिए गत वर्षों मे ंप्राप्त राशि को व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि को तय समयावधि के भीतर व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 तुलन पत्र में चालू दायित्व तथा सम्पत्तियों के शेषों को अनुसूचियों में दर्शाए शेषों से कम दर्शानाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न Table A & B में वर्णित विवरण अनुसार तुलन पत्र में चालू दायित्व तथा सम्पतियों के शेषों को अनुसूचियों में दर्शाए शेषों से कम/अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियों इस हद तक हिमुडा की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करती हैः–

Table-A

Head of Account	Amount as per schedule (₹)	Amount shown/taken in balance sheet as per current Assets/Liabilities Main schedules-E & C(₹)	Difference (₹)	Remarks (Effects in Financial Statements)
Imprest & CCS A/C	263936599.69 Cr. (Schedule XLIX)	263999361.69 Cr.	62762 Cr.	Amount of ₹62762 Dr. pertains to Parwanoo Division as per schedule XLIX but the same not included in total of said sub-schedule due to which total amount does not tally with its main schedule-Ecurrent assets
Loan & Advances (Assets) A/C	61995593.59 Cr. (Schedule XL)	56924167.59 Cr.	5071426 Cr.	Amount of ₹5071426 Cr. pertains to Head Office (LTC) as per schedule XL but the same not included in total taken in total of main schedule-E and to balance sheet under head current assets
Duties & Taxes	20822134.76 Dr. (Schedule-XVI)	20978167.76 Dr.	156033 Dr.	Amount of ₹156033 excess carried over to main schedule-C to balance sheet under current liabilities

Table-B

Sr. No.	Head of Account	Actual Amount	Amount shown in schedule LII|	Error in total (Diff.)
1	Acquisition of land at various places	59291762.30 Dr.	58414310 Dr.	877452.30 Dr.
2	Housing Scheme	8240702145.98 Dr.	8182287835.98 Dr.	58414310 Dr.
3	Grand Total of Schedule LII	507858575.83 Dr.	506981123.53 Dr.	877452.30 Dr.
4	Balance sheet/Current Assets	507858575.83 Dr.	506981123.53 DR.	877452.30 Dr.

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/10, 17, 24 -37 दिनांक 24.8.17, 4.9.2017, 12.9.2017 & 3.10.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 HUDCO को ब्याज के रूप में ₹6739 का अधिक भुगतानः—

हुडको से प्राप्त ऋण से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि हुडको से प्राप्त ₹359804000 के ऋण पर वर्ष 2015—16 में ₹3890242 ब्याज के रूप में भुगतान की गई थी तथा जिसका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹6739 के ब्याज का अधिक भुगतान किया गया हैः—

ब्याज के भुगतान की अवधि	ऋण की राशि (₹)	ब्याज का भुगतान (₹)	जितना देव था (₹)	अन्तर / अधिक भुगतान (₹)
मार्च, 2015 से मई, 2015 तक	20000000	371096	371096	0
जून 2015 से अगस्त 2015 तक	20000000	536027	536027	0
सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक	20000000	516986	516986	0
दिसम्बर 2015 से	20000000	511096	509699	1397
फरवरी 2016 तक	339804000	1955037	1949695	5342
	कुल योग	**3890242**	**3883503**	**6739**

अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह प्रकरण हुडको से उठाया जाए व अधिक भुगतान राशि का भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में से समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 HUDCO से प्राप्त ₹339804000 (33.98 करोड़) ऋण को अनियमित तौर पर Acquistion of land जठिया देवी से प्राप्ति दर्शाकर अन्तिम लेखों में वर्गीकृत करने के कारण Current Asset (Acquistion of land at Jathia Devi) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित करके छुपानाः–

हिमुडा द्वारा वर्ष 2015–16 में प्राप्ति वाउचर संख्या 1861 दिनांक 11.2.2016 के अन्तर्गत ₹337305610 (₹339804000–2498350) की प्राप्ति रोकड़ बही में दर्शाई गई थी जिसका उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि यह राशि ऋण स्वरूप हुडको (HUDCO) से निम्न विवरण अनुसार प्राप्त हुई थीः–

कुल ऋण की राशि	339804000
Front & Fee	(–)2074740
Loan application fee	(–)423650
शुद्ध प्राप्ति	337305610

हिमुडा के अन्तिम लेखों में उक्त वर्णित ऋण Current liability के अधीन लेखा शीर्ष HUDCO Loan/ऋण के अन्तर्गत देनदारी के रूप में वर्गीकृत करके दर्शाया जाना चाहिए था किन्तु इसके विपरीत इस राशि को Current Assets के अधीन लेखा शीर्ष "Acquistion of Land" जठिया देवी के अन्तर्गत प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत/सम्मिलित करके छुपाया गया था जोकि लेखा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। वर्णित अनियमितता के फलस्वरूप निम्न विवरण अनुसार जहाँ HUDCO Loan/ऋण की देनदारी/दायित्व ₹339804000 को तुलन पत्र में लुप्त किया गया है वहीं सम्पत्ति "Acauistion ofland" जठिया देवी को अर्जन हेतु व्यय राशि को इतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है जिसके कारण वर्ष 2015–16 का तुलन पत्र इस हद तक हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता हैः–

Head of Account	Actual Amount (₹)	Amount Shown (₹)	Diff. (₹)	Remarks
Acquistion of land at Jathia Devi Account (Asset)	300000000 Dr.	39804000Cr.	339804000 Dr.	Understatement of asstes in the Assets Side of the Balance Sheet
HUDCO Loan (Liability)	359804000 Cr.	20000000 Cr.	339804000 Cr.	Understatement of Liability in the liabilities Side of the Balance Sheet

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/30 दिनांक 16.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 ₹300000000 (तीस करोड़) अनियमित रूप से सीधे Acquistion of Land, जठिया देवी को नाम (Debit) किया जानाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न वर्णित वाउचरों के माध्यम से ₹30 करोड़ (तीस करोड़) को Acquistion of land जठिया देवी को नाम (Debit) किया गया थाः–

क्रमांक	वाउचर संख्या व तिथि	विवरण	राशि (₹)
1	1781 दिनांक 03.02.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	10000000
2	1782 दिनांक 3.2.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	30000000
3	1789 दिनांक 3.2.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	20000000
4	1837 दिनांक 8.2.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	10000000
5	1874 दिनांक 12.2.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	30000000

6	2060 दिनांक 15.3.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	10000000
7	2107 दिनांक 26.3.2016	तहसीलदार हिमुडा को भुगतान	10000000
		कुल योग	**300000000**

वास्तविकता में उपरोक्त राशि का तहसीलदार हिमुडा को बतौर Imprest Far Aquistion of land जठिया देवी के रूप में Axis बैंक बचत खाता संख्या 916010006622432 में हस्तांतरित करके भुगतान किया गया था ताकि उनके द्वारा जठिया देवी (शिमला) में जमीन की क्रय व रजिस्ट्री सम्बन्धित लागत के व्यय का उचित निर्धारण करके निर्वहन किया जा सके। इस प्रकार लेखा नियमों के अनुसार इस अग्रिम राशि का यथानुसार शीर्ष "Imprest to Tehsildar, HIMUDA for Auuisition of land जठिया देवी के अन्तर्गत लेखांकन तथा तदोपरान्त तहसीलदार हिमुडा द्वारा प्रस्तुत समायोजन लेखा के आधार पर सम्बन्धित शीर्ष Acquisition ofland जठिया देवी को नाम (Debit) किया जाना अपेक्षित था परन्तु नियमों के प्रतिकूल वर्ष 2015–16 के लेखों में Acquisition ofland जठिया देवी हेतु किए गए वास्तविक व्यय ₹261342532 की अपेक्षा ₹300000000 दर्शाया गया है जोकि ₹38657468 अधिक है। इस तथ्य की पुष्टि रोकड़ बही अनुसार बैंक खाते के शेष से भी हो जाती है जिसमें दिनांक 31.3.2016 को ₹38880962 (अर्जित ब्याज ₹223494 सहित) की राशि शेष थी। इस अनियमितता के कारण तुलन–पत्र में Current Assets के अन्तर्गत शीर्ष Acquisition of land जठिया देवी व बैंक शेष दिनांक 31.3.2016 को क्रमशः अधिक व कम दर्शाए गए है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्णित त्रुटियों का लेखों में उचित समाधान करने के अतिरिक्त भविष्य में लेखा नियमों के अनुसार ही लेन–देन का वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

31 तुलन पत्र तथा लाभ व हानि लेखा में Capital Reserve/Nett profit की राशि को लगभग ₹1.27 करोड़ दर्शाने की औचित्यताः–

(1) लेखा शीर्ष Capital Reserve (तुलन पत्र की मद संख्या 1) की अनुसूची "I" के अन्तर्गत आरम्भिक शेष ₹121.94 जबकि अन्तः शेष ₹123.21 करोड़ दर्शाया गया था परिणामतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में Capital Reserve में ₹1.27 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जोकि

उचित प्रतीत नहीं होती है क्यूंकि अंकेक्षण क दौरान पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹1.27 करोड़ के शुद्ध लाभ बड़े पैमाने पर कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसी कुछ मुख्य अनियमिततायें जिनकी राशि कई लाख/करोड़ रूपये में है, निम्न वर्णित है। इस प्रकार हिमुडा की वित्तीय विवरणियों में शुद्ध लाभ का बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली अनियमिततायें पाई जाना एक अत्यन्त ही गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा अपने आप में लेखों के रख–रखाव की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अतः इस सम्बन्ध में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं के कारणों की पूर्ण छानबीन करते हुए वस्तुस्थिति का पता लगाया जाए तथा यथानुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि भविष्य में वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृति को रोका जा सकेः–

Sr. No.	Particulars	Audit Para No.	Amount in lakhs (₹)
1	Less charging of depreciation from profit & loss account for the year 2015-16	32 (1)	28.66
2	Wrong classification of Receipt of Income of forfeiture of Earnest Money as Current liability	35	19.16
3	Irregular charge of capital expenditure on account of electrification of Mandhala Colony as revenue expenditure to Profit & Loss Account under head Electricity & Water Charges for the year 2015-16	37	125.00
4	Irregular treatment of receipt as indirect income under head Misc. Receipts in Profit & Loss Account	38	1252.48
5	Irregular classification of net amount of Misc. Advance as indirect income under Misc. Receipts in Profit & Loss	39	36.54
6	Irregular decrease of current asstes	40	665
7	Different items of various Divisions not at all journalized at H.O. level in Final accounts of HIMUDA	41	4304
8	Different items of various Divisions wrongly booked with wrong head or amount or side at H.O. level in final accounts of HIMUDA	42	3931

(2) वित्तीय वर्ष 2015–16 की आयकर विवरणी (Income Tax Return) में प्रस्तुत दावो ंपर प्रभावः–

उक्त पैरा संख्या 31 (1) में वर्णित अनियमितताओं के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 की आयकर विवरणी (Income tax Return) में हिमुडा द्वारा प्रस्तुत दावे भी प्रभावित होगे। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि सम्पूर्ण प्रकरण की छानबीन उपरान्त हिमुडा के हित की रक्षा में यथानुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 लाभ व हानि लेखा में Depreciation की राशि को वास्तविकता से ₹28.66 लाख कम दर्शानाः–

(1) हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लाभ व हानि खाता (अनुसूची–H) में निम्न विवरण अनुसार Depreciation की राशि को वास्तविकता से ₹2865800.65 कम दर्शाए जाने के कारण शुद्ध लाभ को इस हद तक अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियाँ हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/19 दिनांक 4.9.2017 द्वारा वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि इन विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Nature of Asset	Actual Depreciation as per Schedule "D" as on 31.3.2016 (₹)	Depreciation charged to Profit & Loss Acount as on 31.3.2016	Amount Less Charged (diff.) (₹)
Own Building	2177748.42	1808001.76	2865800.65
Other Fixed Assets	2496053.99		
Total	**4673802.41**		

(2) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त उप पैरा (1) अनुसार प्रभारित Depreciation ₹4673802.41 में से ₹2865800.32 के प्रभाव को निम्न वर्णित गलत जौर्नल प्रविष्टियों द्वारा अनियमित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया जिसके अन्तर्गत लेखा शीर्ष Imprest & CSS Account (Schedule-E) को Debit तथा लेखा शीर्ष depreciation को credit किया गया था जबकि वास्तविकता में वर्णित निम्न जौर्नल प्रविष्टियों की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः वर्णित अनियमितता के फलस्वरूप शुद्ध लाभ और चालू परिसम्पत्तियों को इस हद तक अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः HIMUDA/2015-16/Audit/21 दिनांक 5.9.2017 द्वारा वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि छानबीन उपरान्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

Sr.No.	Name of unit	Depreciation Charged by Cr. to Asstes A/C		Effect of nullified by Dr. to Head Office A/C		Net depreciation charged (Diff.)
		Journal Voucher 31.3.16	Depreciation A/C (Dr.)	Journal Voucher 31.3.16	Depreciation A/C (Cr.)	
1	Division-II Shimla	28	50353.89	29	50353.89	0
2	Division-I Shimla	31	737252.41	33	737252.41	0
		34	121041.20	32	121041.20	0
3	Parwanoo	33	421677.26	34	421677.26	0
	Division	35	8018.56	36	8018.56	0
4	Mandi Division	22	300752.86	24	300752.86	0
		25	33080.77	23	33080.77	0
5	Electrical	30	13637	31	13637	0
	Division Dharamshsala	32	4327.26	33	4327.26	0
6	Electrical	63	9465.15	Not mentioned	9465.15	0
	Division Shimla	62	432600.69	Not mentioned	433287.32	686.63 Cr.

7	Dharamshala	41	694963.64	42	694963.64	0
	Division	43	37256.63	44	37256.66	0.03 Cr.
8	Head Office Cash	77	1808688.42		-	1808688.42 Dr.
	Total		4673115.74		2865116.98	1808001.76 Dr.

(3) स्थायी परिसम्पत्ति को ₹0.77 लाख की Depreciation का अधिक प्रभार (Charges) डालनाः—

(1) हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015—16 के अन्तिम लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरण अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹76563.37 की Depreciation का अधिक प्रभार (Charge) डाला गया था जिसके कारण सम्पत्तियों का मूल्य घटाकर दर्शाया गया है। अतः वर्णित त्रुटियों को लेखों में आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	**Name of Fixed Asset**	**Actual Depreciation as per calculation sheet at Schedule "D" (₹)**	**Depreciation charged from Fixed Assets in Schedule XXIV (₹)**	**Excess depreciation charged (Diff.) (₹)**
1	Road Roller-22542	0	75000	75000
2	New Car Innova	848465.88	850715.88	2.250
3	Survey & Mathematical Instrument (Dharamshala Division)	60	0	(-) 60
4	Survey & Mathematical Instrument (Electrical Division Shimla)	502.56	0	(-)502.56
5	Survey & Mathematical Instrument Division-II Shimla)	124.07	0	(-) 124.07
			Total	**76563.37**

(ii) अन्य मिश्रित अनियमितताएँः–

(क) दिनांक 31.3.2016 को Road Roller-22542 का हवास मूल्य (Written down value) ₹3297.52 था तथा इस सम्पत्ति को विक्रय करने पर ₹75000 प्राप्त हुई थी। इन तथ्यों के आधार पर लेखा पद्धति अनुसार ₹3297.52 को सम्पत्ति Road Roller-22542 लेखा शीर्ष को जमा (Credit) की जानी अपेक्षित थी जबकि शेष ₹71702.48 (75000–3297.52) राजस्व आय (Revenue Receipts) के रूप में लाभ व हानि खाते में जमा (Credit) की जानी चाहिए थी किन्तु इसके प्रतिकूल कुल ₹75000 को depreciation प्रभारित करके तुलन पत्र की अनुसूची–डी (Schedule-D) से सम्बन्धित स्थाई सम्पत्ति उप अनुसूची–XXIV (Fixed Assets Schedule XXIV) के अन्तर्गत सम्पत्ति Road Roller-22542 लेखा शीर्ष को जमा (Credit) किया गया था जोकि अनियमित है। वर्णित अनियमितता के कारण उक्त सम्पत्ति का स्थाई सम्पत्ति उप अनुसूची–XXIV में शेष ऋणात्मक अर्थात (–)₹71702.48 दर्शाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप इस हद तक वित्तीय विवरणियाँ हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। अतः वर्णित त्रुटियों का लेखों में आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) तुलन पत्र की अनुसूची–डी (Schedule-D) का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को नई कार संख्या HP-52-0603 की depreciation ₹848465.88 दर्शाई गई थी जबकि उप अनुसूची–XXIV (Sub-schedule-XXIV) में यह ₹850715.88 दर्शाई गई थी जोकि ₹2250 अधिक थी। वास्तविक में ₹2250 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान वर्णित कार संख्या HP-52-0603 के अन्तर्गत बिक्री राशि (Sale adjustment) के समायोजन के रूप में दर्शाई गई थी जोकि उचित प्रतीत नहीं होती क्यूंकि सम्बन्धित सम्पत्ति की कोई बिक्री नहीं हुई है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त त्रुटियों का लेखों में आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का

शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) तुलन पत्र की अनुसूची–डी का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 1.4.2015 को Car No. HP-52-0603 की कीमत का आरम्भिक शेष (–) ₹6599.44 था जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान ₹6599.44 की बढौतरी दर्शाई गई थी तथा अन्तिम शेष "शून्य" दर्शाया गया था परन्तु उक्त वर्णित अनुसूची से सम्बन्धित Fixed assets की उप अनुसूची–XXIV अनुसार "Car No. HP-52-0603 की कीमत में ऐसी कोई भी बढ़ौतरी नहीं दर्शाई गई थी तथा अन्तिम शेष भी (–) ₹6599.44 दर्शाया गया था जोकि उक्त प्रस्तुत तथ्यों में विरोधाभास परिलक्षित करता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) Rest House at Strawberry Hill को विक्रय करने के उपरान्त भी इसके हवास खाता मून्य (W.D.V.) को लेखों में समायोजित न करना तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹7561.29 की depreciation अनियमित रूप से प्रभारित करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र की अनुसूची–XXIII (Schedule-XXIII) में लेखा शीर्ष "Own Building" के अन्तर्गत ₹2.18 करोड़ दर्शाई गई थी जिसमें Rest House Strawberry Hill का दिनांक 31.3.2016 को हवास मूल्य (Written down value) ₹68051.64 भी शामिल था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्यूंकि अभिलेखानुसार उक्त Rest House पहले ही वित्तीय वर्ष 2004–2005 में हिमुडा द्वारा विक्रय किया जा चुका है तथा इसके बावजूद भी इसे लेखा शीर्ष "Own Building" के अन्तर्गत सम्पत्ति के रूप में दर्शाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस सम्पत्ति पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹7561.29 की depreciation भी लाभ व हानि खाते को प्रभारित की गई थी जोकि उक्त वर्णित कारणों से अनियमित है। अतः परामर्श दिया गया जाता है कि इस प्रकरण में हिमुडा अपने स्तर पर पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त उक्त वर्णित अनियमितताओं का उचित समाधान करके लेखों में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय विवरणियों

से हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 लेखा खातों में ₹132.58 करोड़ का समायोजन/समाधान न करनाः–

निम्न विवरण अनुसार विभिन्न लेखा शीर्षों से सम्बन्धित ₹13258286.92 को तुलन पत्र में चालू परिसम्पत्ति (Current Assets) के अन्तर्गत लगातार पिछले कई वर्षों से यथावत दर्शाया जा रहा था जिससे स्पष्ट विदित होता है कि इनके उचित समायोजन/समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार वर्णित खातों में शेष का लेखों में उचित समायोजन/समाधान हेतु तुरन्त कदम उठाये जाए ताकि वित्तीय विवरणियों में हिमुडा की सही व वास्तवकि स्थिति परिलक्षित हो सकेः–

क्रमांक	लेखा शीर्ष	अनुसुची संख्या	राशि (₹)	अभियुक्ति
1	Material; for works instore (NVP)	XXVI	3935946.68	राशि पिछले लगभग 13 वर्षों से अन्तिम समायोजन हेतु लम्बित है।
2	Other miscellaneous advances (NVP)	XXVII	241644.37	राशि पिछले लगभग 13 वर्षों से अन्तिम समायोजन हेतु लम्बित है।
3	Suspense A/C	XXIX	576425.00	राशि पिछले कई वर्षों से अन्तिम समायेाजन हेतु लम्बित है।
4	Sundry Debtors	LI	8504270.87	
		कुल जोड	**13258286.92**	

34 वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों में ₹312.10 लाख के भुगतान को चालू सम्पत्ति की अपेक्षा अनियमित रूप से व्यय वर्गीकृत करनाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वाउचर संख्या 2158 दिनांक 31.3.2016 द्वारा बोर्ड कर्मचारियों को हिमुडा निधि से अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹1537440 का भुगतान किया गया था जिसे लेखा शीर्ष "Leave enchahment" को Dr. करके लाभ हानि लेखा में व्यय के रूप में गणना की गई थी जोकि अनुचित है क्योंकि हिमुडा द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में देय

राशि का भुगतान करने हेतु अलग से "Employees Leave Enchament Fund" का गठन व रख रखाव किया जा रहा है तथा जिसमें दिनांक 31.3.2016 को ₹4.01 लाख शेष जमा थी और नियमानुसार कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में देय राशि का भुगतान इसी निधि से किया जाना अपेक्षित था। अब चूँकि उक्त वर्णित भुगतान की राशि "Employees Leave Encashment Fund" से प्राप्य (Receivable) है इसलिए इस राशि को "Leave Encashment Trust/Receivable Account" को Dr. करके तुलन पत्र की परिसम्पत्ति पक्ष में शीर्ष चालू सम्पत्ति के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था न कि लाभ–हानि लेखा में व्यय के रूप में। विस्तृत अंकेक्षण पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में वर्णित अनियमितता की राशि निम्न विवरण अनुसार ₹31209550 थीः–

माह	जोर्नल/रोकड़ वा0सं0	तिथि	राशि (₹)
(i) HQ HIMUDA			
6/2015	Cash Vr. No. 479	30.6.15	569413
10/2015	Cash Vr. No. 1026	1.10.15	561180
11/2015	Cash Vr. No. 1343	27.11.15	22842
11/2015	Cash Vr. No. 1344	27.11.15	558590
12/2015	Cash Vr. No. 1429	9.12.15	8841
2/2016	Cash Vr. No. 1949	29.2.16	590220
3/2016	Cash Vr. No. 2158	31.3.16	1537440
3/2016	Cash Vr. No. 2165	31.3.16	10000000
3/2016	Cash Vr. No. 2166	31.3.16	10000000
(ii) Dharamshala Division			
3/2016	Journal Vr. No. 12	31.3.16	3040649
(iii) Division-1			
3/2016	Journal Vr. No. 24		2227766
(iv) Electrical Division Dharamshala (HMR)			
3/2016	Journal Vr. No. 27	31.3.16	1012816
(iv) Division-Mandi			
3/2016	Journal Vr. No. 2	31.3.16	1079793
	Grand Total (i) to (v)		31209550

उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अन्तिम लेखों में चालू सम्पत्ति, शुद्ध लाभ व Reserve & Surplus को वास्तविक से कम जबकि व्यय को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियाँ हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति

परिलक्षित नहीं करती है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या Himuda/2015-16/Audit/21, दिनांक 5.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कृत कार्यवाही से सूचित नहीं किया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धि करण करने के अतिरिक्त "Employees Leave Encashment Fund" से हिमुडा निधि की ₹31209550 से भरपाई भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 प्लाट/फ्लैट के निरस्तीकरण/अपने–आप समर्पण करने पर जब्त की गई प्रतिभूति राशि (earnest money) को आय शीर्ष की अपेक्षा पुनः शीर्ष प्रतिभूति राशि (earnest money) प्राप्ति को जमा करके गलत वर्गीकृत करने के कारण शुद्ध लाभ को ₹19.16 लाख से कम दर्शानाः–

विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 03/2016 के बिल/वाउचर/प्राप्तियों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न आवास कलौनियों में आबंटित प्लाट/फ्लैट के निरस्तीकरण/अपने–आप समर्पण करने पर, आबंटन के लिए निर्धारित की गई भुगतान शर्तों के अन्तर्गत प्रतिभूति राशि को जब्त किया गया था किन्तु इस लेन–देन का अन्तिम लेखों में लेखांकन करते समय जब्त राशि को पुनः प्रतिभूति जमा (earnest money) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट/जमा किया गया था जोकि अनियमित है। क्योंकि जब्त की गई राशि हिमुडा की आय थी तथा नियमानुसार इस राशि को लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत करके लेखों में आय दर्शाया जाना अपेक्षित था। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹1916029 की जब्त की गई राशि को आय न दर्शाकर जहां एक ओर शुद्ध लाभ को कम दर्शाया गया है वहीं दूसरी ओर अनावश्यक रूप से प्रतिभूति राशि जमा लेखा शीर्ष को क्रेडिट करके Current liability को बढ़ा कर अधिक दर्शाया गया है जिसके कारण इस हद तक वित्तीय वर्ष 2015–16 का तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता हिमुडा की वास्तविक व सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है।

क्रमांक	बिल/वाउचर संख्या/तिथि	आबंटी का नाम व प्लाट संख्या (सर्व श्री)	जब्त की गई धरोहर राशि व ब्याज (₹)
1	1963/2.3.2016	सतिन्दर कुमार (बी–183)	188000

		मंधाला, सोलन	
2	1964 / 2.3.2016	महेश मदन (बी–196) मंधाला, सोलन	138000
3	1965 / 2.3.2016	प्रदीप कुमार (ए–21), मंधाला, सोलन	192000
4	1966 / 14.3.2016	कुलदीप कुमार ग्रेवाल (बी–108) मंधाला, सोलन	138000
5	1967 / 14.3.2016	फूला रानी (बी–58) मंधाला, सोलन	138000
6	1968 / 2.3.2016	नीलम (बी–26) मंधाला, सोलन	138000
7	1969 / 2.3.2016	सोहन लाल (सी–113) मंधाला, सोलन	88000
8	1970 / 2.3.2016	गुरदेव सिंह (बी–91) मंधाला, सोलन	138000
9	2045 / 14.3.2016	हरपाल सिंह (बी–47) मंधाला, सोलन	115954
10	2046 / 14.3.2016	राम कुमार (बी–152) मंधाला, सोलन	138000
11	2047 / 14.3.2016	समीर सिंह (सी–195) मंधाला, सोलन	88000
12	2048 / 2.3.2016	प्रवीण कुमार (बी–105) मंधाला, सोलन	138000
13	2049 / 14.3.16	अशोक कुमार, बी–163 मंधाला, सोलन	138000
14	2056 / 14.3.16	स्वराज चौधरी सी–305 मंधाला सोलन	44275
15	589 / 15.7.16	दिनेश बसंल, कैटगरी–प्ट फ्लैट नं0 3, ब्लॉक नं0 13, फ्लावर डेल, शिमला	95800
		कुल योग	**1916029**

अतः उपरोक्त वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य मामलों में हिमुडा अपने स्तर कर छानबीन करने के उपरान्त चिन्हित त्रुटियों का आवश्यक सुधार व अन्तिम लेखों में उचित समायोजन करना सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 ₹50.71 लाख को गलत लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत करने सम्बन्धी अनियमितताः–

हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि विद्युत निर्माण मंडल–शिमला से सम्बन्धित जौर्नल वाउचर संख्या 8, दिनांक 31.3.2016 द्वारा नाम (Debit) व जमा (credit) के अन्तर शेष ₹5071426 (Cr.) की राशि को लेखा शीर्ष "Head Office A/C" की अपेक्षा लेखा शीर्ष "Head Office (LTC) A/C" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था जोकि अनियमित है। लेखांकन की इस त्रुटि के कारण जहाँ "Loans & Advances" की अनुसूची LV (Schedule-LV) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "Loans & Advances to Staff" तथा Imprest & CSS A/C की अनुसूची XLIX (Schedule-XLIX) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "Head Office A/C का अन्तः शेष उक्त वर्णित ₹5071426 से चालू परिसम्पत्ति (Current Assets) की अनुसूची E (Schedule-E) में कम करके दर्शाया गया है वहीं "Loans & Advances" की अनुसूची–XL (Schedule-XL) के अन्तर्गत इस राशि को दो बार लेखा शीर्ष "LTC Advance" व "Advance to Staff" के अन्तर्गत दर्शाया गया है। अतः वर्णित त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अन्तिम लेखों में उचित समायोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 मंधाला हाउसिंग कलौनी बददी के विद्युतीकरण से सम्बन्धित ₹1.25 करोड के पूंजीगत (Capital) व्यय को लाभ व हानि खाते में अनियमित रूप से राजस्व (Revenue) व्यय के रुप में वर्गीकृत करनाः–

हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ₹12500000 का HPSEB विद्युत मण्डल छोटा शिमला को वाउचर संख्या 257 दिनांक 21.5.2015 द्वारा मंधाला हाउसिंग कलौनी बददी के विद्युतीकरण का कार्य निष्पादित करने हेतु भुगतान किया गया था। चूँकि यह पूँजीगत (Capital) व्यय था इसलिए लेखा नियमों के अनुसार इसे चालू परिसम्पत्ति (Current Assets) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "Work in Progress" of Mandhala Colony को वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था न कि लाभ व

हानि खाते को लेखा शीर्ष "Electricity & Water Charges" के अन्तर्गत राजस्व (Revenue) व्यय के रूप में। इन त्रुटियों के कारण लाभ, चालू परिसम्पत्ति तथा दायित्व को अन्तिम लेखों में घटाकर जबकि राजस्व (Revenue) व्यय को बढ़ाकर दर्शाया गया है। अतः वर्णित त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अन्तिम लेखों में उचित समायोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 पूंजीगत प्राप्ति (Capital Receipt) ₹12.52 करोड़ को अनियमित रूप से लाभ व हानि खाते में लेखा शीर्ष परोक्ष आय (Indirect Income) के अन्तर्गत शीर्ष "मिश्रित प्राप्तियाँ" (Misc. Receipts) को वर्गीकृत करनाः—

हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015—16 के अन्तिम लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्माण मंडल धर्मशाला से सम्बन्धित जौर्नल वाउचर संख्या 3 दिनांक 31.3.2016 द्वारा निम्न विवरण अनुसार पूंजीगत प्राप्ति (Capital Receipt) ₹125248409 को अनियमित रूप से लाभ व हानि खाते में लेखा शीर्ष परोक्ष आय (Indirect Income) के अन्तर्गत शीर्ष "मिश्रित प्राप्तियाँ (Misc. Receipts) को वर्गीकृत किया गया था (मुख्य अनुसूची—"H" (Schedule-H) जिसके कारण ₹12657599.11 के दर्शाए गए लाभ को उक्त वर्णित राशि से बढ़ाकर दर्शाया गया है जबकि वर्णित त्रुटि के सुधार उपरान्त वास्तविकता में लाभ की अपेक्षा ₹112590810 की हानि होगी। इसके अतिरिक्त चालू सम्पत्तियों/दायित्व के दर्शाए गए शेष की स्थिति भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में त्रुटियों के कारणों को औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त वित्तीय विवरणियों का सुधार करने के लिए आवश्यक पग उठाने हेतु लाया जाता है ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सकेः—

Account	Nature of Income	Head of Account	Sub-Head	Amount (₹)	Remarks
Profit & Loss Account	Indirect Incomes	Misc. Receipts	Receipt from CEO-cum-Secretary Shimla	119000000 Cr.	Head to be shown in Balance sheet under Imprest & CSS A/C and adjustable under Current

			Assets/Current liabilities as the case may be
	Withheld Amount	5968927 Cr.	Head adjustable under current Assets/current liabilities as the case may be.
	Secured Advance	279482 Cr.	-do-
	Total	**125248409 Cr.**	

39 मिश्रित अग्रिम (Misc. Advance) की शुद्ध ₹36.55 (Dr.) लाख को अनियमित रूप से लाभ व हानि खाते में लेखा शीर्ष परोक्ष आय (Indirect Income) के अन्तर्गत शीर्ष मिश्रित प्राप्तियाँ (Misc. Receipts) को वर्गीकृत करनाः–

हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्माण मण्डल–धर्मशाला से सम्बन्धित जौर्नल वाउचर संख्या 17 दिनांक 31.3.2016 द्वारा मिश्रित अग्रिम (Misc. Advance) की शुद्ध ₹3654817 (Dr.) को अनियमित रूप से लाभ व हानि खाते में लेखा शीर्ष परोक्ष आय (Indirect Income) के अन्तर्गत शीर्ष "मिश्रित प्राप्तियाँ (Misc. Receipts)" को वर्गीकृत किया गया था। (मुख्य अनुसूची–H (Schedule-H) जबकि लेखांकन पद्धति अनुसार इसे तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत करके दर्शाया जाना चाहिए था। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार वित्तीय विवरणियों में दर्शाई गई लाभ व चालू सम्पत्ति की स्थिति प्रभावित हुई है जिसके कारण तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाता इस हद तक हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति को परिलक्षित नहीं करता है। अतः वर्णित त्रुटियों के कारणों का औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक सुधार करके अन्तिम लेखों में उचित समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Head of Account	Account where amount shown	Account where to be shown	Amount (₹)	Effects in Financial Statements
Misc. Advance	Profit & Loss	Balance Sheet-	23878786 Dr.	Under statement

A/C	Account Indirect Incomes Misc. Receipts	Current asstes	20223969 Cr. Net Balance 3654817 Dr.	of Profit in P & L A/C and current assets in balance sheet

40 हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों में ₹6.65 करोड की काल्पनिक (Fictitious) प्रविष्टि का लेखांकन करके तुलन पत्र में चालू परिसम्पत्तियों (Current Assets) का शेष घटाकर दर्शानाः–

हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला (हमीरपुर) से सम्बन्धित जौर्नल वाउचर संख्या 29 दिनांक 31.3.2016 द्वारा निम्न (A) में वर्णित विवरण अनुसार प्रविष्टियों का लेखांकन किया गया था जोकि इस हद तक उचित प्रतीत नहीं होता कि ₹66503410 की जो राशि लेखा शीर्ष "Staff ADvance" को जमा (Credit) तथा तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में चालू परिसम्पत्तियों के रूप में लेखा शीर्ष "Advances (Asset) A/C (Schedule-XL) के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई है वह वास्तविकता में उक्त विद्युत मण्डल के वित्तीय वर्ष 2015–16 के तलपट में मौजूद ही नहीं है और इस कारण यह प्रविष्टि काल्पनिक (Fictitious) प्रतीत होती है जिसके परिणाम स्वरूप तुलन पत्र में चालू परिसम्पत्तियों (Current Assets) का शेष ₹66503410 से घटाकर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत मण्डल के वित्तीय वर्ष 2015–16 के तलपट में जमा (Credit) दर्शाई गई ₹35513600 (Cr.) की राशि को लेखा शीर्ष "Imprest A/C" को जमा (Credit) करने की अपेक्षा अनियमित रूप से नाम (Debit) वर्गीकृत किया गया था जिसके कारण लेखा शीर्ष "Head Office" के अन्तर्गत वर्गीकृत होने वाली राशि वास्तविकता में ₹33251705 की अपेक्षा ₹37775496 तथा जौर्नल वाउचर संख्या 29 दिनांक 31.3.2016 द्वारा सम्पूर्ण प्रविष्टियों का लेखांकन निम्न (A) की अपेक्षा (B) में वर्णित विवरण अनुसार होना चाहिए थाः–

(A) Journal Voucher No. 29, dated 31.03.2016

	Particulars	**Debit (₹)**	**Credit (₹)**
1	Head Office (Note:- This is Balancing figure)	1	
2	Deposit Work	41456	

3	Impress Account of CSSA (Note:- As per Division"s Trial Balance, this is a credit entry)	35513600	
4	Warm Cloth Advance (Electrical Divison Hamirpur)	31500	
5	Staff Advances (Electrical Divisoon Hamirpur)	4500	
6	Head Office (Note:-This is Balancing figure)	33251705	
1	To Departmental Charges (Electrical Divison Hamirpur)		257668
2	To Deposit Work		2066334
3	To Cpf Board Share A/C		500
4	To Warm Cloth Advance (Electrical Division Hamirpur)		10350
5	To Staff Advances (electrical Division Hamirpur)		4500
6	To Staff advances (electrical Division Hamirpur) (Note:-Entry not found in Division"s Trial Balance)		66503410
	Total	**68842762**	**68842762**

On account of Adjustment of Accounts for the month of 15-16

(B)	Particulars	Debit (₹)	Credit (₹)
1	Deposit Work	41456	
2	Warm Cloth Advance (Electrical Division Hamirpur)	31500	
3	Staff Advances (Electrical Division Hamirpur)	4500	
4	Head Office (Balancing Figure)	37775496	
1	To Imprest Account of ASSA		35513600
2	To Departmental Charges (Electrical Division Hamirpur)		257668
3	To Deposit Work		2066334
4	To CPF Board Share A/C		500
5	To Warm Cloth Advance (Electrical Divison Hamirpur)		10350
6	To Staff Advances (Electrical Division Hamirpur)		4500
	Total	**37852952**	**37852952**

On account of Adjustment of Accounts for the month of 03/2016

अतः वर्णित त्रुटियों का औचित्य स्पष्ट करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों में आवश्यक सुधार करके वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की वस्तुस्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित ₹43.04 करोड़ के लेन–देन की राशियाँ हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजित न करना या अनुचित रूप से समायोजित करनाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोंकन पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण मण्डलों के तलपट की प्रविष्टियों का हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तिम लेखों में एकीकरण (Consolidation) करते समय निम्न तालिका (Table) (A) व (B) में वर्णित विवरण अनुसार ₹93642887 नाम (Debit) व ₹336719513 जमा (Credit) कुल ₹430362400 के लेन देन की राशियाँ हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजित ही नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः–

Table-A:-

Sr.No.	Particulars (Item)	Dr.	Amount (₹)	Remarks
Electrical Divison Dharmshala (HMR)				
1	C/O SFS at Shahi Nallah Distt. Kullu	Dr.	235100	Not Jouralized
2	SOPof SFS at Bilaspur C/O 12 Nos. Cat-III at Bilaspur	Dr.	1004225	Not Jouralized
3	SOP of above at Self Financing Scheme at Hamirpur	Dr.	1101580	Not Jouralized
4	C/O 8 Nos. Flats block No. 16 Mohli Sidhpur	Dr.	234746	Not Jouralized
5	S.O.P. to newly carved out plots existing H.C. at Indora	Dr.	628100	Not Jouralized
6	Carved of new plot in H.C. at Nurpur Pdg.3 Phase line	Dr.	196015	Not Jouralized
7	S.O.P. to Circle Office at Rakkar Dharamshala	Dr.	914800	Not Jouralized
8	Pdg. Street light at Rakkar Dharmashala	Dr.	6050	Not Jouralized
9	Indoor Stadium at Dharamshala Pdg. E.I. Work	Dr.	2437	Not Jouralized
10	P/F Additional Lights and repair/replacement of street lights	Dr.	243208	Not Jouralized

11	C/O Addl. At Dagoh Kangra. Pdg. E.I. work	Dr.	43184	Not Jouralized
12	C/O 2 Nos. Class Room at Chilli Chamba Pdg. E.I. work	Dr.	114513	Not Jouralized
13	C/O ITI at Chamba Pdg. E.I. work	Dr.	197753	Not Jouralized
14	C/O Addl. Staircase Legal Collage Mohli, Dharamshala	Dr.	73978	Not Jouralized
15	Admin Block Poly Tech. Chamba	Dr.	71561	Not Jouralized
16	C/O Poly College at Chamba P-II, Pdg E.I. work	Dr.	1402268	Not Jouralized
17	C/O Women Hostel Block (50 Bedded) Polytechnic Chamba Pdg. E.I. work)	Dr.	1371	Not Jouralized
18	C/O Millennium Polytechnic College Banikhet Chamba Pdg. EI to Admin Block	Dr.	128028	Not Jouralized
19	C/O 4 Nos. Class Rooms at Jadera and Sach Chamba Pdg. EI work	Dr.	156171	Not Jouralized
20	C/O Govt. Sr. Sec. School at Kothar (Ranital) Kangra Pdg. EI	Dr.	360020	Not Jouralized
21	C/O Govt. Sr.Sec.School at Chandua Pdg. Int. E.I.	Dr.	800	Not Jouralized
	Construction Division Dharamshala			
22	Receipt from CEO-cum-Secretary Shimla	Dr.	10500000	Not Jouralized
23	AR & MO Road Roller 8238	Dr.	7400	Not Jouralized
24	C/O Ayuvedic Building Mohal Khad Chari Kangra	Dr.	387189	Not Jouralized
	Construction Division Shimla-II			
25	C/O Welfare Office at Solan	Dr.	1455613	Not Jouralized
	Construction Division Shimla-I			
26	Salary Payable A/C	Dr.	17539725	Not Jouralized
27	CPF Sub. A/C	Dr.	6061753	Not Jouralized
28	CPF Sub. A/C	Dr.	309360	Not Jouralized
29	GIS Sub A/C	Dr.	2460	Not Jouralized
30	LIC (SSS) Sub. A/C	Dr.	689042	Not Jouralized

31	Employees Welfare Fund Scheme	Dr.	69375	Not Jouralized
32	Group Personal Accident Insurance	Dr.	6880	Not Jouralized
33	Income Tax Account	Dr.	1489615	Not Jouralized
34	Sales Tax Account	Dr.	1821609	Not Jouralized
35	Cess Charges Account	Dr.	671270	Not Jouralized
36	Stock Susoense Account	Dr.	15791257	Not Jouralized
37	MPSSA	Dr.	8467791	Not Jouralized
38	Stock Storage Suspense Account	Dr.	19700	Not Jouralized
39	Staff Advance A/C	Dr.	595302	Not Jouralized
40	Misc. Advance A/C	Dr.	6249018	Not Jouralized
41	E/Money & Security Deposit Account	Dr.	2944085	Not Jouralized
42	Deposit Account of Staff	Dr.	4850	Not Jouralized
43	Deposit Account of Contractors	Dr.	2424418	Not Jouralized
44	CSS A/C of XEN HIMUDA Divn. No. II	Dr.	55149	Not Jouralized
	Electrical Division Shimla			
45	C/O School Building at Ronhat Block Shillai, Distt. Sirmour	Dr.	436	Not Jouralized
46	C/O School Building at Kathwar, Distt. Sirmour	Dr.	521	Not Jouralized
	Construction Division Parwanoo			
47	Royalty Receipt A/C	Dr.	104937	Not Jouralized
48	Development of Education hub at Kalujhanda	Dr.	746369	Not Jouralized
49	Administration Charges	Dr.	294480	Not Jouralized
	Construction Division Mandi			
50	Income tax A/C	Dr.	3316018	Not Jouralized
51	Sales Tax A/C	Dr.	2933340	Not Jouralized
52	Contractors Labour Welfare Fund A/C	Dr.	1468017	Not Jouralized
53	Receipt from commandant IRB Jungle Beri Hamirpur	Dr.	100000	Not Jouralized
		Total	**93642887**	

Table-B:-

Sr. No.	Particulars (Item)	Cr.	Amount (₹)	Remarks
Construction Division Dharamshala				
1	AR & MO Road Roller 8238	Cr.	231000	Not Jouralized
Construction Division Shimla-I				
2	TA Exp. A/C	Cr.	593	Not Jouralized
3	Gratuity Exp. A/C	Cr.	770900	Not Jouralized
4	Department Charges	Cr.	13746740	Not Jouralized
5	Salary Payable A/C	Cr.	19942217	Not Jouralized
6	CPF Sub. A/C	Cr.	6601417	Not Jouralized
7	GPF Sub. A/C	Cr.	337770	Not Jouralized
8	GIS Sub. A/C	Cr.	2570	Not Jouralized
9	LIC (SSS) Sub. A/C	Cr.	788604	Not Jouralized
10	Employees Welfare Fund Scheme	Cr.	76575	Not Jouralized
11	Group Personal Accident Insurance	Cr.	7120	Not Jouralized
12	Income Tax Account	Cr.	1561248	Not Jouralized
13	Sales Tax Account	Cr.	2059519	Not Jouralized
14	Cess Charges Account	Cr.	895771	Not Jouralized
15	Swatch Bharat Cess	Cr.	66160	Not Jouralized
16	Service Tax Account	Cr.	2693287	Not Jouralized
17	Stock Suspense Account	Cr.	17480482	Not Jouralized
18	MPSSA	Cr.	9625825	Not Jouralized
19	Stock Atorage Suspense Account	Cr.	524420	Not Jouralized
20	Staff Advance A/C	Cr.	618096	Not Jouralized
21	Misc. Advance A/C of Contractors	Cr.	258	Not Jouralized
22	Misc. Advance A/C	Cr.	5715392	Not Jouralized
23	E/Money & Security Deposit	Cr.	3202749	Not Jouralized

	Account			
24	Deposit Account of Staff	Cr.	4850	Not Jouralized
25	Deposit Account of Contractors	Cr.	3028630	Not Jouralized
26	CSS A/C XEN HIMUDA Div. Elect.	Cr.	104665	Not Jouralized
27	CSS A/C of XEN HIMUDA Divn. No. II	Cr.	12853	Not Jouralized
28	Imprest Account under CSS A/C XEN Division No. II HIMUDA Shimla-9	Cr.	30425	Not Jouralized
	Construction Division Parwanoo			
29	CSS A/C XEN (E) Shimla	Cr.	1254349	Not Jouralized
30	CSS A/C XEN (E) Dharamshala	Cr.	84205	Not Jouralized
31	CSS A/C XEN Division No. II, Shimla	Cr.	5802	Not Jouralized
32	Administration charges	Cr.	19095964	Not Jouralized
	Construction Division Mandi			
33	Receipt From CEO-cum-Secretary HIMUDA, SML-2	Cr.	150715000	Not Jouralized
34	Sale of Tender Forms	Cr.	145000	Not Jouralized
35	Income Tax A/C	Cr.	3316628	Not Jouralized
36	Sales Tax A/C	Cr.	2933340	Not Jouralized
37	Contractors Labour Welfare Fund A/C	Cr.	1460024	Not Jouralized
38	Water Tax Charges A/C	Cr.	618958	Not Jouralized
39	Misc. & Other Receipt A/C	Cr.	154239	Not Jouralized
40	Interest on Loan and Advance from employees	Cr.	59537	Not Jouralized
41	Department Charges A/C	Cr.	21526120	Not Jouralized
42	Street Light & Maintenance charges A/C	Cr.	2052766	Not Jouralized
43	House Rent A/C	Cr.	22616	Not Jouralized
44	Receipt from R/M of Rest	Cr.	21000	Not Jouralized

	House			
45	RTI Act	Cr.	1338	Not Jouralized
46	Sewerage Connection Fee A/C	Cr.	2780	Not Jouralized
47	Interest on saving bank A/C	Cr.	125521	Not Jouralized
48	Receipt from Director Ayurveda HP Shimla	Cr.	1880000	Not Jouralized
49	Principal ITI Mandi, Distt, Mandi	Cr.	11730000	Not Jouralized
50	Principal ITI Chachiot, Distt Mandi	Cr.	2204150	Not Jouralized
51	Principal ITI Lambloo, Distt. Hamirpur	Cr.	500000	Not Jouralized
52	Assistant Excise & Taxation Commissioner Mandi	Cr.	6826538	Not Jouralized
53	District Youth Services & Sports officer Bilaspur	Cr.	600000	Not Jouralized
54	Principal GSSS Ghumarwin, Distt. Bilaspur	Cr.	150000	Not Jouralized
55	Principal GDC Barsar, Distt. Hamirpur	Cr.	5604750	Not Jouralized
56	Principal GDC Sarkaghat, Distt. Mandi	Cr.	435450	Not Jouralized
57	Receipt from commandeant IRB at Pandoh	Cr.	662610	Not Jouralized
58	Principal ITI Bani, Distt. Hamirpur	Cr.	6000000	Not Jouralized
59	Principal GDC Nadaun, Distt. Hamipur	Cr.	1187250	Not Jouralized
60	Principal ITI Bhoranj Distt. Hamirpur	Cr.	5000000	Not Jouralized
61	House Building Advanxe A/C	Cr.	102703	Not Jouralized
62	C/O IRB at Jungle Beri (Sh. C/O RCC O.H. Tank)	Cr.	110714	Not Jouralized
63	Providing protection work by pdg Suket khad	Cr.	25	Not Jouralized
		Total	**336719513**	

उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अन्तिम लेखों में चालू सम्पत्ति/दायित्व/आय/व्यय इत्यादि को वास्तविक से कम/अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियाँ अर्थात तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाता हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/22 दिनांक 5.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42 विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित ₹39.31 करोड़ के लेन–देन की राशियाँ हिमुडा के अन्तिम लेखों में गलत राशि से या गलत लेखा शीर्ष के अन्तर्गत या गलत पक्ष (Wrong side) में अनुचित रूप से समायोजित करनाः–

(i) अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण मण्डलों के तलपट की प्रविष्टियों का हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों में एकीकरण (Consolidation) करते समय निम्न तालिका (Table) (A) व (B) में वर्णित विवरण अनुसार ₹226727695.78 व ₹166386765.25 कुल ₹393114461 के लेन देन की राशियों को हिमुडा के अन्तिम लेखों में गलत राशि से या गलत लेखा शीर्ष के अन्तर्गत या गलत पक्ष (Wrong Side) में अनुचित रूप से समायोजित किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः–

Table-A

Sr. No.	Particulars (Item)	Dr./ Cr.	Amount Journalized (₹)	Amount to be Journalized (₹)	Diff. (₹)	Remarks
Electrical Division Dharamshala (HMR)						
1	Shifting of L.T.line passing the plot No. 19 in Dhundi. Mandi	Dr.	65390	0	65390	It is the opening as well as closing Balance in the Division"s Trial Balance but booked as expenditure vide

						Jr. Voucher No. 1 whereas there was No. expenditure during current year.
2	Shifiting of Pole S.F.S. Bilaspur 16 Nos. Flats	Dr.	83190	0	83190	It is the opening as well as closing Balance in the Division"s Trial Balance but booked as expenditure vide Jr. Voucher No. 1 whereas there was No. expenditure during current year.
3	SFS at Bilaspur C/O 12 Nos. Cat-III at Bilaspur	Dr.	1074712	732305	342407	Actual amount ₹732305 but journalized for ₹1074712 Hence excess journalized by ₹342407 vide Jr. Voucher No. 1
4	C/O 12 Nos. Cat-II (Block No. 1 & 2)	Dr.	394880	0	394880	It is opening as well as closing balance in the Division"s Trial Balance but booked as expenditure vide Jr. voucher No. 1 whereas there was No. expenditure during current year.
5	C/O 12 Nos. Cat-II (Block No. 3 & 4)	Dr.	918968	571205	347763	Actual amount ₹571205 but journalized for ₹918968. Hence excess journalized by ₹347763 vide. Jr. Voucher No. 1
6	Pdg. 3 Phase L.T. Line to Additional	Dr.	78236	0	78236	It is opeinging as well as closing balance in

	Plots at Khanyara (Kandi)					the Division"s Trial Balance but booked as expenditure vide Jr. Voucher No. 1 whereas there was no expenditure during current year.
7	Pdg. S.O.P. to block No. 16 & 17 SFS Sidhpur Mohli	Dr.	687960	0	687960	-do-
8	Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 above	Dr.	3303336	0	3303336	All items gain journalized vide JV No. 2
9	C/O ITI Garhjamula Pdg. EI	Dr.	944925	954925	10000	Journalized for ₹944925 vide
10	C/O Govt. Sr.Sec. School at Guneher Pdg. Int. E.l.	Dr.	476	238	238	₹238 as per corrected figure in Division Trial Balance but journalized for ₹476 vide JV No. 20. Hence excess journalized for ₹238 (476-238)
11	C/O 2.5 Tonnes Capacity Ice Plant at Dobar Distt. Una i/c int. e.i.	Dr.	19773	156773	137000	₹156773 sa per corrected figure in Division for ₹19773 vide JV No. 13,. Hence less Journalized for ₹137000 (156773-19773)
12	C/O Office distt. Panchayat Office 1st Floor at Dharmashala	Dr.	239645	239382	263	₹239392 as per corrected figure in Division Trial Blance but journalized for ₹239645 vide Jv No. 15. Hence excess journalized for ₹263 (239645-239382)

13	Street light at Holta	Dr.	251565	25156	226409	Journalized for ₹251565 vide JV No. 21. Hence Excess Journalized for ₹226409 (251565-25156)
14	HC Dhaundi Mandi	Dr.	28475	10305	18170	Journalized for ₹28475 vide JV No. 21. Hence Excess Jo
15	Street Light at Durhi	Dr.	9325	27495	18170	Journalized for ₹9325 vide JV No. 21.Hence less journalized for ₹18170 (27495-9325)
16	RM of Car No. HP-07-2781	Cr.	936711	2034764	1098053	Journalized for ₹936711 vide JV No. 22. Hence less journalized for ₹1098053 (2034764-936711)
17	RM of Car No. HP-07C-0030	Cr.	577989	1763394	1185405	Journalized for ₹577989 vide JV No. 22. Hence less journalized for ₹1185405 (1763394-577989)
18	Staff Advance A/C	Cr.	849114	858114	9000	Journalized for ₹849114 vide JVNo.23. Hence less Journalized for ₹9000 (858114-849114)
19	Misc. Expenses A/C	Dr.	16573	16174	399	Journalized for ₹16573 vide JV No. 24 Hence excess journalized for ₹399 (16573-16174)
20	Establishment Expenses A/C	Dr.	12045	10112045	10100000	Journalized for ₹12045 vide JV No. 27. Hence less

						journalized for ₹10100000 (10112045-12045)
21	CPF Board Share A/C	Cr.	1145009	1052343	92666	Journalized for ₹1145009 vide JV No. 27. Hence excess journalized for ₹92666 (1145009-1052343)
22	Staff Advances (Electrical Division Hamirpur)	Cr.	66503410	0	66503410	This figure journalized as credit vide JV No. 29 but not appeared anywhere in Division"s Trial Balance
Construction Division Dharamshala						
23	R/M WSS Khaniyara	Dr.	16212000	1621200	14590800	Journalized for ₹16212000 vide JV No. 15. Hence excess journalized for ₹14590800 (16212000-1621200)
24	C/O Nivedita Girls Hostel at Paprola	Cr.	14540000	1454000	13086000	Journalized for ₹14540000 vide JV No. 28. Hence excess journalized for ₹1386000 (14540000-1454000)
25	C/O Polytechnic College at Kanikhet Chamba	Cr.	11089932	11089932	100000000	Journalized for ₹11089932 vide JV No. 29. Hence excess journalized for ₹100000000 (111089932-11089932)
Construction Division Shimla-II						
26	Medical Advance A/C	Dr.	27000	270000	243000	Journalized for ₹27000 vide JV No.

						2. Hence less journalized for ₹243000 (270000-27000)
Construction Division Shimla-I						
27	C/O Commercial Complex near Petrol pump at Vikas Nagar Shimla-9	Dr.	1178388	11782388	10604000	Journalized for ₹1178388 vide JV No. 23. Hence less Journalized for ₹10604000 (11782388-1178388)
28	Housing Colony Baddi Ph-III	Dr.	1107004	1078163	28841	Journalized for ₹1107004 vide JV No. 11. Hence excess journalized for ₹28841 (1107004-1078163)
29	Rest House Building Elect. Shimla	Cr.	15651.91	52662.80	37010.89	As per depreciation schedule "D" the amount of depreciation is ₹52662.80 but journalized for ₹15651.91 vide JV No. 62. Hence less journalized for ₹37010.89 (52662.80-15651.91)
30	Crokery & Cutlery A/C Elect. Shimla	Cr.	52662.80	15651.91	37010.89	As per depreciation schedule LDL the amount of depreciation is ₹15651.91 but journalized for ₹52662.80 vide JV No. 62. Hence excess journalized for ₹37010.89 (52662.80-15651.91)

Construction Division Parwanoo						
31	Staff advance Account	Cr.	2400000	2450000	50000	Journalized for ₹2400000 vide JV No. 10. Hence less journalized for ₹50000 (2450000-2400000)
32	Electricity & Power of WSS, Parwanoo	Dr.	15857855	15857755	100	Journalized for ₹15857855 vide JV No. 11.Hence excess journalized for ₹100 (15857855-15857755)
Construction Division Mandi						
33	Add. Accmmd. For Science block at GSSS (Girls) Bilaspur	Cr.	3720653	372065	3348588	Journalized for ₹3720653 vide JV No. 19. Hence excess journalized for ₹3348588 (3720653-372065)
				Total	**226727695.78**	

Table-B:-

Sr. No.	**Particulars (Item)**	**Dr./ Cr.**	**Amount (₹)**	**Remarks**
Electrical Division Dharashala (HMR)				
11	C/O SDPO Office-cum-Residence at Kehra Pdg. Int.EI	Dr.	176884	Journalized under wrong head CHC at Dehra vide JV No. 10
21	Enlistment Fee	Cr.	11450	Item Journalized under wrong head "Lince Fee" vide JV No. 26
22	License Fee	Dr.	46283	Item journalized under wrong head "Lince Fee" vide JV No.27
23	License Fee	Cr.	21552	Item journalized under wrong head "Lince Fee" vide JV No. 27
26	Imprest Account	Dr.	35513600	This is a credit entry as per Division Trial balance but wrongly journalized in debit side vide JV No. 29
Construction Division Dharamshala				
1	Receipt from RTI	Cr.	575	Item Journalized under wrong spelt head "R/r

				T.I. vide JV No.3
2	Water Meter Security Bangana	Cr.	600	Journalized under wrong head "water Con. Fee Bangana vide JV No. 7.
3	Water Meter Security Bindradan	Cr.	600	Journalized under wrong head "water Con. Bindraban for ₹5700 vide JV No. 7. Hence excess journalized for ₹5100 (5700-600)
4	Water Mater Security, Kangra	Cr.	4500	Journalized under wrong head "Water Con. Fee Kangra vide JV No. 7.
5	Bank Account	Dr. Cr.	4861000 4861000	Journalized as Debit & Credit under wrong heads Bank Charges Dharamshala Division vide JV No. 13
6	R/M WSS Lahna	Dr. Cr.	3025 28091	Journalized as Debit & Credit under wrong spelt heads WSS Loahan vide JV No. 15
8	R/M of Sewerage Bindraban	Dr.	89289	Journalized under wrong spelt head Sew Berandavan vide JV No. 16
9	Miscellanceous Advance Account	Dr. Cr.	23878786 20223969	Journalized as Debit & Credit under wrong spelt heads Miss Advance A/C vide JV No. 17
10	C/O Indoor Stadium Dulehar Una	Dr.	60283	Journalized in the credit side vide JV No. 26
11	C/O Apang Bal Sadan Dharamshala	Dr.	234000	Journalized in the credit side vide JV No. 26
12	C/O Pollution Control Board Dharmashala	Dr.	56156	Journalized in the credit side vide JV No. 26
13	C/O College of Legal Study at Dharmashala	Dr.	97316	Journalized under wrong head "Legal Exp/Litigation Advance A/C" vide JV No. 26
14	C/O Ayurvedic Building Mohal Khad Chari Kangra	Cr	515247	Journalized under wrong head New Pharmacy Building Ayurvedic Paprola vide JV No. 28
17	C/O New Sub Jail Bangarh, Una	Dr. Dr. Dr. Dr.	91640 28651 33045 84083	Journalized under wrong heads "C/O of new sub Jail Bangana, Una vide JV No. 32.
18	C/O Admin Block Police Line Dharmashala	Dr.	243111	Journalized under wrong head "C/O PHS in Var Places Dharmashala Admin Charges vide JV No.33

19	R/M of Non-Residential building at Shahpur	Cr.	400000	Journalized under wrong head LPHS C/O 2 Nos. T-i Quarters Kangra & 4 Nos T-1 Quarters at Shahpur vide JV No. 33
20	C/O 4 Nos. Type-II qtrs. Police Station Mecleodganj Dharmashala	Dr.	1670594	Journalized under wrong head "D/O site for Machial Lake Phase 1.2 + C/O TIC Mecleodganj vide JV No. 33
21	C/O R/M Non-Residential Police building at Mecleodganj Dharmashala	Dr. Cr.	330226 400000	Journalized as Debit & Credit under Wrong heads "D/O Site for Machial Lake Phase 1.2 + C/O TIC Mecleodganj vide JV No. 33
22	C/O Health Sub centre at Kural Kangra	Dr.	15725	Journalized under wrong head "C/O Health Sub Centre at Kura Kangra vide JV No. 39
Construction Division Shimla-II				
2	Income Tax Account	Cr.	1933748	Item journalized in Debit side vide JV No. 19
Construction Division Shimla-I				
1	AR & MO of Officers Accommodation at K/wood	Dr.	20271	Journalized under wrong head LA/r & MO Base in H/C Sanjauli, Shimla-6 Ph-I & II vide JV No. 1
2	Head Office	Cr.	9262692	Journalized under wrong head 7 nos AI shed Nankhari, Kotgarh, Shiwan vide JV No. 3.
3	C/O SFS at Theog	Dr. Dr. Dr. Dr.	1088023 1221737 1938 1938	Journalized under wrong heads "C/O SFS at Theog (Sh: Dev. of site for 10000 litrs) vide JV No. 19.
5	Interest on HBA	Cr.	19700	Journalized under wrong head Interest Receipt A/C BF LI vide JV No. 29
6	Int. RI. Account Bank Deposit/Savings	Cr.	4313	journalized under wrong head Interest Receipt A/C BF LI vide JV No. 29
Electrical division Shimla				
1	E-Cess on income Tax	Dr. Cr.	10516 13879	Journalized as Debit & Credit under wrong heads Labour Cess 1% (Electrical Division Shimla) vide JV No. 4

2	Head Office	Cr.	5071426	Journalized under wrong head "Head Office (TLC)" vide Jv No. 8
3	C/O Residential Complex for Industrial Workers at Bhatolikalan Baddi Ph-IV (Sh. S/R to E.I. in 20 Nos. Flats	Cr.	157940	Journalized under wrong head "C/O of 4 nos. Type-II Resi.Otrs & Police Station at Baddi vide JV No. 9
5	C/O School Building at Sr.Sec.School Bhutti, distt. Shimla	Dr.	6204	Journalized under wrong head Welfare Office Solan vide JV No. 12
Construction Division Parwanoo				
1	Miscellaneous Deposit Account	Dr. Cr.	9427243 10256684	Journalized as Dr. & Cr. under wrong heads Miss Deposits A/C vide JV No. 3
2	Security of Deshera Ground Parwanoo	Dr. Cr.	20000 25000	Journalized as Dr. & Cr. under wrong heads LSecurity with other Deptt. Parwanoo Division vide JV No. 3
3	Education Loan A/C	Cr.	22500	Journalized under Wrong head Bank Loan Account vide Jv No. 7
6	A/R & MO Road at Mandhala	Dr.	1,67,751	Journalized under wrong head "Annual Repair of Wss Mandhala" vide JV No. 17.
7	Pdg. Pumping Machinery at Housing Colony at Jurja	Dr.	2,00,187	Journalized under wrong head "Dev. of site for Housing Colony Jurja Nahan" vide JV No. 27.
8	Improvement of Water Supply Scheme Parwanoo	Dr.	3,04,98,636	Journalized under wrong head "Improvement of Ews Flats/Plots/Houses PWN" vide JV No. 31.
9	C/O School Building at Apron Distt. Sirmour	Dr.	3,08,327	Journalized under wrong head "C/O School at Daya Sirmour RMSA" vide JV No. 31.
10	Road Roller Parwanoo	Cr.	14.25	As per depreciation schedule "D", the amount of depreciation is `14.25 but journalized under

				wrong head "Road Roller A/C-8338 vide JV No. 35
Construction Division Mandi				
31	LTC A/C	Dr.	19,200	Journalized under wrong head "Office Equipment-Mandi Div." vide JV No. 2.
32	CSSA (E) Shimla	Cr.	7,86,679	Journalized under wrong head "CSSA-Mandi Div." vide JV No. 5.
33	C/O Road, path & dev. of plots etc.	Dr.	12,25,840	Journalized under wrong head "D/W of BDO Mandi M/Tarring of Road Beheuli Mandi" vide JV No. 7.
34	A/R & M/O Road	Dr.	3,075	Journalized under wrong head "D/W of BDO Mandi M/Tarring of Road Beheuli Mandi" vide JV No. 8.
35	C/O Road, path & dev. of plots etc.	Dr.	3,82,610	Journalized under wrong head "D/W of BDO Mandi M/Tarring of Road Beheuli Mandi" vide JV No. 8.
36	R/M of WSS Nayanagar	Dr.	1,26,872	Journalized under wrong head "Ar Mo Wss Mandi" vide JV No. 10.
37	C/O 2 Nos. T-II Police Qtrs. (2nd Floor) at Swarghat	Dr.	18,876	Journalized under wrong head "C/O 2 Nos. Inspector Residence Sarkaghat" vide JV No. 18.
41	C/O 2 Nos. Class room GHS at Nandi (RMSA), Mandi	Dr.	1,01,665	Journalized under wrong head "C/O 2 Nos. Class room GHS at Nandi (RMSA), B/Pur" vide JV No. 20.
	Total		**166386765.25**	

(ii) उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अन्तिम लेखों में चालू सम्पत्ति/दायित्व/आय व व्यय/लाभ/Reserve & Surplus इत्यादि को वास्तविकता से कम/अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियाँ अर्थात तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाता हिमुडा की सही व वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। Table-A व Table-B में वर्णित लेन–देन में से उदाहरण स्वरूप कुछ बड़ी राशियों के लेन–देन से वर्ष 2015–16 की वित्तीय विवरणियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण निम्न Table-C में दर्शाया गया है:–

Table-C

Table-A व Table –B में वर्णित लेन–देन में से उदाहरण स्वरूप कुछ बड़ी राशियों के लेन–देन से वर्ष 2015–16 की वित्तीय विवरणियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरणः–

Sr. No.	Name of Division	Head of account	Jr./Cash Voucher No./Date	Amount(₹)	Name of Financial Statement		Remarks/effect in financial statements
					Amount where wrongly classified	Amount where should be actually classified	
1	Elect. Div. D/shala	Imprest Account of CSSA	29/31.3.16	3,55,13,600 Dr.	As expenditure in P&L A/C	As Current Assets in Balance Sheet	Amount of profit as well as current assets decreased
2	H.Q. Office	Leave Encashment	2165/31.3.16 2166/31.3.16	1,00,00,000 Dr. 1,00,00,000Dr.	As expenditure in P&L A/C	As Current Assets in Balance Sheet	Actually amount pertains to investment in r/o Leave Encashment Fund but classified as expenditure of leave encashment payment. Thus profit as well as current assets decreased.
3	H.Q. Office	Group Gratuity Scheme premium payment	79/9.4.15 517/4.7.15 1947/29.2.16	2,55,695 Dr.	As expenditure in P&L A/C	As Current Assets in Balance Sheet	Actually amount pertains to investment in r/o Gratuity Fund but classified as expenditure of gratuity payment. Thus profit as well as current assets decreased.
4	Elect. Div. D/shala	Service Tax (HMR)	23/31.3.16	1,57,386Cr.	As minus expenditure in P&L A/C	As Current liability in Balance Sheet	Amount of profit/Reserve & Surplus overstated whereas current liability understated
5	Division Parwanoo	Bank loan	7/31.3.16	22,500 Cr.	As income in P&L A/C	As Current liability in Balance Sheet	Amount of profit/Reserve & Surplus overstated whereas current liability understated
5	H.Q. Office	License Fee A/C of Promoters	357/5.6.15	15,000 Dr.	As minus income in P&L A/C	As Current liability in Balance Sheet	Actually amount pertains to refund of Registration Fees deposited by

							Developers but classified as minus income in P&L A/C instead of current liability. Amount of profit/Reserve & Surplus understated whereas current liability overstated
				5000 Cr.	Not classified	As income in P&L A/C	Actually total amount pertaining to Registration Fees deposited by Developers was ₹20,000 out of which ₹15,000 was refunded after forfeiture of ₹5,000 but no classification/entry was made in final accounts. Thus amount of profit/Reserve & Surplus understated whereas current liability overstated
6	Division Mandi	Maintenance Charges	6 to 13 (except 10)/31.3.16	2,31,707 Dr.	As minus income in P&L A/C	As expenditure in P&L A/C	Understatement of amount of income/expenditure shown in P&L A/C.
7	H.Q. Office	Rent Charges A/C	1180/3.11.15	6,23,862 Dr.	As minus income in P&L A/C	As expenditure in P&L A/C	The payment of lease money of land paid to Tehsildar, Rampur wrongly classified as minus income instead of expenditure in P&L A/C. Thus amount of income/expenditure under respective heads shown understated in P&L A/C.
8	Division Mandi	Sewerage Connection Fee	6 to 13 (except 10)/31.3.16	2,59,912 Dr.	As minus income in P&L A/C	As expenditure in P&L A/C	Actually amount pertains to R&M of sewerage but wrongly classified as minus income under head Sewerage Connection Fees. Thus income/expenditure shown under respective heads understated in P&L A/C.

9	Division Dharamshala	Misc. Receipts	3/31.3.16	36,54,817 Dr.	As minus income in P&L A/C	As Current Assets in Balance Sheet	Actually amount pertains to Misc Advance but wrongly classified as minus income under head Misc. Receipts. Thus income/Reserve & Surplus and current assets understated.
			3/31.3.16	2,79,482 Cr.	As income in P&L A/C	As Current Assets in Balance Sheet	Actually amount pertains to Secure Advance but wrongly classified as income under head Misc. Receipts. Thus income/Reserve & Surplus and current assets overstated.
			3/31.3.16	59,68,927 Cr.	As income in P&L A/C	As Current Liabilities in Balance Sheet	Actually amount pertains to Withheld Amount A/C but wrongly classified as income under head Misc. Receipts. Thus income/Reserve & Surplus and current liabilities overstated.
	Shimla Division-II	Misc. Receipt A/C	19/31.3.16	6,37,51,403 Cr.	Under head Misc. Receipt A/C in P&L Account	Under head Departmental Charges A/C in P&L Account	Classification under wrong head of account.
11	H.Q. Office	Investments	Rt. No. 516742 31.3.16	2,03,00,000 Cr.	Under head Gratuity Fund A/C in Balance Sheet	Under head Leave Encashment Fund A/C in Balance Sheet	Classification under wrong head of account.
12	Division Parwanoo	Water Meter Connection Security-Baddi	1/31.3.16	1,42,93,153Cr.	As Current Liabilities under head Water Meter Security-Baddi A/C in Balance Sheet	As Income under head Water Charges A/C in P&L Account	Actually Receipt amount pertains to Water Charges/fee A/C but wrongly classified as Current Liability under head Water Meter Security-Baddi A/c. Thus income/ Reserve & Surplus understated and current liabilities overstated

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/22 दिनांक 5.9.2017 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 चालू दायित्व (Current Liabilities (Schedule-C) से सम्बन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अन्तः शेष को नाम (Debit) दर्शाए जाने सम्बन्धी संशयपूर्ण अनियमितताः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चालू दायित्व अनुसूची–C (Current Liabilities (Schedule-C) से सम्बन्धित निम्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अन्तः शेष को नाम (Debit) दर्शाया गया था जोकि मान्य लेखा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि चालू दायित्व (Current Liabilities) का अन्तः शेष हमेशा जमा (Credit) होना चाहिए। अतः चालू दायित्व (Current Liabilities) लेखा शीर्षो के अन्तर्गत अन्तःशेष को नाम (Debit) दर्शाए जाने से ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि या तो राशि से अधिक का वापसी भुगतान किया गया है या राशि को गलत शीर्ष अथवा गलत पक्ष (Wrong side) में वर्गीकृत किया गया है या लेनदारों (Creditors) के खातों को अधिक राशि से Debit किया गया है या चालू सम्पत्ति (Current Assets) को चालू दायित्व (Current Liabilities) के अन्तर्गत दर्शाया गया है इत्यादिः–

Head of Account	Amount)₹(	Sub-Schedule
Employees" Pension Fund	50,77,812.00 Dr.	LVI
Duties & Taxes	2,09,78,167.76 Dr.	XVI
	850.00 Dr.	XVI

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित अनियमितता मुख्य अनुसूची–C (Schedule-C) की विभिन्न अनुसूचियों में भी पाई गई है जिसमे उदाहरण स्वरूप उप अनुसूची XXI अन्य दायित्व (Other Liabilities of Sub-Schedule-XXI) के अन्तर्गत पाई गई अनियमितता निम्न वर्णित हैः–

Head of Account	Sub-Head	Amount)₹(	Sub-Schedule
Other Liabilities	CPS Subscription A/C	39,986.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	House Rent (Govt. A/C)	5,405.75 Dr.	XXI
Other Liabilities	LIC Board A/C	2,96,545.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	Premium Recoverable A/C	3,760.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	Car Advance A/C	22,507.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	Deputationists Deposit A/C Staff	36,150.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	CPF Sub & Board Share	92,40,441.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	Employees Welfare Fund A/C	9,890.00 Dr.	XXI
Other Liabilities	Income Tax & Surcharge A/C	38,28,720.00 Dr.	XXI

अतः मुख्य अनुसूची व उप अनुसूचियों में पाई गई उक्त वर्णित त्रुटियों/अनियमितताओं के कारणों/परिस्थितियों की पूर्ण छानबीन करके लेखों में उचित सममाधान करते हुए वित्तीय विवरणियों का सुधार सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44 चालू दायित्व (Current Liabilities (Schedule-C) से सम्बन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अन्तः शेष को नाम (Credit) दर्शाए जाने सम्बन्धी संशयपूर्ण अनियमितताः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चालू परिसम्पत्ति अनुसूची–E (Current Assets (Schedule-E) से सम्बन्धित निम्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अन्तशेष को जमा (Credit) दर्शाया गया था जोकि मान्य लेखा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि चालू परिसम्पत्ति (current Assets) का अन्तः शेष हमेशा नाम (Debit) होना चाहिए। अतः चालू परिसम्पत्ति (Current Assets) लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अन्तः शेष को जमा (Credit) दर्शाए जाने से ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि या तो देय राशि से अधिक की वसूली की गई है या राशि को गलत शीर्ष अथवा गलत पक्ष (Wrong side) में वर्गीकृत किया गया है या देनदारों (Debtors) के खातों को अधिक राशि से जमा (Credit) प्रदान

किया गया है या चालू दायित्व (current Liabilities) को चालू सम्पत्ति (current Assets) के अन्तर्गत दर्शाया गया है इत्यादिः–

Head of Account	**Amount)₹(**	**Sub-Schedule**
Loans & Advances to staff	50,71,426.00 Cr.	LV
Rent Charges Receivable	1,84,072.00 Cr.	XXVIII
Income Tax (TDS) Pensioner A/C	1,77,087.00 Cr.	XXXIII
Water Charges Receivable	39,82,845.00 Cr.	XXXIX
Loans & Advances (Asset)	5,69,24,167.59 Cr.	XL
Other Misc. Advances	8,99,015.00 Cr.	XLII
Cash in Transit	2,54,42,963.74 Cr.	XLV
Imprest & CSS A/C	26,39,99,361.69 Cr.	XLIX
Misc. Advance A/C	25,17,069.39 Cr.	L

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित अनियमितता मुख्य अनुसूची–E चालू परिसम्पत्ति (Schedule-E Current Assets) की विभिन्न अनुसूचियों में भी पाई गई है जिसमें उदाहरण स्वरूप उप अनुसूची–LII Work in Progress C/O Building (Work in Progress C/O Building of Sub-Schedule-LII) के अन्तर्गत पाई गई अनियमितता निम्न वर्णित हैः–

Head of Account	**Sub-Head**	**Amount (₹(**	**Sub-Schedule**
Work in Progress C/O Building	Acquisition of land at Jathia Devi Shimla	3,98,04,000 Cr.	LII
Work in Progress C/O Building	C/O Admin Block at Dharamshala	16,96,000 Cr.	LII
Work in Progress C/O Building	Maintenance Charges Baddi	50,87,812 Cr.	LII
Work in Progress C/O Building	Maintenance Charges Receivable Kalujhanda	1,06,94,783 Cr.	LII

अतः मुख्य अनुसूची व उप अनुसूचियों में पाई गई उक्त वर्णित त्रुटियों/अनियमितताओं के कारणों/परिस्थितियों की पूर्ण छानबीन करके लेखों में उचित समाधान करते हुए वित्तीय विवरणियों का सुधार सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरणियों से हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

45 **वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभ व हानि खाता (Schedule-H) के आय व व्यय पक्ष से सम्बन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक (Minus) शेष दर्शाए जाने सम्बन्धी संशयपूर्ण अनियमितताः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभ व हानि खाता (Schedule-H) आय व व्यय पक्ष से सम्बन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक (Minus) शेष दर्शाए गए थे जोकि मान्य लेखा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि आय व व्यय पक्ष से सम्बन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक (Minus) शेष नहीं होना चाहिए। अतः वर्णित अनियमितता से ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि या तो राशि को गलत शीर्ष अथवा गलत पक्ष (Wrong side) में वर्गीकृत किया गया है या चालू दायित्व (Current Liabilities)/चालू सम्पत्ति (current Assets) को राजस्व आय/व्यय वर्गीकृत किया गया है इत्यादिः–

Profit & Loss Account for the year ending as on 31.3.2016

Particulars	Amount)₹(
(A) Income (Credit Side):-	
License Fee A/C of Promoter	(-) 8,616
Sewerage Connection Fee	(-) 2,36,112
(B) Expenditure (Debit Side):-	
CPF Board Share A/C	(-) 93,166
Appeal Charges	(-) 3,28,154
Demand Charges	(-) 36,851
Service Tax Payment (P&L) A/C	(-) 939
Stock Storage Expenses	(-) 14,72,690
AR & MO of Vehicle	(-) 38,26,51
Bank Charges	(-) 24,835
RM of Vehicle	(-) 27,07,322
Misc. Expenses	(-) 86,293

अतः लाभ व हानि खाता (Schedule-H) में पाई गई उक्त वर्णित त्रुटियों/अनियमितताओं के कारणों/परिस्थितियों की पूर्ण छानबीन करके लेखों में उचित

समाधान करते हुए आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभ व हानि से हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

46 दिनांक 31.3.2016 तक के निर्माण कार्यों की ₹448.09 लाख को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना:–

वार्षिक लेखों में "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह निर्माण कार्य दर्शाये जाते है जो पूर्ण हो चुके है। वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet के Current Assets के Schedule XXXVI के अवलोकन करने पर पाया गया कि "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹44808972.53 पिछले कई वित्तीय वर्षों से दर्शाई जा रही थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्षों उपरान्त भी इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है जिससे यह संदेह प्रतीत होता है कि क्या यह निर्माण कार्य वास्तव में अभी तक भौतिक रूप से हिमुडा के स्वामित्व में उपलब्ध भी है? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 के माध्यम से Work Completed in hand के अन्तर्गत दर्शाए जा रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति बारे सूचना (Actual Factual Position) माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सम्बन्ध में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह मामला विशेष रूप से पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए और यदि पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को HIMUDA द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग में लाया जा रहा है तो इन निर्माण कार्यों की लागत को Balance Sheet के Fixed Assets (Own Building) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए और यदि स्वयं के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तो ऐसी सम्पत्ति की बिक्री हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	प्रारम्भिक शेष) ₹(	अन्तः शेष (₹(
Assetsinhand – Baddi Peripheri & Baddi Ph. 3	48,16,560.00 Dr.	48,16,560.00 Dr.
Assetsinhand – Baddi Ph.1	24,86,479.00 Dr.	24,86,479.00 Dr.

Assetsinhand – Baddi Ph. 2, 2 Nos. HIG H282&283 & P/N445	65,000.00 Dr.	65,000.00 Dr.
Assetsinhand – Basement Sanjauli	19,68,645.00 Dr.	19,68,645.00 Dr.
Assetsinhand – B/Ban Palampur Ph. 1799.07sqm Land	8,47,014.00 Dr.	8,47,014.00 Dr.
Assetsinhand – B/Ban Palampur Ph. 1Cat. 2 H/N 19& 57	5,91,000.00 Dr.	5,91,000.00 Dr.
Assetsinhand – B/Ban Palampur Ph. 1Cat. 3 H/N 72	5,34,000.00 Dr.	5,34,000.00 Dr.
Assetsinhand – B/Ban Palampur Ph. 1 H/N 50-54	8,31,040.00 Dr.	8,31,040.00 Dr.
Assetsinhand – BBC Indora Land 572 sqm @ 5431 sqm.	3,10,596.00 Dr.	3,10,596.00 Dr.
Assetsinhand – Com. Sites- Poanta Sahib (1559.31)	9,13,365.00 Dr.	9,13,365.00 Dr.
Assetsinhand – EWS Flats Ph.-2 Solan	95,000.00 Dr.	95,000.00 Dr.
Assetsinhand – HIG Plot No. 60 Solan	1,48,000.00 Dr.	1,48,000.00 Dr.
Assetsinhand – Knollswood	4,38,283.00 Dr.	4,38,283.00 Dr.
Assetsinhand – Land 40.49 sqm for 19 Nos. Cat. 3 Pwn.	11,41,503.00 Dr.	11,41,503.00 Dr.
Assetsinhand – Land 693.80 sqm for 13 Nos. Cat. 2 Flats	9,42,278.00 Dr.	9,42,278.00 Dr.
Assetsinhand – Land at Kandrori	3,99,265.00 Dr.	3,99,265.00 Dr.
Assetsinhand – Land under Com. Booths 157.70 sqm SFS	1,20,325.00 Dr.	1,20,325.00 Dr.
Assetsinhand – MIG F/No.90 H/No.30 SHC Solan	5,53,500.00 Dr.	5,53,500.00 Dr.
Assetsinhand – Parwanoo	1,60,86,520.00 Dr.	1,60,86,520.00 Dr.
Assetsinhand – Parwanoo Land & Old Structure	1,09,08,843.53 Dr	1,09,08,843.53 Dr
Assetsinhand – Ph.2 F/N.2 B/23 SFS Solan	3,45,000.00 Dr.	3,45,000.00 Dr.
Assetsinhand – Raw Land Bank SHC Rampur	9,173.00 Dr.	9,173.00 Dr.
Assetsinhand – SHC Kangra	1,99,000.00 Dr.	1,99,000.00 Dr.
Assetsinhand – Una	58,583.00 Dr.	58,583.00 Dr.
कुल योग	**4,48,08,972.53 Dr.**	**4,48,08,972.53 Dr.**

47 दिनांक 31.3.2016 तक "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹254.43 लाख को सम्बन्धित वर्ष के दौरान समायोजित न करनाः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets की अनुसूची–XLV (Schedule-XLV) के अवलोकन करने पर पाया गया कि "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹25442963.74 Cr. दर्शाई गई थी जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। वर्णित Schedule के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कई निर्माण मण्डलों के सन्दर्भ में Cash in Transit लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से ज्यों कि त्यों दर्शाई जा रही है जबकि Cash in Transit लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियाँ उसी वित्तीय वर्ष या उसके आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित होनी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को वर्ष अनुसार समायोजित न करने बारे कोई सूचना अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः यह मामला उच्च अधिकारियो के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है साथ ही "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

CashInTransit लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि का विवरण

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹(	अन्तः शेष (₹(
CashinTransit Mandi Divsion	10,00,000.00 Cr.	10,00,000.00 Cr.
CashinTransit Shimla Division II	25,00,000.00 Dr.	25,00,000.00 Dr.
Dharamshala (04/2012)	1,50,00,000.00 Dr.	1,50,00,000.00 Dr.
Dharamshala CashinTransit (22.03.2013)	49,99,999.26 Dr.	49,99,999.26 Dr.
Division-1 (Cash in Transit)	7,00,000.00 Cr.	7,00,000.00 Cr.
Electrical Hamirpur CashinTransit	5,00,000.00 Dr.	5,00,000.00 Dr.
Electrical Shimla (Cash in Transit)	4,67,42,963.00 Cr.	4,67,42,963.00 Cr.
कुल योग	**₹2,54,42,963.74Cr.**	**₹2,54,42,963.74Cr.**

48 Imprest & CSS A/C –Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹45.74 लाख को सम्बन्धित वर्ष के दौरान समायोजित न करनाः–

Imprest & Cash Settlement Suspense A/C के अन्तर्गत वो राशियाँ दर्शाई जाती है जो Head Office द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण मण्डलों को उनके अधिकृत क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिए समय–समय पर जारी की जाती है। अतः नियमानुसार इन राशियों का समायोजन उन निर्माण मण्डलों के साथ उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र (Balance Sheet) से सम्बन्धित अनुसूची–XLIX का अवलोकन करने पर पाया गया कि Imprest & Cash Settlemnt Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹4573553.47 Dr. दर्शाई गई थी जिनमें से निम्न विवरणानुसार कई राशियाँ पिछले वित्तीय वर्षों से लगातार दर्शाई जा रही थी और जिनके समायोजन हेतु HIMUDA द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः वर्णित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही भविष्य में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹(	अन्तः शेष (₹(
CSS A/C of Mandi with Various Divisions	2320.00 Cr.	2320.00 Cr.
CSS A/C of Various Divisions with Shimla Division No. I	3770.00 Dr.	3770.00 Dr.
CSS A/C of Various Divisions with Shimla Division No. II	858683.36 Dr.	858683.36 Dr.
CSS A/C XEN Shimla Division No.II	136509.00 Dr.	136509.00 Dr.
CSS A/C XEN Himuda Division PWN	368380.00 Dr.	368380.00 Dr.
CSS A/C Paonta Factory	2,35,703.09 Cr.	2,35,703.09 Cr.
CSS A/C with other Divisions PWN Division	12,14,878.10 Cr.	12,14,878.10 Cr.
CSS A/C XEN Shimla Division No.1	81,23,979.27 Cr.	81,23,979.27 Cr.
CSSA Dharamshala Division	10788983.02 Cr.	10873403.02Cr.

CSSA Electrical Dharamshala (HMR)	803137.00 Dr.	803137.00 Dr.
CSSA (Electrical Division Shimla)	2,19,97,629.22 Dr.	24076870.22 Dr.
CSSA- Mandi Division	1814434.00Cr.	2601113.00 Cr.
ImprestA/c under CSS A/C of XEN Himuda Div.II	458004.00Cr.	458004.00Cr.
ImprestA/c under CSS A/C of XEN Himuda Div. PWN	423896.00Cr.	423896.00Cr.
Impress (CCS) A/C XEN Mandi Division	34,67,642.37 Dr.	34,67,642.37 Dr.

49 Interest Redemption लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹366.16 लाख को सम्बन्धित हाउसिंग स्कीम की लागत से वर्षों उपरान्त भी समायोजित न करनाः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet के Schedule-1, Capital Account में Interest Redemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹36616025.17 Cr. दर्शाई गई थी। अकेंक्षण के दौरान पाया गया कि यह राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही है तथा कई वित्तीय वर्ष के पश्चात भी इन राशियों को सम्बन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा ₹36616025.17 को सम्बन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुईं। अतः Interest Redemption A/C लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को वार्षिक आधार पर सम्बन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि को सम्बन्धित हाउसिंग कलौनी की लागत में समायोजन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तः शेष (₹)
ExcessInterest Charged to Colonies Kelston	8,74,119.77 Dr.	8,74,119.77 Dr.
InterestRedemption A/c – Baddi Ph.-2	66,91,581.87 Cr.	66,91,581.87 Cr.
InterestRedemption A/c-Commr. Kelston	85,670.70 Cr.	85,670.70 Cr.
InterestRedemption A/c- Commr. Una	30,19,883.43 Cr.	30,19,883.43 Cr.
InterestRedemption A/c- Indora Colony	33,529.00 Cr.	33,529.00 Cr.

InterestRedemption A/c- Mandi Colony	8,32,983.30 Cr.	8,32,983.30 Cr.
InterestRedemption A/c- Poanta Factory Ph. 1 &2	7,04,938.18 Cr.	7,04,938.18 Cr.
InterestRedemption A/c- SHC Shogi	50,97,579.00 Cr.	50,97,579.00 Cr.
InterestRedemption A/c- Strawberry Shimla	22,65,957.85 Dr.	22,65,957.85 Dr.
InterestRedemption A/c- Type-1,2&3 Knollswood	3,60,636.50 Cr.	3,60,636.50 Cr.
InterestRedemption A/c- Various Colonies	2,29,29,300.81 Cr.	2,29,29,300.81 Cr.
कुल योग	**3,66,16,025.17 Cr.**	**3,66,16,025.17 Cr.**

50 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखों में Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹2557.57 लाख का शेष नाम (Debit) दर्शानाः–

लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह राशि दर्शाई जाती है जो विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों द्वारा HIMUDA की हाउसिंग स्कीमों के अन्तर्गत फ्लैट,प्लाट इत्यादि क्रय करने के लिए प्रारम्भिक रूप से जमा करवाई गई थी। अतः नियमानुसार ऐसी समस्त राशियों का अन्तिम शेष जमा (क्रेडिट) होना चाहिए तथा इस प्रकार Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत समस्त देनदारी वाली राशियों का अन्तिम शेष क्रेडिट दर्शाया जाना चाहिए था परन्तु अंकेक्षण में Intial Deposit/Earnest Money से सम्बन्धित अनुसूची–XIV (Schedule-XIV) का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को वर्णित अनुसूची (Schedule) में निम्न विवरण अनुसार ₹255757675.30 का शेष नाम (Debit) दर्शाया गया था जिससे ऐसा संदेह होता है कि इन हाउंसिंग स्कीमों में व्यक्तियों/फर्मों का उनके द्वारा जमा करवाई गई Intial Deposit/Earnest Money से ₹255757675.30 का अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः Intial Deposit/Earnest Money से सम्बन्धित अनुसूची XIV (Schedule-XIV) के अन्तर्गत निम्न खातों का अन्तिम शेष नाम (Debit) दर्शाने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा

इस सम्बन्ध में नियमानुसार जाँच पड़ताल उपरान्त वस्तुस्थिति के आधार पर इन राशियों का यथोचित समायोजन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

Sr. No.	Particulars	Amount (₹) (Debit Balance)
1	Demand Survey D/S Shimla	100.00
2	Demand Survey Mandhala Baddi	2,40,000.00
	Demand Survey Nalagarh	5,000.00
3	Demand Survey various places (Advertisement charges)	1,06,944.00
4	DS Solan, Kasouli, Chail, Nalagarh, Kandaghat, Brog	31,400.00
5	EM-Bid Money Parwanoo	3,00,000.00
	EM Daundi	2,28,000.00
6	EM-HIG, MIG Bilaspur	31,410.00
7	EM-HIG, MIG Jawalamukhi	500.00
8	EM-HIG, MIG Nadaun	6,500.00
9	EM-LIG, HIG, MIG Basal, Solan	1,68,212.50
10	EM-LIG, MIG Mehatpur	2,000.00
11	EM-Rakkar Una	30,79,186.02
12	EM-Straberry & Chhota Shimla, Cat-I,II,III,IV	16,837.00
13	EM-Type-B Plot, New Shimla	22,32,000.00
14	Initial Deposit/Earnest Money	24,92,99,585.78
15	Refund of earnest maney	10,000.00
	कुल योग	**25,57,57,675.30**

51 माँग सर्वेक्षण (Demand Survey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व ₹172.47 लाख को वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र/लेखों में परिलक्षित न करना:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की Balance Sheet से सम्बन्धित अनुसूची–XIV (Schedule XIV) Initial Deposit/Earnest Money में लेखा शीर्षक "Demand at Various Places 2010-11" के अन्तर्गत ₹344937180 Cr. को दर्शाया गया था। विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया की यह राशि हिमुडा द्वारा हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों/शहरी कस्बों में प्लॉट, फ्लैट व घरों की आवश्यकता के लिए भारत के नागरिकों से मांग सर्वेक्षण के अन्तर्गत आरम्भिक जमा ₹5000 प्रति प्रार्थना पत्र के रूप में प्राप्त किए गए थे। मांग सर्वेक्षण योजना के ब्रौचर (Broucher) की निर्धारित नियम एवं शर्त संख्या 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि "No interest will be paid for the first one year on the initial deposit. The authority will, however allow interest @ 5% per annum for the period exceeding one year and up

to the date of demand of full earnest money only. The benefit of the interest will be given to only those applicants who continue in the scheme. उपरोक्त शर्त के प्रावधानों का विस्तृत अवलोकन करने पर पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर एक वर्ष तक अर्थात 30.4.12 तक ब्याज देय नहीं था जबकि उसके बाद जमा राशि पर **5%** की दर से ब्याज देय था। दिनांक 31.3.2016 तक उक्त शीर्ष में ₹344937180 Cr. लेखों में जमा दर्शाई गई थी तथा ब्रौचर की निर्धारित शर्त संख्या 4 अनुसार जमा राशि पर 5**%** की दर से वर्ष 2015–16 के लिए ₹17246859 (₹344937180 Cr. x5%) का ब्याज देय था अर्थात भविष्य में देय ब्याज का मान्य लेखा सिद्धान्तों अनुसार लेखों में प्रावधान किया जाना अपेक्षित था। हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखों में वर्णित देय ब्याज दायित्व ₹17246859 को प्रावधित करके न दर्शाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण हिमुडा के वित्तीय लेखें इस हद तक सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं। अतः वार्षिक लेखों में देय ब्याज दायित्व का प्रावधान न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा माँग सर्वेक्षण (Demand Survey) नियम एवं शर्तों अनुसार वर्णित आवश्यक कार्यवाही करते हुए वित्तीय लेखों में आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

52 विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों (Deposit Works) पर प्राप्त जमा राशि से ₹4045.77 लाख का अधिक व्यय करनाः–

नियमानुसार Deposit Works लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह राशि दर्शाई जाती है जो HIMUDA के पास विभिन्न विभागों द्वारा अपने निर्माण कार्यों हेतु जमा करवाई गई थी दिनांक 31.3.2016 को Balance Sheet ds Schedule-XX "Deposit Works A/C" के अनुसार इसमें ₹370783897.45 जमा थी। अंकेक्षण में वर्णित Schedule-XX का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार विभिन्न विभागों के खातों में दिनांक 31.3.2016 को ₹404577385.36 का शेष Debit दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट विदित होता है कि हिमुडा द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ता विभागों (Client Department) के निर्माण कार्य हेतु जमा राशि से अधिक राशि उनके निर्माण कार्य पर व्यय की गई थी और यह राशि दिनांक 31.3.16 तक वसूल नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार Deposit Works A/C पर सम्बन्धित उपभोक्ता विभागों से प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय

नहीं किया जाना चाहिए और यदि अधिक व्यय किया गया है तो ऐसी राशि को अबिलम्भ या वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Himuda/2015-16/Audit/37 दिनांक 3.10.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की गई राशि को शीघ्र अतिशीघ्र वसूल किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

निर्माण कार्य/मण्डल का नाम	दिनांक31.03.201 6 को अधिक व्यय की गई कुल राशि) ₹ (
Admn Block Sub Jail Una	152005.00
A.E Residence at Palampur.	4960.00
AI Shed (Mandi) DW	6279104.96
AI Shed (Shimla -2) DW	283009.00
AI Shed WORK (Dharamshala) DW	54696.53
AI Shed Work (Pwn) DW	1122492.14
Animal Husbandry Work (Dharamshala) DW	15526181.00
ARMO Road , Phase IV , Baddi.	617847.00
Ay. Circle Hospital at J/Nagar	859887.00
Chountra Mandi	140549.00
C/o 12 Nos Cat-II Block No. 1&2 Hamirpur	3380339.00
C/o 2.5 Tounes Capacity Ice Dobar Distt, Una	168361.00
C/o 4nos at Sokoh	216230.00
C/o 6Nos Police Qtrs at Jawali	113825.00
C/o Add. Accomodation for Govt. S.S.S at Bilsapsur	231952.00
C/o Ay. Hospital at Katriain Distt, Kullu	61577.00
C/o Bus Stand Dharampur	91900.00
C/o Driving Training School at Paplog	1208254.00
C/o G.H.S Boloh HMR	62776.00
C/O G.H.S Sialkar, Kangra	120867.00
C/O Govt. Sr. Sec. School at Klother Ranital Kangra	110663.00
C/o Govt. S.S.S at Khatiar Jawali	242080.00
C/o High School Under RMSA in Bhakli Mandi	55469.00
C/o High School Under RSMA in Naddi Mandi	696.00
C/o High School Under RSMA in Tarymly Mandi	168033.00

C/o IDSMT Project at Rampur	5265.00
C/o 1No. Class Room and Canteen for Principal Jogi	102818.00
C/o I.T.I Lambloo Distt, Hamirpur	445720.00
C/o Office Building for Pollution	158828.00
C/o Panchayat Raj Otrs Janjehli	51122.00
C/o Panchyat Raj at Gohar	49425.00
C/o Police Qtrs, at Daulatpur	6935.00
C/o Residential Complex Below Bcs Ph-I SH-C/o 23 No	35100.00
C/o SFS at Theog.(SH:-Dev. of Site for 100000 Ltrs	12795006.00
C/o Sub Jail at Chamba	730717.00
Education Work (Dharamshala) DW	41071459.03
Education Work (Shimla-1) DW	2361625.00
Education Work (Shimla-2) DW	2958189.00
ELECTRICAL HAMIRPUR (DEPOSIT WORK)	560.00
Female Barrack for Jail Una	56785.00
Fisheries Complex (Dharamshala) DW	3353183.10
Fisheries Work (Mandi) DW	22002280.02
MANDI RMSA DEPOSIT WORK	45080941.00
OBC/SC Hostel at Baijnath Kangra	799008.00
Panchayati Raj (Mandi) DW	5941948.00
Parwanoo Devision	84205.00
Parwanoo RMSA Work (Pwn) DW	42673984.00
Police Work (Mandi) DW	21513420.66
Police Work (Shimla-1) DW	755823.00
RMSA (Dharamshala) DW	52968796.00
RMSA Work (Shimla-1) DW	20511943.00
S/C INCOME TAX	503.00
SC/ST HOSTEL (Mandi) DW	15702958.57
SC/ ST Hostel (Shimla-1) DW	4916604.00
SC/ST Hostel (Shimla-2) DW	3269104.00
Shimla-1	1642380.00
Street Light at Bajaura Kullu Shah Nalla	4967.00
Street Light at Bindra BanPh-I	143651.00
Street Light at Dehra	7347.00
Street Light at Holta	21968.00
Street Light at Lohna	51464.00
Street Light at SHC at Kangra	1233.00
Supply and Installation High Mast Light to RGPS	564838.00

Vetenary Hospital (Mandi) DW	2965095.00
C/o Auditorium Building	963274.00
C/o Boundary Wall Around Newely Constructed Bldg.	393635.00
C/o Health Sub Center Bhariyar Chamba	15725.00
C/o Health Sub Center Ghamrota Kangra	15725.00
C/o Health Sub Center Gharana Kangra	15725.00
C/o Health Sub Center Kubra Una	15725.00
C/o Health Sub Center Kura Kanrga	15725.00
C/o Health Sub Center Paroyian Una	15725.00
C/o Health Sub Center Touru Kangra	15725.00
Improvemnet of EwsFlats/Plots/Houses PWN	29229329.00
SC/ST Hostel (Dharamshala) DW	8988291.00
PARWANOO DIVISION(DEPOSIT WORK)	27811829.35
कुल योग	**404577385.36**

53 वेतन व भत्तों तथा पैन्शन लाभों की स्वीकृति में विभिन्न अनियमितताओं के फलस्वरूप नियमित भुगतान के कारण लगभग ₹5.25 लाख की वसूलियाँः–

चयनित आधार पर अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि कर्मचारियों को सेवा तथा सेवा निवृति लाभों को स्वीकृत करने में हुई विभिन्न अनियमितताओं के कारण निम्न विवरणानुसार लगभग ₹5.25 लाख के वेतन व भत्तों तथा पैन्शन लाभों का अधिक भुगतान हुआ प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या HIMUDA/2015-16/Audit/35 दिनांक 19.9.2017 द्वारा वर्णित स्थिति की तथ्य व आंकड़ों सहित सत्यापना करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त यथोचित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाएः–

(i) श्रेणी–4 कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा उपरान्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण लगभग ₹3.45 लाख के वेतन व भत्तों तथा पैन्शन लाभों का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन निर्धारण व स्वीकृत सेवा निवृति लाभों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित श्रेणी–4 कर्मचारी, जोकि श्रेणी–3 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे

थे, को 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि वित्त (विनियम) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin(c)B(7)-3/2012 दिनांक 15.12.12 द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि सम्बन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी–4 के वेतनमान में ही वेतन आहरण कर रहा हो। अतः वर्णित अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार लगभग ₹2.13 लाख के वेतन व भत्तों का दिनांक 31.7.17 या सेवा निवृति तिथि, जो भी पहले हो, तक अनियमित रूप से अधिक भुगतान हो चुका था जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की पूर्ण गणना वेतन निर्धारण संशोधन उपरान्त हिमुडा अपने स्तर पर करने के अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों से राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

1.Sh. Het Ram,Peon

Sanction No & Date/ Page No.HIMUDA: 3-1038/01-Admn. 38311-12 dated 04.03.16 P-50&51 of s/book vol.II.

Period	Months	Drawn			Due			Diff.	Excess payment (₹)
		Band Pay (₹)	Grade Pay(₹)	Total	Band Pay (₹)	Grade Pay(₹)	Total (₹)		
01.04.15 to 31.03.16	12	11170	1900	13070	10790	1900	12690	380	4560
01.04.16 to 31.03.17	12	11570	1900	13470	11170	1900	13070	400	4800
01.04.17 to 31.07.17	4	11980	1900	13880	11570	1900	13470	410	1640
			कुल योग						**11000**

2.Sh. Gian Chand Thakur,Peon

Sanction No & Date/ Page No. HIMUDA:3-1047/01-Admn. 38309-10 dated 04.03.16 P-13to17 of s/book

Period	Months	Drawn			Due			Diff.	Excess payment (₹)
		Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)	Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)		
01.04.15 to 31.03.16	12	11170	1900	13070	10790	1900	12690	380	4560
01.04.16 to 31.03.17	12	11570	1900	13470	11170	1900	13070	400	4800

01.04.17 to 31.07.17	4	11980	1900	13880	11570	1900	13470	410	1640
				कुल योग					**11000**

(3).Smt.Hem Lata,Peon(DOA 23.04.80,DOR 31.08.16)

Sanction No & Date/ Page No. HIMUDA/PD/CB/PF Smt.Hem Lata,Peon/2013-8674 dated 03.03.16

Period	**Months**	**Drawn**			**Due**			**Diff.**	**Excess payment (₹)**
		Band Pay (₹)	**Grade Pay(₹)**	**Total(₹)**	**Band Pay (₹)**	**Grade Pay(₹)**	**Total (₹)**		
1-8-12 to 31-12-12	5	11920	1900	13820	11510	1900	13410	410	2050
1-1-13 to 31-12-13	12	12340	1900	14240	11920	1900	13820	420	5040
1-1-14 to 31-12-14	12	12770	1900	14670	12340	1900	14240	430	5160
1-1-15 to 31-12-15	12	13210	1900	15110	12770	1900	14670	440	5280
1-1-16 to 31-08-16	8	13670	1900	15570	13210	1900	15110	460	3680
				Total					**21210**

अभियुक्ति-:चूँकि सेवा निवृति तिथि को अंतिम आहरित वेतन की दर उक्त अनियमितता के कारण प्रभावित होगी, इसलिए सेवा निवृति लाभों का भुगतान करने से पूर्व इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि अधिक भुगतान की सम्भावना से बचा जा सकेI

(4) Sh. Des Raj,Clerk(DOA03.04.82,DOR 29.02.16 and Pay Band 5910-20200+1900GP)

(क (PAY-:Sanction No & Date/ Page No. HIMUDA:5-359/99-Admn.,Vol.I Dated 24.12.15, P-61 of S/book Vol.II & P-6 S/book Vol.III .

Period	**Months**	**Drawn**			**Due**			**Diff.**	**Excess payment (₹)**
		Band Pay (₹)	**Grade Pay (₹)**	**Total (₹)**	**Band Pay (₹)**	**Grade Pay (₹)**	**Total (₹)**		
1-8-12 to 31-12-12	5	11590	1900	13490	11190	1900	13090	400	2000
1-1-13 to 31-12-13	12	12000	1900	13900	11590	1900	13490	410	4920
1-1-14 to 31-12-14	12	12420	1900	14320	12000	1900	13900	420	5040
1-1-15 to 3-08-15	7.097	12850	1900	14750	12420	1900	14320	430	3052

04.08.15to31.12.15 (promoted as clerk wef 04.08.15)(P-13&14, S/book Vol.III	4.903	12850	1900	14750	12420	1900	14320	430	2108
1-1-16 to 29-02-16	2	13760	1900	15660	13300	1900	15200	460	920
								Total	**18040**

(ख) Pension and other retirement benefits

Qualifying Service	**Pension Sanctioned (₹)**	**Pension Due (₹)**	**Diff. of pension (₹)**	**Period**	**Amount of overpayment involved (₹)**
33Y10M28D say =33Years Max. or 66Half years	i)Basic 7830 ii)Comm.2583 iii)Res. 5247	7600 2508 5092	230 75 155	01.03.16 to 31.08.17= 18M	2790
Commuted value of pension	2583x12x8.371 =259468	2508x12x8.371 =251934	7534	-	7534
Gratuity/ HIMUDA-3-637/84-Admn.900-03 Dt. 08.04.16	i)Basic 15660 ii)DA(113%)17696 iii)Total 33356 i.e33356x66/4 =550374	i)Basic 15200 ii)DA(113%)17176 iii)Total 32376 i.e32376x66/4 =534204	16170	-	16170
Leave Encashment 300days/HIMUDA/PD/CB/PF Sh. Des Raj,Clerk / 2016/8100-01 Dt. 06.02.16	i)Basic 15660 ii)DA(113%)17696 iii)Total 33356 i.e33356x300/30=333560	i)Basic 15200 ii)DA(113%)17176 iii)Total 32376 i.e32376x300/30 =323760	9800	-	9800
				जोड़	**36294**
				कुल जोड़	**54334**

(5)Sh. Dev Raj,Clerk(DOA 09.03.83 DOR 30.06.15 and Pay Band 10300-34800+3200GP)

(क(PAY-:Sanction No & Date/ Page No. HIMUDA:3-567/85-Admn.,Vol.I Dated 09.07.13, P-28&29of S/book Vol.III

Period	**Months**	**Drawn**	**Due**	**Diff.**	**Excess**

		Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)	Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)		payment (₹)
01.08.12to11.09.12	1.367	11590	1900	13490	11190	1900	13090	400	547
12.09.12to 28.02.13	5.633	11590	1900	13490	11190	1900	13090	400	2253
01.03.13to 28.02.14	12	12420	1900	14320	12000	1900	13900	420	5040
01.03.14to 11.09.14	6.367	12850	1900	14750	12420	1900	14320	430	2738
12.09.14to 28.02.15	5.633	12850	3200	16050	12420	3200	15620	430	2422
01.03.15to 30.06.15	4	13340	3200	16540	12890	3200	16090	450	1800
							Total		**14800**

(ख) Pension and other retirement benefits

Qualifying Service	Pension Sanctioned (₹)	Pension Due (₹)	Diff. of pension (₹)	Period	Amount of overpayment involved (₹)
32Y3M23D say =32½ Years or 65 Half years	i)Basic 8270 ii)Comm.2729 iii)Res. 5541	8045 2654 5391	225 75 150	01.07.15to 31.08.17= 26M	3900
Commuted value of pension	2729x12x8.371 =274134	2654x12x8.371 =266600	7534	-	7534
Gratuity/ HIMUDA:3-567/87-Admn.14962-64 Dt. 28.07.15	i)Basic 16540 ii)DA(107%)17698 iii)Total 34238 i.e34238x64/4 =547808	i)Basic 16090 ii)DA(107%)17216 iii)Total 33306 i.e33306x65/4 =541223	6585	-	6585
Leave Encashment 300days/ HIMUDA:3-567/87-Admn.9875-76 Dt. 30.06.15	i)Basic 16540 ii)DA(107%)17698 iii)Total 34238 i.e34238x300/30 =342380	i)Basic 16090 ii)DA(107%)17216 iii)Total 33306 i.e33306x300/30 =333060	9320	-	9320
				जोड़	27339
				कुल जोड़ (क+((ख(	**42139**

(6)Sh. Ratan Chand Thakur, Peon(DOA 16.12.77 DOR 31.10.15 and Pay Band 5910-20200+1650GP)

Sanction No & Date/ Page NoHIMUDA/ MD/ CB/E-11/2012,1727 Dated 06.07.13

Period	Months	Drawn			Due			Diff.	Excess
		Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)	Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)		payment (₹)
01.10.12to 30.04.13	7	12640	1900	14540	12640	1650	14290	250	1750
01.05.13 to 30.04.14	12	13080	1900	14980	13070	1650	14720	260	3120
01.04.14 to 30.04.15	12	13530	1900	15430	13520	1650	15170	260	3120
01.04.15 to 31.10.15	7	14000	1900	15900	13980	1650	15630	270	1890
								Total	**9880**

(ii) Sh. Puran Sukh, Peon (DOA 01.06.81)

कार्यालय आदेश संख्या HB-146/96 Admn. Vol IX दिनांक 25.3.97 द्वारा अतिरिक्त वेतन स्टेप अप प्रदान करने के कारण उनका वेतन दिनांक 1.03.93 को ₹950+10AP (आहरित वेतन ₹950) तथा आगामी देय वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 01.06.93 को ₹985+10AP निर्धारित किया गया था (सेवा पुस्तिका खण्ड–IV पृष्ठ–11) इन तथ्यों के आधार पर नियमानुसार उन्हें प्रथम व द्वितीय प्रोप स्टेप अप की स्वीकृति हेतु अहर्क कार्यालय की गणना वेतन स्टेप अप तिथि 01.03.93 से की जानी अपेक्षित थी जिसके अनुसार उन्हें क्रमशः दिनांक 1.3.01 व 1.3.09 से प्रोप स्टेप अप की देयता बनती है परन्तु इसके विपरीत उन्हें क्रमशः दिनांक 1.6.97 व 1.6.05 से प्रथम व द्वितीय प्रोप स्टेप अप की स्वीकृति कार्यालय आदेश संख्या HB/PED/CB/PF-Puran Sukh, Peon/96 Admn Vol IX दिनांक 25.10.99 (सेवा पुस्तिका खण्ड–IV पृष्ठ 21) व संख्या HIMUDA 5–359/99 ADmn दिनांक 20.01.96 (सेवा पुस्तिका खण्ड–V पृष्ठ–4 & 9) द्वारा प्रदान की गई थी जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA Vol I दिनांक 24.9.12 (सेवा पुस्तिका खण्ड–V पृष्ठ 12) द्वारा उनको 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि बतौर श्रेणी–4 कर्मचारी, वे श्रेणी–3 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे थे तथा वित्त (विनियम) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या

Fin(C)B(7)-3/2012 दिनांक 15.12.12 द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि सम्बन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी–4 के वेतनमान में ही वेतन आहरण कर रहा हो। अतः वर्णित अनियमितता के कारण न केवल दिनांक 27.8.09 से प्रदान 4.9.14 ACP के लाभ पर निर्धारित वेतन (सेवा पुस्तिका खण्ड–V पृष्ठ–13) प्रभावित हुआ है बल्कि निम्न विवरण अनुसार लगभग ₹63506 के वेतन व भत्तों/सेवा निवृति लाभों इत्यादि का सेवा निवृति/अंकेक्षण तिथि 30.11.15/31.08.17 तक अनियमित रूप से अधिक भुगतान हो चुका था जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की पूर्ण गणना वेतन निर्धारण संशोधन उपरान्त हिमुडा अपने स्तर पर करने के अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारी से राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

)क(वेतन

Period	Months	Drawn			Due			Diff.	Excess payment (₹)
		Band Pay (₹)	Grade Pay (₹)	Total (₹)	Band Pay (₹)	Grade Pay(₹)	Total (₹)		
01.06.97to 31.05.98	12	3660	0	3660	3550	0	3550	110	1320
01.06.98to31.05.99	12	3780	0	3780	3660	0	3660	120	1440
01.06.99to31.05.2K	12	3900	0	3900	3780	0	3780	120	1440
01.06.2kto28.02.01	9	4020	0	4020	3900	0	3900	120	1080
01.03.01to31.05.01	3	4020	0	4020	4020	0	4020	0	0
01.06.01to31.05.02	12	4140	0	4140	4140	0	4140	0	0
01.06.02to31.05.03	12	4260	0	4260	4260	0	4260	0	0
01.06.03to31.05.04	12	4400	0	4400	4400	0	4400	0	0
01.06.04to31.05.05	12	4550	0	4550	4550	0	4550	0	0
01.06.05to31.12.05	7	4850	0	4850	4700	0	4700	150	1050
01.01.06to31.05.06	5	9030	1400	10430	8750	1400	10150	280	1400
01.06.06to31.05.07	12	9350	1400	10750	9060	1400	10460	290	3480
01.06.07to31.05.08	12	9680	1400	11080	9380	1400	10780	300	3600
01.06.08to28.02.09	9	10020	1400	11420	9710	1400	11110	310	2790
01.03.09to31.05.09	3	10020	1400	11420	10050	1400	11450	-30	-90
01.06.09to26.08.09	2.839	10370	1400	11770	10400	1400	11800	-30	-85
27.08.09to31.05.10	9.161	10370	1900	12270	10400	1900	12300	-30	-275
01.06.10to31.05.11	12	10740	1900	12640	10770	1900	12670	-30	-360

01.06.11to31.05.12	12	11120	1900	13020	11150	1900	13050	-30	-360
01.06.12to31.07.12	2	11510	1900	13410	11550	1900	13450	-40	-80
01.08.12to31.05.13	10	11920	1900	13820	11550	1900	13450	370	3700
01.06.13to31.05.14	12	12340	1900	14240	11960	1900	13860	380	4560
01.06.14to31.05.15	12	12770	1900	14670	12380	1900	14280	390	4680
01.06.15to30.11.15	6	13210	1900	15110	12810	1900	14710	400	2400
								Total	**31690**

(ख) Pension and other retirement benefits

Qualifying Service	**Pension Sanctioned (₹)**	**Pension Due (₹)**	**Diff. of pension (₹)**	**Period**	**Amount of overpayment involved (₹)**
34Y6M say =33Years(Max.)or 66 Half years	i)Basic 7555 ii)Comm.2493 iii)Res. 5062	7355 2427 4928	200 66 134	01.11.15to 31.08.17= 22M	2948
Commuted value of pension	2493x12x8.194 =245132	2427x12x8.194 =238643	6489	-	6489
Gratuity/ HIMUDA:3-567/87-Admn.14962-64 Dt. 28.07.15	i)Basic 15110 ii)DA(113%)17698 iii)Total 34238 i.e34238x66/4 =531036	i)Basic 14710 ii)DA(113%)16622 iii)Total 31332 i.e31332x66/4= 516978	14058	-	14058
Leave Encashment 300days/ HIMUDA:3-567/87-Admn.9875-76 Dt. 30.06.15	i)Basic 15110 ii)DA(113%)17074 iii)Total 32184 i.e32184x293/30 =314330	i)Basic 14710 ii)DA(107%)16622 iii)Total 31332 i.e31332 x293/30 =306009	8321	-	8321
				जोड़	31816
				कुल जोड़ (क+((ख(	**63506**

(iii) श्री सुरेश कुमार वर्मा, चालक

Sanction No & Date/ Page No.HIMUDA:3-1194/2007-Admn. ,32501-02 dated 13.01.14 P-18&19 of s/book vol.I

आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 01.08.11 वेतनमान ₹5910–20200+2000 GP में ₹7020+2000GP=9020 के स्त्तर पर वेतन आहरण कर रहे थे इसलिए इस वेतन को आधार

मानकर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने पर उनका वेतन ₹7300+2000GP=9300 के स्तर पर निर्धारित किया गया था जोकि अनुचित है क्योंकि नियमानुसार वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin (PR) B(7)-1/2009-Loose दिनांक 10.9.09 द्वारा वेतन निर्धारण उपरान्त वेतन को Rounding off करने सम्बन्धी जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उनका वेतन ₹7290+2000 GP=9290 के स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण तिथि 1.8.11 के उपरान्त प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धियों एवम 4–9–14 सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के लाभ पर किया गया वेतन निर्धारण भी यथानुसार प्रभावित हुआ तथा परिणामत निम्न विवरण अनुसार लगभग ₹0.02 लाख के वेतन व भत्तों का दिनांक 31.3.17 तक अनियमित रूप से अधिक भुगतान हो चुका था जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की पूर्ण गणना वेतन निर्धारण संशोधन उपरान्त हिमुडा अपने स्तर पर करने क अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारी से राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Period	**Months**	**Drawn**			**Due**			**Diff.**	**Excess payment (₹)**
		Band Pay (₹)	**Grade Pay (₹)**	**Total (₹)**	**Band Pay (₹)**	**Grade Pay (₹)**	**Total (₹)**		
05.08.11 to 31.07.12	11.871	7580	2400	9980	7570	2400	9970	10	119
01.08.12 to 31.07.13	12	7880	2400	10280	7870	2400	10270	10	120
01.08.13 to 31.07.14	12	8190	2400	10590	8180	2400	10580	10	120
01.08.14 to 31.07.15	12	8510	2400	10910	8500	2400	10900	10	120
01.08.15 to 31.07.16	12	8840	2400	11240	8830	2400	11230	10	120
01.08.16 to 31.07.17	12	9180	2400	11580	9170	2400	11570	10	120
									719

(iv) श्री अनिल शारदा, योजना सहायक (DOR 30.06.15) (₹10300-34800+5000 GP)

कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA-3-203/1999-Admn. Vol-II-9873-74 दिनांक 30.6.15 द्वारा सेवा निवृति पर उन्हें 91½ दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में ₹227033 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अंकेक्षण के दौरान उनके अवकाश खाते में बहुत सी त्रुटियाँ पाई गई जिनमें से अधिकांश का समाधान करने के उपरान्त भी केवल 59½ अर्थात 60 दिनों का ही अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने हेतु शेष बनता था जिसका मुख्य कारण अवधि 1.1.05 से 31.12.05 तक =30 दिनों के अर्जित अवकाश का दो बार जमा प्रदान करना जिसके कारण 30 दिनों का अर्जित अवकाश का अधिक जमा प्रदान किया गया। इसी प्रकार दिनांक 1.7.06 को अवकाश खाते में 15 दिनों का अग्रिम जमा प्रदान करने उपरान्त अर्जित अवकाश का आरम्भिक शेष 212½ दिन था तथा अवधि 2.9.06 से 8.9.06=7 दिनों का अर्जित अवकाश व्यतीत करने के उपरान्त अन्तिम शेष 207½ दिन लिया गया था जबकि वास्तविकता में शेष 205½ दिन बनता था अर्थात वर्णित शेष 2 दिन अधिक लिया गया। इन अनियमितताओं के कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार 32 दिनों के अधिक अर्जित अवकाश को भुनाने के एवज में ₹78159 का अनियमित भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	**स्वीकृत राशि) ₹ में(**	**देय राशि)₹ में (**	**अधिक भुगतान की राशि)₹में(**
Leave Encashment o/o no. :HIMUDA:3-203/1999-Admn.Vol.II-9873-74 दिनांक 30.06.15	i)Basic 30960 ii)GP 5000 ii)DA(107%)38477 iii)Total 74437 i.e 74437x91½/30 =**227033**	i)Basic 30960 ii)GP 5000 ii)DA(107%)38477 iii)Total 74437 i.e 74437x60/30 =**148874**	**78159**

(V) श्रीमती चन्द्रलेखा, वरिष्ठ सहायक (DOR 30.6.15 pay Band ₹10300–34800+4400 GP)

अंकेक्षण के दौरान श्रीमती चन्द्रलेखा, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि उनकी प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 14.10.1999 व सेवा निवृति तिथि दिनांक 30.6.15 थी जिसके अनुससार उनकी कुल अहर्क सेवा 15 वर्ष 8 माह 18 दिन अर्थात 15½ वर्ष बनती थी जैसा कि मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन्शन गणना विवरणी से भी स्पष्ट विदित होता है किन्तु कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA 3&961@1999-Admin. 14015.18 दिनांक 22.7.15 द्वारा उन्हें 15½ वर्षों की अहर्क सेवा की अपेक्षा 16 वर्षों की अहर्क सेवा का सेवा निवृति उपदान अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया जिसके कारण उन्हें निम्नानुसार ₹8942 का अधिक भुगतान हुआ है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Pay Last Drawn(₹)	Q.S. & Amt. Of DCRG paid(₹)	Q.S. & Amt. Of DCRG Due(₹)	Amt. Of DCRG paid in Excess(₹)
B.Pay 12880 G.Pay 4400 DA(107%)=18490 G.Total=**35770**	16Y or 32 half years 35770x32/4=**286160**	15½Y or 31 half years 35770x31/4=**277218**	**8942**

(vi) श्रीमती सुमन जसटा, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (DOR 31.5.16) ₹10300–34800+4400 GP)

कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA-3-2427/97-Admn. Vol-II-6107-08 दिनांक 31.5.16 द्वारा सेवा निवृति पर उन्हें 290½ दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में ₹547341 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अंकेक्षण के दौरान उनके अवकाश खाते में बहुत सी त्रुटियाँ पाई गई जिनमें से अधिकांश का समाधान करने के उपरान्त भी केवल 286 दिनों का ही अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने हेतु शेष बनता था जिसका मुख्य कारण दिनांक 31.12.14 को उनके अर्जित अवकाश खाते में अन्तिम शेष 290 दिन था तथा दिनांक 1.1.15 को 15 दिनों का अग्रिम अर्जित अवकाश का जमा प्रदान करने के उपरान्त आरम्भिक

शेष 300+5 दिन बनता थ किन्तु अवकाश खाते में वर्णित शेष अनियमित रूप से 300+10 दिन गणना में लिया गया था जोकि 5 दिन अधिक था। इसी प्रकार अवधि 1.1.16 से 31.5.16 तक =13 दिनों का अग्रिम अर्जित अवकाश देय बनता था। जिसके विरूद्ध केवल 12½ दिन के अर्जित अवकाश का ही जमा प्रदान कियाग या था जोकि ½ दिन कम था। इन अनियमितताओं के कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार कुल 4½दिनों के अधिक अर्जित अवकाश को भुनाने की एवज में ₹8479 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

विवरण	**स्वीकृत राशि) ₹ में(**	**देय राशि) ₹में (**	**अधिक भुगतान की राशि) ₹ में(**
Leave Encashment o/o no. :HIMUDA:3-427/97-Admn.Vol.II-6107-08 दिनांक 31.05.16	i)Basic 21410 ii)GP 4400 ii)DA(119%)30714 iii)Total 56524 i.e74437x290½/30 =**547341**	i)Basic 21410 ii)GP 4400 ii)DA(119%)30714 iii)Total 56524 i.e74437x286/30 =**538862**	**8479**

(vii) श्रीमती कमलेश गोयल, अधीक्षक श्रेणी—II (सेवा निवृति तिथि 31.5.15) ₹10300—34800+4800 GP)

(क) कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA/PD/CB/PF Smt. Kamlesh Goel, Suptt, Gr.II/2015 4462-63 dated 5.8.15 द्वारा सेवा निवृति पर उन्हें 225 दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹502703 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अंकेक्षण के दौरान उनके अवकाश खाते में बहुत सी त्रुटियाँ पाई गई जिनमे से अधिकांश का समाधान करने के उपरान्त भी केवल 210 दिनों का ही अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने हेतु शेष बनता था जिसका मुख्य कारण दिनांक 1.7.14 से 31.12.14 तक =15 दिनों का अग्रिम अर्जित अवकाश का जमा प्रदान करने की अपेक्षा 30 दिनों का अर्जित अवकाश का जमा प्रदान किया गया था जोकि 15 दिन अधिक था। इस अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार कुल 15 दिनों अधिक अर्जित अवकाश को भुनाने के एवज में ₹33514 का अनियमित रूप से

अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	**स्वीकृत राशि) ₹ में(**	**देय राशि)₹ में (**	**अधिक भुगतान की राशि) ₹में(**
Leave Encashment o/o no.HIMUDA/PD/CB/PF-Smt.Kamlesh Goel, Suptt.Gr.II/2015,4462-63 dated 05.08.15	i)Basic 27580 ii)GP4800 ii)DA(107%)34647 iii)Total 67027 i.e67027x225/30 =**502703**	i)Basic 27580 ii)GP4800 ii)DA(107%)34647 iii)Total 67027 i.e67027x210/30 =**469189**	**33514**

(ख) अंकेक्षण के दौरान उनके अर्धवेन अवकाश खाते में बहुत सी त्रुटियाँ पाई गई जैसे कि अवधि 1.1.95 से 31.12.95 तक =20 दिनों का अर्धवेतन अवकाश देय था जिसके विरूद्ध केवल 10 दिनों का ही जमा प्रदान किया गया था जोकि 10 दिन कम था (2) दिनांक 31.12.05 को अर्धवेतन अवकाश का अन्तिम शेष 141 दिन था तथा दिनांक 1.1.06 को अवधि 1.1.06 से 31.12.06 तक =20 दिनों का देय अर्धवेतन अवकाश का जमा प्रदान करने के उपरान्त शेष 161 दिन होना चाहिए था जबकि शेष 211 दिन लिया गया था जोकि 50 दिन अधिक था (3) अवधि 1.7.14 से 31.12.14 तक=10 दिनों का अर्धवेतन अवकाश देय था जिसके विरूद्ध 20 दिनों का जमा प्रदान किया गया था जोकि 10 दिन अधिक था (4) उक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक वर्णित त्रुटियों के कारण दिनांक 1.1.14 को अवधि 1.1.14 से 30.6.14 तक =10 दिनों का देय अर्धवेतन अवकाश का जमा प्रदान करने के उपरान्त शेष 39 दिन होना चाहिए था जबकि शेष 79 दिन लिया गया था जोकि 40 दिन अधिक था तथा इस अनियमितता के कारण अवधि 8.5.14 से 3.6.14 तक =27 दिनों (Converted into 54 days HPL) स्वीकृत परिणित अवकाश की अपेक्षा केवल 19 दिनों का ही परिणित अवकाश (Convert into 38 days HPL) देय बनता था। अतः 8 दिनों का परिणित अवकाश (Convert into 16 days HPL) अनियमित रूप से अधिक स्वीकृत किया जिसे अब अवकाश जो भी देय हो (Leave of the Kind due) स्वीकृत करके नियमित किया जाए तथा इसके परिणामस्वरूप यदि अवकाश वेतन का अधिक भुगतान किया गया हो तो उस राशि की अपने स्त्तर पर गणना करके उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। (5) अवधि 1.1.15 से 31.5.15 तक= 8 दिनों का अर्धवेतन अवकाश देय था

जिसका जमा प्रदान नहीं किया गया व इस प्रकार 8 दिनों के अर्धवेतन अवकाश का जमा कम प्रदान किया गया था। अतः संक्षेप में सेवा निवृति तिथि 31.5.15 को अर्धवेतन अवकाश का शेष 9 दिनों की अपेक्षा (–) 33 दिन बनता था जिससे स्पष्ट है कि 33 दिनों का अर्धवेतन अवकाश देय अवकाश से अधिक स्वीकृत किया गया था जोकि अनियमित है तथा इसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जो अन्यथा 33 दिनों के अनियमित अवकाश स्वीकृति की Leave Salary की अपने स्त्तर पर गणना करके उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(viii) श्री गोदो राम, सेवादार (मृत्यु तिथि 30.8.15 and Pay Band ₹5910–20200+1900 GP)

कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA:435/2007/Admn. दिनांक 15.9.15 द्वारा मृत्यु उपरान्त उनके परिवार को 183 दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹155916 की स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि अंकेक्षण के दौरान उनके अवकाश खाते केवल 181 दिनों का ही अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने हेतु शेष बनता था जिसका मुख्य कारण केन्द्रीय नागरिक सेवाएँ (अवकाश) नियम 1972 के नियम 27 (2) (B) अनुसार दिनांक 1.7.15 से 30.8.15 तक= 2½ अर्थात 3 दिनों का देय अग्रिम अर्जित अवकाश का जमा प्रदान करने की अपेक्षा 5 दिनों का अर्जित अवकाश का जमा प्रदान किया गया था जोकि 2 दिन अधिक था। इस अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार कुल 2 दिनों के अधिक अर्जित अवकाश को भुनाने की एवज में ₹1704 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

विवरण	**स्वीकृत राशि) रु० में(**	**देय राशि) ₹ में (**	**अधिक भुगतान की राशि)₹ में(**
Leave Encashment o/o no.HIMUDA: 435/ 2007/ Admn. dated 15.09.15	i)Basic 10100 ii)GP 1900 ii)DA(113%)13560 iii)Total 25560 i.e25560x183/30 =**155916**	i)Basic 10100 ii)GP 1900 ii)DA(113%)13560 iii)Total 25560 i.e25560x181/30 =**154212**	**1704**

(ix) चालकों को विशेष भत्ते के रूप में ₹0.58 लाख का अनियमित भुगतानः–

वेतन बिलो का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित चालकों को विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर ₹300 प्रति माह के स्थान पर ₹700 प्रतिमाह की दर से किया गया था। परिणामस्वरूप निम्न विवरण अनुसार दिनाँक 1.4.12 से 31.3.16 तक ₹57600 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जा चुका था। चूँकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चालकों को देय विशेष भत्ते की दर ₹300 प्रति माह निर्धारित की गई है। इसलिए अधिक दर से भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसी कोई भी स्वीकृति अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई जबकि हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर ही स्वीकृति प्रदान करके चालकों को अधिक दर से भुगतान कर दिया गया। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो तथ्यों सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने के साथ–2 भविष्य में उक्त भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

क्रमांक	चालक का नाम	अवधि	हि०प्र०सरकार द्वारा निर्धारितदरों के अनुसार प्रति माह देय विशेष वेतन (₹)	विशेष वेतन का वास्तव में प्रति माह किया गया भुगतान (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
1	श्री सुरेश कुमार	01.04.12 से 31.03.16 = 48माह	300.00	700.00	400.00	19,200.00
2	श्री जगदीप	01.04.12 से 31.03.16 = 48माह	300.00	700.00	400.00	19,200.00
3	श्री राजिन्दर पाल	01.04.12 से 31.03.16 = 48माह	300.00	700.00	400.00	19,200.00
					कुल योग	**57600.00**

उक्त के अतिरिक्त यदि दिनाँक 1.4.12 से पूर्व भी इस प्रकार का कोई भुगतान किया गया है तो हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर इस सम्बन्ध में यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

54 अधिकारियों/कर्मचारियों को ₹3521 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों का अनियमित भुगतान (वाउचर संख्या 1961–62 दिनांक 2.3.16)

चयनित माह 3/2016 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों में ₹3521 की अदेय दवाईयों तथा विभिन्न परीक्षण प्रभारों का देय दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान किया गया था जोकि नागरिक सेवा (चिकित्सा नियम) 1944 के अन्तर्गत देय नहीं होने के कारण अनियमित हैः–

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अदेय दवाइयाँ	टेस्ट का नाम	राशि) ₹(	अभियुक्ति
1	श्रीमती सरोज गुप्ता, असिस्टेंट आर्किटेक्ट	D-Rise	-	166.50	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है
2	श्री राजीव कुमार, तहसीलदार	Alsarex Tablet	Urinetest	223.48 50.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है Urine test के लिए ₹ 100का भुगतान किया गया था जबकि इसके लिए ₹ 50ही देय थे
3	श्री राजकुमार शर्मा, ए०ई०	Arthrilla, Ensure Plus,Amritmalrus		815.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है
4	श्री दीवान चंद शर्मा,Sr. Architect	Albendazole	Ultrasound -Do- HMG,FBS, LFT,Ureacr., Uric Acid,lipid	20.84 440.00 440.00 205.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है प्रत्येक Ultrasound के लिए ₹ 500का भुगतान किया गया था जबकि प्रत्येक के लिए ₹60ही देय थे इन टेस्टों के लिए ₹500का भुगतान किया गया था जबकि इसके लिए ₹295ही देय थे

5	श्री अशोक कुमार गुप्ता,Sr.Architect	S Cortisol S.Aldostone TFT,RFT,LFT,uric acid,urineculture	25.00 300.00 550.00 285.00	बिल में ₹ 507के gross total को ही लिया गया गया था जबकि Cash memo no.-15/09/01442 वास्तविकता में ₹ 482का था क्योंकि इसमे ₹ 25की discount की राशि शामिल थी जिसे भुगतान बिल से घटाया नहीं गया था S Cortisol तथा S Aldostone के लिए ₹ 500और ₹ 1500का भुगतान किया गया था जबकि इनके लिए ₹ 200 और ₹ 950ही देय थे इन टेस्टों के लिए ₹780का भुगतान किया गया था जबकि इसके लिए ₹495ही देय थे
		कुल जोड़	**3521.00**	

अतः उक्त अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की वसूली स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

55 सेवाकर का विलम्ब से भुगतान करने के फलस्वरूप ₹75.19 लाख के देय दण्ड ब्याज एवं दण्ड राशि के चुकाने के कारण परिहार्य (Avoidable) हानिः–

चयनित माह 3/2016 के भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 2101 दिनांक 22.3.2016 द्वारा निम्न विवरण अनुसार ₹7519208 क देय दण्ड ब्याज एवं दण्ड राशि के रूप में केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग को भुगतान किया गया था जिसका मुख्य कारण सेवाकर ₹11350985 व ₹228527 को समय पर केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर विभाग के खाते में जमा न करवाना था जैसा कि सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद अंकेक्षण वृत चण्डीगढ़ के पत्र संख्या मिसिल–51/ऑडिट/सर्कल–1 सीएचडी/2015/32 दिनांक 5.1.2016 से भी स्पष्ट होता हैः'–

क्रमांक	राशि का विवरण	राशि) ₹(
1	Interest involved on service tax ₹11350985	7311288.00
2	Penalty @15% involved on service tax ₹11350985	34281.00
3	Interest involved on service tax ₹228527	139360.00
4	Penalty @15% involved on service tax	34279.00
	Total amount	**7519208.00**

वास्तव में सेवाकर की उक्त राशि हिमुडा द्वारा स्वयं सेवाकर निर्धारण करके समय–समय पर जमा करवाई जानी अपेक्षित थी किन्तु हिमुडा द्वारा न तो उक्त राशि का सेवाकर सम्बन्धित उपभोक्ताओं से वसूल किया गया और न ही सेवाकर स्वतः निर्धारण करके निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्बन्धित विभाग में ही जमा करवाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹7519208 दण्ड ब्याज एवम दण्ड राशि के रूप में अनावश्यक रूप से वहन करने के कारण हानि उठानी पड़ी तथा जिसे समय पर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाए जाने पर बचाया जा सकता था। अतः वित्तीय मामलों में समय पर कार्यवाही न करने के कारण होने वाली हानि एक गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण हिमुडा प्राधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति का पता लगाकर हानि की भरपाई के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सेवा कर जोकि राशि हिमुडा निधि से स्वतः भुगतान की गई है उसे सम्बन्धित उपभोगताओं से वसूल कर लिया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृति को रोकने हेतु तुरन्त आवश्यक पग भी उठाए जाए ताकि इससे होने वाली किसी भी वित्तीय हानि से बचा जा सके।

56 स्टॉक रजिस्टरः–

(क) स्थाई मदों के (Permanent Article) स्टॉक रजिस्टर का निर्माण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अनुसार सभी स्थाई मदों (Permanent Article) हेतु स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्थाई मदों (Permanent Article) हेतु किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर नहीं लगाया गया था। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Himuda/2015-16/Audit/37, दिनांक 3.10.2017 द्वारा स्थाई मदों के (Parmanent Article) स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु

अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंकेक्षण को मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया कि हिमुडा मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार का न तो कोई अभिलेख तैयार किया गया है तथा न ही विभिन्न मदों का नियमानुसार वर्ष में एक बार सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) ही किया गया है। लाखों रूपये की स्थाई भण्डार मदों (Permanent Stock Items) जैसे मेज, कुर्सियाँ, टेबल, कम्पयूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीनें, फैरो प्रिंटर, हीटर, वाहन इत्यादि का स्टॉक रजिस्टर व सम्बन्धित सहायक अभिलेख का अभिरक्षण व भौतिक सत्यापन न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर चिन्ता का विषय भी है। इस प्रकार की चूक से किसी भी गम्भीर अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस गम्भीर मामले की पूर्ण छानबीन की जाए तथा उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख का रख रखाव न करने बारे पूर्ण तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण करवाने के अतिरिक्त वर्णित अभिलेख का अविलम्ब रख रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सम्भावित चूक से बचा जा सके।

(ख) भण्डार रजिस्टर में ₹2.63 लाख के कम्पयूटर व प्रिंटर की लेखा नियमों के अनुसार प्रविष्टियाँ न करनाः—

हिमुडा लेखा अवधि 2015—16 के अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2016 के बिल/वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया कि कैश वाऊचर संख्या 2078 दिनांक 17.3.2016 द्वारा पाँच कम्पयूटर व पाँच प्रिंटर की खरीद हेतु मै0 हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला को ₹263170 का भुगतान किया गया था। किन्तु वर्णित क्रय वस्तुओं की स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार उचित प्रविष्टि नहीं की गई थी अर्थात सीधे आपूर्ति पत्र की प्रति (Supply Order) को स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 5 में बाईं तरफ चिपकाया गया था जिसमें वास्तविक बिल का कोई विवरण नहीं था। इसके अतिरिक्त वर्णित Equipments को

जारी दर्शाकर शेष शून्य दिखाया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि यह Permanent Articles है तथा नियमानुसार इसका स्टॉक शून्य नहीं हो सकता और ऐसे में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः मामला हिमुडा अधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि हिमुडा मुख्यालय मे ंखरीदे गए कम्पयूटर व प्रिंटर का भौतिक सत्यापन करने के साथ–2 स्टॉक रजिस्टर में इनकी प्राप्ति व शेष की सही गणना भी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) फोटोस्टेट मशीन स्टॉक/खपत रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत फोटोस्टेट मशीनों (मॉडल संख्या 5225/30 व Toshiba-160 व कोनिका) के स्टॉक/खपत रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिलिपि यंत्रचालकों को समय–समय पर फोटोस्टेट रिम जारी किए गए जिनको, निम्न प्रकरणों को छोड़कर, फोटोस्टेट मशीन खपत रजिस्टर में दर्ज किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित रजिस्टर में फोटोस्टेट कागजों की खपत की वास्तविक गणना दर्ज नहीं की गई थी जैसे कि Single Side व Double Side की कितनी–2 फोटोस्टेट प्रतियां (Copies) की गई थी और न ही उक्त रजिस्टर को समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के अन्त में खपत रजिस्टर में फोटोस्टेट रिमों का कितना स्टॉक शेष था, का भी कोई सन्दर्भ अंकित नहीं था, जिसकी अनुपस्थिति में यह पुष्टि नहीं होती कि फोटोस्टेट कार्य हेतु समय–समय पर कितने रिम की आवश्यकता थी तथा किसी निश्चित अवधि में कितने कागज (सामान्य Wastage सहित) उपयोग में लाये गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त रजिस्टर में कागजों की खपत की गणना तथा पुनः फोटोस्टेट रिम जारी करने से पूर्व खपत रजिस्टर में कागजों/रिम्स के शेष स्टॉक की पुष्टि सुनिश्चित कर ली जाए ताकि जहाँ आवश्यकता से अधिक फोटोस्टेट रिम जारी न हो वहीं किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी बचा जा सके। इसके अतिरिक्त समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त रजिस्टर की जाँच उपरान्त सत्यापना करने के साथ–साथ निम्न वर्णित ₹180 मूल्य के 1 रिम फोटोस्टेट के अन्तर की वसूली किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेः–

दिनाँक	स्टेशनरी भंडार रजिस्टर पृष्ठ	जारी किए गए फोटोस्टेट रीम्स	फोटोस्टेट मशीन रजिस्टर में गणना में लिए गए रिम्स /पृष्ठ	अंतर अंतर

	संख्या	की मात्रा	संख्या	
16.03.2016	93	A4= 3reams	A4= 2reams	A4= 1ream

(घ) फेरों प्रिंटर मशीन स्टॉक/खपत रजिस्टर में ₹815 के अमोनिया पेपर रोल्स की कम गणना करनाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत लेखन सामग्री (स्टेशनरी) स्टॉक रजिस्टर व फेरों प्रिंटर मशीन स्टॉक/खपत रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिलिपि यंत्रचालकों को समय–समय पर अमोनिया पेपर रोल्स जारी किए गए जिनको फेरों प्रिंटर मशीन खपत रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा था तथा गणना की गई थी और अन्तशेष को समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹815 के 5 अदद (दिनांक 29.2.16 को जारी) अमोनिया पेपर रोल्स की खपत रजिस्टर मे कम गणना की गई थी जिसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त वर्णित राशि के जारी अमोनिया पेपर रोल्स की कम गणना बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति का पता लगाकर उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 29.2.16 के दौरान स्टेशनरी भण्डार रजिस्टर (पेज 42) से जारी किए गए अमोनिया रोल्स की मात्रा	फेरों प्रिंटर मशीन रजिस्टर में दिनांक 29.2.16 गणना में लिए गए अमोनिया रोल्स की मात्रा	अन्तर गणना में लिए गए कम अमोनिया रोल्स की मात्रा	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार एक अमोनिया रोल्स की कीमत (₹)	कम लिए अमोनिया रोल्स की कुल कीमत (₹)
20	15	5	163	815

(ङ) हिमुडा मुख्यालय लेखन सामग्री के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.3.16 को हस्तगत लेखन सामग्री का शेष ₹71604 था जिसका विवरण **परिशिष्ट "ण"** पर दिया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र के Schedule-XLVIII में यह शेश ₹75582 दर्शाया गया था जिसमें ₹3978 का अन्तर होने के कारण यह अनियमित प्रतीत होता है। इस

अनियमितता के कारण ₹3978 से Current Assets को अधिक तथा इतनी ही राशि के व्यय लेखों में कम दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप इस हद तक हिमुडा के वित्तीय लेखे सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए अब इसका यथोचित समाधान लेखों व वित्तीय विवरणियों में किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

57 डाक टिकटों के क्रय व उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण को डाक टिकटों के क्रय व डाक टिकटों के उपयोग से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः–

(क) डाक प्रेषण रजिस्टर में टिकटों के उपयोग से सम्बन्धित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा समय–2 पर सत्यापित नहीं किया गया है तथा ऐसी परिस्थिति में डाक टिकटों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में डाक टिकटों के क्रय रजिस्टर (स्टॉक रजिस्टर) व डाक प्रेषण रजिस्टर में उपयोग से सम्बन्धित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा समय–2 पर सत्यापित करने के अतिरिक्त शेष डाक टिकटों का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) डाक टिकटों का प्रेषण रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तिथियों को योग में त्रुटि के कारण ₹167 की डाक टिकटों का अधिक व्यय दर्शाया गया था जोकि अनियमित हैः–

दिनांक	प्रेषण रजिस्टर में जितना योग दर्शाया गया है (₹)	वास्तव में जितना योग होना चाहिए (₹)	अन्तर (₹)
27.5.15	572	512	60
18.3.16	622	600	22
19.3.16	1941	1856	85
		कुल जोड	**167**

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) हिमुडा मुख्यालय डाक टिकटों के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.3.16 को हस्तगत डाक टिकटों का शेष ₹18779 था जबकि वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र के Schedule XLVI में यह शेष ₹36233 दर्शाया गया था जिसमें ₹17454 का अन्तर होने के कारण यह अनियमित प्रतीत होता है। वास्तविकता में दिनांक 1.4.14 को हस्तगत डाक टिकटों का आरम्भिक शेष ₹36233 था तथा जिसे पूर्व वर्ष 2014–15 व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में हुये लेन देन का कोई भी प्रभाव समाविष्ट किये बिना ही दिनांक 31.3.16 को तुलन पत्र में अन्तशेष के रूप में दर्शाया गया जोकि अनियमित है। इस अनियमितता के कारण ₹17454 का डाक व्यय लेखों में कम दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप इस हद तक हिमुडा के वित्तीय लेखें सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए अब इसका यथोचित समाधान लेखों व वित्तीय विवरणियों में किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

58 हिमुडा द्वारा आबंटित प्लॉटस पर निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य न करने पर लगाये गये दण्ड शुल्क बारे सूचना उपलब्ध न करवानाः–

हिमुडा अधिनियम 2004 की धारा 46 के अनुसार The authority after providing reasonable opportunity of being heard, is empowered to impose penalty not exceesding 5% of the cost of plot per year on the allottee if he fails to construct the building on the plot within the specificed period" इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या हिमुडा 110/92/2017 दिनांक 3.7.17 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में defaulters आबंटियों की सूची व तत्सम्बन्ध में उक्त वर्णित नियमानुसार की गई कार्यवाही बारे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अपेक्षित सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

59 **लघु आपति विवरणिका :–** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणियां अलग से जारी नहीं की गई है।

60 **निष्कर्ष :–** गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने के अतिरिक्त लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / –
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)122 / 88–खण्ड–12–1243–1244 दिनांक,19.02.2018 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार शिमला–2 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करें।

हस्ता / –
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही एवं सटिप्पण उत्तर की पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत/अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ङ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 29(3)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 29 (2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत
9	पैरा 27	अनिर्णीत
10	पैरा 32	अनिर्णीत
11	पैरा 61	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 2/2002

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत

3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 31	अनिर्णीत
7	पैरा 47	अनिर्णीत
8	पैरा 48	अनिर्णीत
9	पैरा 50	अनिर्णीत
10	पैरा 51	अनिर्णीत
11	पैरा 52	अनिर्णीत
12	पैरा 53	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 35 (क से छ)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत

5	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 30(क,ख,ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 35	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 23(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 23(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 25	अनिर्णीत
13	पैरा 31	अनिर्णीत
14	पैरा 32	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 20	अनिर्णीत

3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत
6	पैरा 26	अनिर्णीत
7	पैरा 27	अनिर्णीत
8	पैरा 31	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत

4	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 18(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(ज)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 23	अनिर्णीत
14	पैरा 26	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत

13	पैरा 20	अनिर्णीत
14	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
15	पैरा 21(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 29	अनिर्णीत
18	पैरा 31(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 32	अनिर्णीत
20	पैरा 33	अनिर्णीत
21	पैरा 34	अनिर्णीत
22	पैरा 35(1)	अनिर्णीत
23	पैरा 39	अनिर्णीत
24	पैरा 40	अनिर्णीत
25	पैरा 42	अनिर्णीत
26	पैरा 44	अनिर्णीत
27	पैरा 45	अनिर्णीत
28	पैरा 46	अनिर्णीत
29	पैरा 47	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 4.1	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 8.1	अनिर्णीत
5	पैरा 8.2	अनिर्णीत
6	पैरा 8.3	अनिर्णीत
7	पैरा 8.4	अनिर्णीत

8	पैरा 8.5	अनिर्णीत
9	पैरा 8.6	अनिर्णीत
10	पैरा 8.7	अनिर्णीत
11	पैरा 8.8	अनिर्णीत
12	पैरा 8.9	अनिर्णीत
13	पैरा 8.10	अनिर्णीत
14	पैरा 9	अनिर्णीत
15	पैरा 9.1	अनिर्णीत
16	पैरा 10	अनिर्णीत
17	पैरा 11	अनिर्णीत
18	पैरा 12	अनिर्णीत
19	पैरा 13	अनिर्णीत
20	पैरा 14	अनिर्णीत
21	पैरा 14.1	अनिर्णीत
22	पैरा 14.2	अनिर्णीत
23	पैरा 14.3	अनिर्णीत
24	पैरा 14.4	अनिर्णीत
25	पैरा 15	अनिर्णीत
26	पैरा 16	अनिर्णीत
27	पैरा 17	अनिर्णीत
28	पैरा 17.1	अनिर्णीत
29	पैरा 18	अनिर्णीत
30	पैरा 19	अनिर्णीत
31	पैरा 19.1	अनिर्णीत

32	पैरा 20	अनिर्णीत
33	पैरा 21	अनिर्णीत
34	पैरा 22	अनिर्णीत
35	पैरा 23 (क) (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 24	अनिर्णीत
37	पैरा 25	अनिर्णीत
38	पैरा 25.1	अनिर्णीत
39	पैरा 25.2	अनिर्णीत
40	पैरा 26	अनिर्णीत
41	पैरा 27	अनिर्णीत
42	पैरा 29	अनिर्णीत
43	पैरा 30	अनिर्णीत
44	पैरा 31	अनिर्णीत
45	पैरा 31.1	अनिर्णीत
46	पैरा 31.2	अनिर्णीत
47	पैरा 31.3	अनिर्णीत
48	पैरा 32	अनिर्णीत
49	पैरा 33	अनिर्णीत
50	पैरा 34	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 8.1	अनिर्णीत
4	पैरा 8.2	अनिर्णीत
5	पैरा 8.3	अनिर्णीत
6	पैरा 8.4	अनिर्णीत

7	पैरा 8.5	अनिर्णीत
8	पैरा 8.6	अनिर्णीत
9	पैरा 9	अनिर्णीत
10	पैरा 9.1	अनिर्णीत
11	पैरा 9.2	अनिर्णीत
12	पैरा 9.3	अनिर्णीत
13	पैरा 9.4	अनिर्णीत
14	पैरा 9.5	अनिर्णीत
15	पैरा 10	अनिर्णीत
16	पैरा 10.1 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
17	पैरा 11	अनिर्णीत
18	पैरा 11.1	अनिर्णीत
19	पैरा 12	अनिर्णीत
20	पैरा 13	अनिर्णीत
21	पैरा 14	अनिर्णीत
22	पैरा 15 (क, ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 16	अनिर्णीत
24	पैरा 17 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
25	पैरा 18	अनिर्णीत
26	पैरा 19	अनिर्णीत
27	पैरा 19 (1) (क, ख, ग, घ, ङ, च)	अनिर्णीत
28	पैरा 19 (2) (क)	अनिर्णीत
29	पैरा 19 (3) (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
30	पैरा 19 (4) (क)	अनिर्णीत
31	पैरा 19 (5) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
32	पैरा 19 (6) (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ)	अनिर्णीत
33	पैरा 19 (7) (क, ख)	अनिर्णीत

34	पैरा 19 (8)	अनिर्णीत
35	पैरा 19 (9)(क, ख, ग)	अनिर्णीत
36	पैरा 19 (10) (क)	अनिर्णीत
37	पैरा 19 (11) (क)	अनिर्णीत
38	पैरा 19 (12) (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
39	पैरा 19 (13, 14, 15, 16,17, 18, 19)	अनिर्णीत
40	पैरा 20	अनिर्णीत
41	पैरा 20.1 (i, ii, iii)	अनिर्णीत
42	पैरा 20.2 (i)	अनिर्णीत
43	पैरा 20.3 (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत
44	पैरा 20.3 (v) (क, ख)	अनिर्णीत
45	पैरा 20.4 (i) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
46	पैरा 20.4 (ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi)	अनिर्णीत
47	पैरा 20.4 (xii) (क, ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 20.4 (xii, xiv)	अनिर्णीत
49	पैरा 21	अनिर्णीत
50	पैरा 21.1	अनिर्णीत
51	पैरा 21.2	अनिर्णीत
52	पैरा 21.3	अनिर्णीत
53	पैरा 21.4	अनिर्णीत
54	पैरा 21.5	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 3	पूर्ण अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	पैरा 7.2,7.3,7.4,7.5	अनिर्णीत
3	पैरा8 ,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5	अनिर्णीत

4	पैरा 9.2,9.3,9.4	अनिर्णीत
5	पैरा10 ,10.1	अनिर्णीत
6	पैरा11	अनिर्णीत
7	पैरा 12.1,12.2,12.3,12.4	अनिर्णीत
8	पैरा13 .2	अनिर्णीत
9	पैरा14	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा) 20.1 i),(ii),(iii),(iv)	अनिर्णीत
13	पैरा 20.2 (i),(ii)	अनिर्णीत
14	पैरा20. 3(i),(ii),(iii)	अनिर्णीत
15	पैरा20. 4(i)	अनिर्णीत
16	पैरा20. 5(i) (क,ख,ग)	अनिर्णीत
17	पैरा20.5(ii),(v),(vi),(vii),(viii),(ix),(xi),(xiv)	अनिर्णीत
18	पैरा20. 6(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 21,21.1,21.2,21.3,21.4,21.5,21.6	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा ,55(1), 5(2),5(3),5(4),5(5),5(6)	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10, 10.1, 10.2, 10.3	अनिर्णीत
4	पैरा 12.1	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 16	अनिर्णीत
8	पैरा 17	अनिर्णीत
9	पैरा 18	अनिर्णीत

10	पैरा 19 (क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 26	अनिर्णीत
12	पैरा 27	अनिर्णीत
13	पैरा 28	अनिर्णीत
14	पैरा 29 (i), (ii), (iii), (iv), (v)	अनिर्णीत
15	पैरा 30 (vi)	अनिर्णीत
16	पैरा 31 (i), (ii), (iii), (iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 32 (i), (ii)	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा 3	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 5 (क)	अंकेक्षण अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत
7	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 5 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा 5 (ङ)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
11	पैरा 6 (क)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त

12	पैरा 6 (ख)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
13	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत
17	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा 8 (क)	अंकेक्षण अनुसार अपेक्षित कार्यवाही व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
21	पैरा)8ख((i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	
22	पैरा 8 (ग)	
23	पैरा 8 (घ)	
24	पैरा)8ङ० ((i)(ii)	
25	पैरा)8च ((i)(ii)(iii)	
26	पैरा)8छ ((i)(ii)	
27	पैरा)8ज ((i)to(v)	
28	पैरा)8झ((i)to(viii)	
29	पैरा)8ञ((i)to(iv)	
30	पैरा)8ट(	

31	पैरा)8ठ((i)to(ii)	
32	पैरा 8 (ड)	
33	पैरा 8 (ढ)	
34	पैरा 8 (ण)	
35	पैरा 8 (त)	
36	पैरा 8 (थ)	
37	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत
38	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत
39	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत
40	पैरा 9 (घ)	अनिर्णीत
41	पैरा 9 (ङ)	अनिर्णीत
42	पैरा 10	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
43	पैरा 11	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
44	पैरा 12	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
45	पैरा 13	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
46	पैरा 14	अनिर्णीत
47	पैरा 15	अनिर्णीत
48	पैरा 16	अनिर्णीत
49	पैरा 17	अनिर्णीत
50	पैरा 18	अनिर्णीत

51	पैरा 19	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
52	पैरा 20	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
53	पैरा 21	अनिर्णीत
54	पैरा 22	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
55	पैरा 23	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
56	पैरा 24	अनिर्णीत
57	पैरा 25	अनिर्णीत
58	पैरा 26	अनिर्णीत
59	पैरा 27	अनिर्णीत
60	पैरा 28	अनिर्णीत
61	पैरा 29	अनिर्णीत
62	पैरा 30	अनिर्णीत
63	पैरा 31	अनिर्णीत
64	पैरा 32	अनिर्णीत
65	पैरा 33	अनिर्णीत

66	पैरा 34	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
67	पैरा 35	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
68	पैरा 36	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
69	पैरा 37	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
70	पैरा 38	अनिर्णीत
71	पैरा 39	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
72	पैरा 40	अनिर्णीत
73	पैरा 41	अनिर्णीत
74	पैरा 42	अनिर्णीत
75	पैरा 43	अनिर्णीत
76	पैरा 44	अनिर्णीत
77	पैरा 45	अनिर्णीत
78	पैरा 46 (क) (1) to (8)	अनिर्णीत
79	पैरा 46 (ख)	अनिर्णीत

80	पैरा 46 (ग)	अनिर्णीत
81	पैरा 46 (घ)	अनिर्णीत
82	पैरा 46 (ङ) (i, ii)	अनिर्णीत
83	पैरा 46 (च)	अनिर्णीत
84	पैरा 46 (छ)	अनिर्णीत
85	पैरा 47	सम्बन्धित कर्मचारियों से राशि की वसूली करने पर निर्णीत
86	पैरा 48	अनिर्णीत
87	पैरा 49 (क)	अनिर्णीत
88	पैरा 49 (ख)	अनिर्णीत
89	पैरा 49 (ग)	अनिर्णीत
90	पैरा 50 (क)	अनिर्णीत
91	पैरा 50 (ख)	अनिर्णीत
92	पैरा 50 (ग)	अनिर्णीत
93	पैरा 51	अनिर्णीत

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 27	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 63	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (न)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 5	अनिर्णीत

2	पैरा 28	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 30 (ए से सी)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पेरा 12(5,6,9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(5 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(डी व ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(ए)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 4(11)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 26(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ग),(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग,ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत

7	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(ग)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15)	अनिर्णीत
7	पैरा 24 (ग)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 15.01.2001

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,त,थ,द,ध	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2,3,4)	अनिर्णीत